पुलिस प्रशिक्षण अवधारणा : उचित ज्ञान, उचित कौशल, उचित दृष्टिकोण

प्रशिक्षण शाखा, पुलिस मुख्यालय

जहांगीराबाद, भोपाल म.प्र.

फोन नंबर 0755– 2443681, 2443683

फेक्स नंबर 0755– 2443681, 2443683

प्रति,

निदेशक,
जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी
सागर (म०प्र०)

विषय :- उप पुलिस अधीक्षक बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वर्ष 2011 के निर्माण तथा क्रियान्वयन विषयक ।

---ooo---

मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण की नवीनतम आवश्यकताओं को परखते हुये नवीनीकृत प्रशिक्षण कार्य योजना हेतु व्यवस्थित आवश्यकता आधारित परिर्वतन कर लक्ष्योन्मुखी, प्रभावशील, नीतिगत एवं वैचारिक रणनीति के अनुसार पुलिस पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयास किया गया है। पुलिस के कार्य की प्रवृत्ति सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती है। समाज, अर्थव्यवस्था या राजनीति के विविध पहलुओं में परिवर्तन आने से पुलिस के कार्यों का स्वरूप और उसका संक्रेंद्रण भी परिवर्तित होता है। इन परिवर्तनों का संज्ञान लेकर पुलिस की क्षमता विकास पर भी ध्यान देते हुये पुलिस प्रशिक्षण में बदलाव के निरंतर और ठोस प्रयास करने आवश्यक हैं।

पुलिस आरक्षकों के बुनियादी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के वरिष्ठतम् बुनियादी प्रशिक्षण समूह अर्थात् उप पुलिस अधीक्षकगण को जिला एवं अनुविभाग में उनकी विशिष्ट और सक्रिय भूमिका को देखते हुये उनके लिये अत्याधुनिक स्तर की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण का कार्य प्रारंभ किया गया।

इस पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु एक विस्तृत टीएनए-ट्रेनिंग नीड एनालिसिस योजना निर्मित की गई, इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में विभिन्न प्रचलित पाठ्यक्रमों का अध्ययन, विभिन्न आयोगों, पुलिस सुधार शोध पत्रो तथा राज्य व केन्द्र शासन के विभिन्न दिशा निर्देशों का अध्ययन किया गया तथा इसमें "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" एवं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की अनुशंसाओं का संज्ञान लेते हुये इन संस्थाओं द्वारा विकसित उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों हेतु निर्मित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों प्रचलित पाठ्यक्रमों का भी संज्ञान लिया गया। द्वितीय चरण में टीएनए योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों के अभिमत तथा सुझाव आमंत्रित किये गये तथा उनसे इस विषय पर अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। इस प्रयास के अंतर्गत वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों, जिला स्तर के नेतृत्व कर्तात अधिकारियों तथा मैदानी स्तर के पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों के सुझाव प्राप्त हुये। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक स्टेक होल्डर ग्रुप के रूप में पुलिस कार्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये अनेक उपयोगी सुझाव प्राप्त हुये। इन सुझावों का उपयोग पाठ्यक्रम के निर्माण में किया गया है। इसी प्रकार टीएनए के तृतीय चरण में फोकस ग्रुप डिस्कशन हेतु दो सेमीनार्स अयोजित किये गये जो क्रमशः भोपाल तथा सागर में आयोजित किया गये जिसमें विभिन्न स्तर के मैदानी अधिकारियो, हाल ही में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले उप पुलिस अधीक्षकों, कुछ वर्षों का अनुभव रखने वाले उप पुलिस अधीक्षकों, प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत विभिन्न पुलिस अधिकारियों तथा वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित कर उनसे खुले मंच पर चर्चा कर उनके सुझावों को संग्रहित किया गया। इन सेमीनार्स में विषयवार चर्चाकर प्रत्येक विषय पर अनौपचारिक माहौल में सुझाव आमंत्रित करते हुये पुलिस के वास्तविक कार्य में उपयोगिता तथा प्रशिक्षण प्रदान करने की परिस्थितियों के अंतर्गत प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव हुये जिनका समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है। चतुर्थ चरण में प्रस्तावित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विधिवत निर्मित कर उसे विभिन्न स्तर के पुलिस प्रशिक्षकों, मैदानी पुलिस अधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को अध्ययन हेतु तथा विश्लेषण हेतु प्रस्तुत किया गया । उनसे प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रस्तावित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पुनः आवश्यक सशोधन तथा समावेश कर अंतिम चरण में पाठ्यक्रम का निर्माण पूर्ण कर पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा परीक्षण तथा अनुमोदन किया गया है।

नवीन पाठ्यक्रम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

1. यह प्रशिक्षण दो सेमेस्टर्स का संस्थागत प्रशिक्षण होगा जिसके पश्चात् जिले में मैदानी स्तर (फील्ड लेवल) व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा।
2. प्रशिक्षणार्थी को स्वतंत्र कार्य हेतु पुलिस थाने में संबद्ध किया जावेगा साथ ही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय से भी संबद्ध किया जायेगा ताकि वे अपनी भावी भूमिका और उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह समझ सकें।
3. प्रशिक्षुओं में अधिक से अधिक व्यवसायिक दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से संस्थागत प्रशिक्षण के मूल्यांकन के साथ ही जिले के व्यवहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

4. प्रशिक्षण माड्यूल में उपयोगितामूलक विषय सम्मिलित किये गये हैं जैसे-थाना प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, संवाद कौशल, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तकनीक, प्रबंधकीय तकनीक, मानव संसाधन प्रबंधन, केस स्टडी एवं सिमुलेशन मॉड्यूल्स जिनमें थाना स्तर की व्यावहारिक समस्यायों को सुलझाने का अनुभव हो सके।

5. जिला स्तर के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं (ट्रेनिंग नीड्स) का विश्लेषण करते हुए एस.डी.ओ.पी. कार्यालय के व्यवहारिक कार्य का प्रारुप भी शामिल किया गया है।

6. समस्यायों को सुलझाने का कौशल एवं प्रदर्शनोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रशिक्षण मे सम्मिलित है।

7. आंतरिक प्रशिक्षण के प्रत्येक विषय में प्रोजेक्ट वक्र को सम्मिलित किया गया है ताकि प्रशिक्षण में व्यवारिक रूझान विकसित हो सके। इससे ना केवल व्यावसायिक पुलिसिंग हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी आगामी भूमिका से जुड़ा हुआ भय/आशंकायें भी दूर होंगी।

8. प्रशिक्षण के दौरान मैदानी भ्रमण (फील्ड विजिट्स) भी आयेजित किये जायेंगे ताकि प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य के दौरान संपक्र में आने वाली अन्य संस्थाओं से परिचित हो सकें और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें।

9. प्रशिक्षण में कुछ विशिष्ट केप्सूल कोर्सेस, संवेदनशीलता के विकास से संबंधित मॉड्यूल्स, कौशल विकसित करने हेतु वक्रशॉप्स को भी सम्मिलित किया गया है। विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों से भी संबंद्धता इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इससे प्रशिक्षणर्थी उन आवश्यक विषयों में भी जागरूक हो सकेंगे जिन्हें प्रतिदिन की आम कक्षाओं में शामिल करना संभव नहीं हो पाता है।

पाठ्यक्रम को तैयार करने में प्रशिक्षण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कष्ट साध्य प्रयत्न किये गये हैं। इसके प्रारूप की संरचना में श्री अजीत श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण एवं श्री विनीत कपूर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण के प्रयास एवं विशेषज्ञता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस प्रारूप को बनाने में श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, पुलिस उप अधीक्षक, पीटीएस इंदौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है साथ ही निरीक्षक श्री मदन मोहन चौधरी, निरीक्षक श्री विजय पुंज, निज सहायक श्री नवाब ख़ान, आरक्षक श्री संदीप चौरसिया एवं श्री दुर्गेश मालवीय द्वारा की गयी सहायता एवं कार्य भी विशेष रूप से उल्लेखित किये जाने एवं सराहना के योग्य हैं।

पाठ्यक्रम में आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रक्रिया, परीक्षा पद्धति आदि के विषय में विस्तृत निर्देश संबंधित स्थानों पर लिखित हैं। यह पाठ्यक्रम वास्तव में प्रशिक्षण का एक दर्शन है जो वयस्कों के सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रदेश पुलिस के युवा पुलिस उप अधीक्षकगण के समग्र प्रशिक्षण के दौरान उनमें सही दृष्टिकोण, उचित ज्ञान और कौशल के विकास तथा उन्हें व्यवसायिक रूप से दक्ष पुलिस अधिकारी बनाने का यह एक प्रयास है।

यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम योग्य प्रशिक्षकों के द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति तथा कौशल के साथ प्रशिक्षु केन्द्रित प्रशिक्षण दृष्टिकोण के साथ लागू किया जायेगा इस विश्वास के साथ उप पुलिस अधीक्षक बुनियादी प्रशिक्षण का नवीन पाठ्यक्रम लागू किया जाता है।

(पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

(राजेन्द्र कुमार)
अतिरक्त पुलिस महानिदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय
पुलिस मुख्यालय, म.प्र. भोपाल

पुलिस उप अधीक्षक बुनियादी प्रशिक्षण

अनुक्रमणिका

क्रमांक	प्रशिक्षण शीर्ष	पेज क्रमांक
1	पुलिस उप अधीक्षकगण के बुनियादी प्रशिक्षण का समग्रावलोकन	01
2	आंतरिक प्रशिक्षण का समग्रावलोकन	02–03
3	बाह्य प्रशिक्षण का समग्रावलोकन	04
4	सामान्य निर्देश	05–07
5	आंतरिक प्रशिक्षण	09–58
6	बाह्य प्रशिक्षण	59–68
7	जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम	69
8	व्यवहारिक मैदानी भ्रमण (फील्ड विजिट्स)	70
9	कैप्सूल एवं संवेदनशीलता कोर्सस	71
10	विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्स	72
11	परीक्षा पद्धति	73–74
12	जिला प्रशिक्षण का रिव्यू एवं अंक योजना	75
13	निर्देशक जेएनपीए द्वारा मूल्यांकन- अंक योजना	76
14	आंतरिक प्रशिक्षण में प्रोजेक्ट वक्र	77

उप पुलिस अधीक्षकगण के बुनियादी प्रशिक्षण का समग्र पाठ्यक्रम

क्र.	प्रशिक्षण शीर्षक	समय	आंतरिक प्रशिक्षण		बाह्य प्रशिक्षण		कुल पीरियड	कुल अंक	टिप्पणी
			पीरियड	अंक	पीरियड	अंक			
1	फाउण्डेशन कोर्स	2 माह							प्रशासनिक अकादमी भोपाल
2	प्रथम सेमेस्टर	6 माह	700	700	425	150	1125	850	जनपुअ सागर
3	आरएपीटीसी इंदौर	2 माह				225	350	225	1 माह वेपन एवं टेक्टिक्स ट्रेनिंग एवं 15 दिवस जंगल केम्प एवं 15 दिवस विशेष कैप्सूल कोर्स ऑन मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नालाजी इन पुलिस वक्र
4	द्वितीय सेमेस्टर	6 माह	500	600	425	225	925	825	जनपुअ सागर
5	कैप्सूल कोर्स एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण भ्रमण						250		जनपुअ सागर
6	जिला प्रशिक्षण एवं जिला प्रशिक्षण का मूल्यांकन	7 माह 15 दिन						100	जिला प्रशिक्षण के अंतिम तिमाही के अंतिम चरण में ''प्रोजेक्ट कार्य'' पर 50 अंक जिला प्रशिक्षण की रिपोर्ट के पावर प्वाइंट प्रस्तुति करण पर 25 अंक एवं जिला प्रशिक्षण पर आधारित वायवा पर 25 अंक
7	अंतिम चरण	15 दिन							7 दिवसीय मूल्यांकन एवं जेएनपीए का पुनर्भ्रमण/मूल्यांकन 7 दिवसीय पुलिस मुख्यालय से संलग्नता
8	निर्देशक द्वारा मूल्यांकन							100	50 अंक प्रथम सेमेस्टर में एवं 50 अंक अंतिम चरण में जिला प्रशिक्षण के उपरांत दिये जाना हैं।
	योग	**24 माह**	**1200**	**1300**	**850**	**600**	**2650**	**2100**	

आंतरिक प्रशिक्षण
प्रथम सेमेस्टर (6 माह)

क्रं०	विषय	पीरियड	अंक
1	आधुनिक भारत और पुलिस :- संगठन एवं प्रशासन	100	100
	योग	**100**	**100**
2	भारतीय दण्ड विधान, न्याय शास्त्र एवं आपराधिक लघु अधिनियम		
	अ. न्याय शास्त्र (ज्यूरिसप्रूडेंस)	10	10
	ब. भारतीय दण्ड विधान 1860	65	65
	स. आपराधिक लघु अधिनियम	25	25
	योग	**100**	**100**
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम		
	अ. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973	75	75
	ब. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872	25	25
	योग	**100**	**100**
4	अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण		
	अ. अपराध अनुसंधान	75	75
	ब. उप पुलिस अधीक्षक की भूमिका में अपराध अनुसंधान का पर्यवेक्षण	25	25
	योग	**100**	**100**
5	विधि विज्ञान (फोरेंसिक्स)		
	अ. विधि विज्ञान एवं अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता	60	60
	ब. चिकित्सा विधि विज्ञान (मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस/फोरेंसिक मेडिसिन)	40	40
	योग	**100**	**100**
6	थाना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में निरीक्षण		
	अ. थाना प्रबंधन	60	75
	ब. पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण	40	25
	योग	**100**	**100**
7	अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, गुप्तवार्ता, कानून-व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन		
	अ. अपराधों की रोकथाम	20	20
	ब. सुरक्षा	20	20
	स. निगरानी एवं आसूचना संकलन	20	20
	द. कानून-व्यवस्था का संधारण	20	20
	इ. यातायात प्रबंधन	10	10
	फ. आपदा प्रबंधन	10	10
	योग	**100**	**100**
	प्रथम सेमेस्टर का महायोग	**100**	**100**

द्वितीय सेमेस्टर (6 माह)			
प्रश्न पत्र क्र.	**विषय**	**पीरियड**	**अंक**
8	कार्यालयीन प्रक्रिया, पुलिस प्रशासन एवं सेवा विषय, विभागीय जॉच एवं अपील		
	अ. कार्यालयीन प्रक्रिया	25	40
	ब. पुलिस प्रशासन एवं सेवा संबंधी विषय	30	40
	स. अनुशासनात्मक शक्तियां, विभागीय जॉच एवं अपील	20	20
	योग	75	100
9	भारतीय संविधान, अपराध शास्त्र, मानव अधिकार एवं नीति शास्त्र		
	अ. भारतीय संविधान	30	30
	ब. अपराध शास्त्र	35	35
	द. मानव अधिकार एवं नीति शास्त्र	35	35
	योग	100	100
10	प्रबंधन कौशल एवं पुलिस के लिये सिद्धांत (मैनेजमेंट प्रिसिंपल्स् फार पुलिस)		
	अ. प्रबंधन के सिद्धांत	40	50
	ब. संपक्र प्रबंधन एवं पुलिस कार्य	35	50
	योग	75	100
11	व्यक्तित्व विकास एव मानव व्यवहार		
	अ. मानव व्यवहार	25	25
	ब. संवाद कौशल	30	50
	स. व्यक्तित्व विकास	20	25
	योग	75	100
12	कम्प्यूटर आफिस स्वचालन (ऑटोमेशन) एवं साईबर फोरेन्सिक्स		
	अ. कम्प्यूटर कुशलता एवं आफिस स्वचालन (ऑटोमेशन)	35	25
	ब. एमएस आफिस एवं डाटाबेस प्रबंधन/पुलिस के विशिष्ट सॉफ्टवेयर	25	25
	स. साईबर फोरेन्सिक्स	40	50
	योग	100	100
13	केस स्टडी एवं सिमुलेशन एक्सरसाइज		
	(प्रशिक्षण हेतु घटनाओं/प्रक्रियाओं का काल्पनिक चित्रण)	75	100
	योग	75	100
	द्वितीय सेमेस्टर का महायोग	**100**	**100**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर	**100**	**100**

बाह्य प्रशिक्षण

क्र.	विषय	पीरियड				अंक				टिप्पणी
		प्रथम सेमे.	द्वितीय सेमे.	योग	आरए पीटीसी	प्रथम सेमे.	द्वितीय सेमे.	आरएपी टीसी	योग	
1	शारीरिक दक्षता टेस्ट तथा आवस्टीकल्स	85	75	160		50	50		100	
2	ड्रिल	75	95	170		50	50		100	
3	दंगा प्रवंधन ड्रिल एवं अस्रु गैस	20	20	40		25	25		50	
4	शस्त्र प्रशिक्षण तथा फायरिंग परीक्षा	40	40	80	190			150 (75 अंक शस्त्र प्रशिक्षण तथा 75 अंक फायरिंग)	150	**जेएनपीए में 80 पीरियड, आरएपीटीसी में 190 पीरियड। आरएपीटीसी में 150 अंक की परीक्षा होगी जबकि द्वितीय सेमेस्टर के पीरियड केवल अभ्यास हेतु होगें।**
5	फील्ड क्राप्ट, टेक्टिस एवं विस्फोट निरोधक कार्य, जंगल कैम्प सहित	35	25	60	90			75	75	**जेएनपीए में 40 पीरियड, आरएपीटीसी में 90 पीरियड प्रशिक्षण के उपरान्त 75 अंक की परीक्षा होगी जिनमें 50 अंक फील्ड क्राप्ट, एवं टेक्टिस के 15 अंक जंगल कैम्प एवं मानचित्र अनुसरण के 10 अंक विस्फोट निरोधक कार्य के होगे। द्वितीय सेमेस्टर के पीरियड केवल अभ्यास हेतु होंगे ।**
6	यू.ए.सी.	45	45	90		25	25		50	
7	योग प्रशिक्षण	25	25	50		0	25		25	
8	ड्राईविंग एवं मोटर मेंन्टेनेंस	25	25	50		0	50		50	
9	खेल	75	75	150						
	कुल योग -	**425**	**425**	**850**	**280**	**150**	**225**	**225**	**600**	

सामान्य निर्देश

1. पुलिस उप अधीक्षकगण का संपूर्ण प्रशिक्षण कुल 24 माह को होगा । इसमें से 16 माह 15 दिवस का संस्थागत प्रशिक्षण होगा जो जवहार लाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर, आरएपीटीसी इंदौर तथा प्रशासन अकादमी भोपाल तथा प्रदेश की अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित होगा। इसके पश्चात् पुलिस कार्य के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु जिले में 07 माह 15 दिवस का प्रशिक्षण होगा।

2. संस्थागत प्रशिक्षण को 6–6 माह के दो सेमेस्टर्स में विभाजित किया गया है। इस प्रकार जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, (जेएनपीए) सागर में कुल 12 माह का संस्थागत प्रशिक्षण होगा। प्रथम सेमेस्टर के बाद रूस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय, (आरएपीटीसी) इंदौर में 2 माह, अंतिम चरण में पुनः 15 दिवस जेएनपीए व पुलिस मुख्यालय, भोपाल में प्रशिक्षण होगा। प्रशासन अकादमी भोपाल में 2 माह का फाउण्डेशन कोर्स भी आयोजित किया जायेगा। इस प्रकार कुल 16 माह 15 दिवस का संस्थागत प्रशिक्षण पूर्ण होगा। जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण 7 माह 15 दिवस का होगा। इस प्रकार कुल प्रशिक्षण 24 माह का होगा।

3. जिला स्तर पर 07 माह 15 दिवस का प्रशिक्षण होगा, जिसमें से 2 माह किसी ग्रामीण थाने में थाना प्रभारी के रूप में स्वतंत्र कार्य करने के लिये तथा 1 माह किसी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय सं संबद्ध रहने के लिये होंगे। शेष समय में जिला पुलिस के विभिन्न कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा।

4. जिले का प्रशिक्षण संपूर्ण संस्थागत प्रशिक्षण के बाद होगा। जेएनपीए में 6 माह का प्रथम सेमेस्टर पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षणार्थी 2 माह के लिये आरएपीटीसी जायेंगे जहॉ वेपन, टेक्टिक्ट्स प्रशिक्षण और जंगल कैंप होगा। इसके उपरांत इसी संस्थान में १५ दिवस का विशेष प्रशिक्षण –''कैप्सूल कोर्स ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड यूज ऑफ टेक्नालाजी इन पुलिस वक्र'' का आयोजन होगा। इसके बाद पुनः जेएनपीए में 6 माह का द्वितीय सेमेस्टर होगा और उसे पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षणार्थी जिला स्तर पर 7 माह 15 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जिलों का निर्धारण प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा । इसके बाद प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के अंतिम चरण में 7 दिवस जेएनपीए सागर में रहेंगे जहॉ उनके जिला प्रशिक्षण का रिव्यू होगा तथा ७ दिवस पुलिस मुख्यालय का संगठन और कार्यप्रणाली जानने के उद्देश्य से भोपाल में रहेंगे ।

5. सम्पूर्ण प्रशिक्षण के कुल 2100अंक होंगे। इसमें प्रथम सेमेस्टर 850 अंक का, द्वितीय सेमेस्टर 825 अंक का, आरएपीटीसी की परीक्षा 225 अंक की होगी। इसके साथ ही जिला प्रशिक्षण के मूल्यांकन पर 100 अंक और निदेशक जेएनपीए द्वारा मूल्यांकन के 100 अंक होंगे ।

6. प्रथम सेमेस्टर मे पॉच माहों के प्रशिक्षण के उपरांत छटवे माह में प्रोजेक्ट कार्य का विश्लेषण तथा परीक्षा का आयोजन होगा। उक्त परीक्षा में बाह्य परीक्षक नियुक्त होंगे तथा प्रोजेक्ट कार्य का विश्लेषण भी बाह्य समिति द्वारा किया जायेगा।

7. द्वितीय सेमेस्टर के अंत में 05 माह के प्रशिक्षण उपरांत द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा के दौरान प्रथम सेमेस्टर की तरह ही प्रोजेक्ट कार्य का विश्लेषण तथा लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। उक्त परीक्षा में बाह्य परीक्षक नियुक्त होंगे तथा प्रोजेक्ट कार्य का विश्लेषण भी बाह्य समिति द्वारा किया जायेगा। इसके उपरांत छटे माह में बचे हुये कैप्सूल कोर्सेज, अतिथि व्याख्यान तथा दीक्षान्त परेड की तैयारी तथा दीक्षान्त परेड का आयोजन होगा।

8. प्रथम सेमेस्टर के उपरांत सातवे माह से दो माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरएपीटीसी में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम माह में शस्त्रों का प्रशिक्षण तथा फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत सात दिवस का जंगल केम्प आयोजित होगा। जंगल केम्प के उपरांत शेष बचे सात दिवस में वेपन प्रशिक्षण की परीक्षा, फायरिंग परीक्षा, विस्फोटक संबंधी परीक्षा तथा फील्डक्राफ्ट–टेक्टिक्स एवं मेप रीडिंग की परीक्षा आयोजित होगी। इसके उपरांत इसी संस्थान में 15 दिवस का विशेष प्रशिक्षण –''कैप्सूल कोर्स ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड यूज ऑफ टेक्नालाजी इन पुलिस वक्र'' का आयोजन होगा।

9. सभी प्रशिक्षणार्थी (परिवीक्षाधीन अधिकारीगण) उनकी यूनीफॉर्म, अनुशासन, पाठ्यक्रम और समस्त प्रशिक्षण (संस्थागत हो या जिला प्रशिक्षण) के विषय में प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशों का तथा निदेशक जनपुअ सागर के निर्देशों के पालन हेतु प्रतिबद्ध होंगे।

10. जिले में प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारी का एक प्रशिक्षण प्रगति पुस्तिका (ट्रेनिंग प्रोग्रेस वक्र बुक) दी जायेगी जिसे वे स्वयं नियमित रूप से भरेंगे और अपने जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष रिव्यू हेतु प्रस्तुत करेंगे । यह पुस्तिका अंतिम चरण में जेएनपीए सागर मे प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रस्तुत की जायेगी और इसका अवलोकन, परीक्षण करके ही निदेशक जेएनपीए द्वारा मूल्यांकन अंक प्रदान किये जायेंगे ।

11. आंतरिक प्रशिक्षण का रूझान उसके व्यावहारिक पक्ष पर अधिक रहेगा इसीलिये लिखित परीक्षा के साथ साथ प्रोजेक्ट वक्र भी शामिल किया गया है । सभी 13 विषयों में प्रोजेक्ट वक्र होगा। इस प्रकार प्रत्येक 100 अंक के विषय में 90 अंक लिखित परीक्षा के और 10 अंक प्रोजेक्ट के होंगे । पेपर 11 एवं 12 में प्रायोगक होंगे जो प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और विकसित किये गये कौशल पर आधारित होंगे। प्रोजेक्ट का विश्लेषण बाह्य समिति के पैनल द्वारा किया जायेगा।

12. सभी प्रशिक्षणर्थियों को प्राजेक्ट वक्र दिये जायेंगे जिनके विषय के चयन में प्रतिभागी की रूचि का ध्यान रखा जायेगा। विषयों का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि प्रशिक्षण के अधिकतम पहलुओं को छुआ जा सके और किसी विषय का दोहराव भी ना हो। विषयों का चयन कर एक माह पूर्व ही विषयों का आंवटन सार्वजनिक घोषणा तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा पर किया जायेगा।

13. बाह्य प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रतिदिन के पुलिस कार्य में उपयोगी समस्त तत्वों को शामिल किया जा सके । इसे दृष्टिगत रखते हुये शारीरिक क्षमता (स्टेमिना एंड एंड्योरेंस), निहत्थी लड़ाई का कौशल (यूएसी), वेपन, जंगल एंड वॉर टेक्टिक्ट्स विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। .बलवा ड्रिल, मोटर ड्रायविंग, खेल और टीम गेम्स को पुलिस प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया गया है ।

14. पुलिस उप अधीक्षकगण की “प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण” (ट्रेनिंग नीड एनालिसिस) में यह तथ्य सामने आया था कि प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षित और विकसित किया जाये कि वे वर्तमान लोक कल्याणकारी, लोकतंत्रात्मक और जनोन्मुखी व्यवस्था में एक पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा सकें । इस कारण उचित दृष्टिकोण एवं व्यवहार के विकास, नैतिकता, मानवाधिकार संबंधी पहलू, संवाद कौशल, व्यक्तित्व विकास और प्रबंधन तकनीकों पर अधिक ज़ोर दिया गया है ।

15. पुलिस कार्य के व्यवहारात्मक पक्ष और व्यवसायिक कौशल के विकास के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण का यथासंभव व्यावहारिक बनाया गया है तथा समस्या उन्मूलन मॉड्यूल्स (प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल्स) को जोड़ा गया है।

16. पुलिस कार्य, सामान्य शासन और प्रशासन से संबंधित विशिष्ट बिंदुओं पर कुछ केप्सूल कार्य एंव संवेदनशीलता मॉड्यूल्स भी जोड़े गये हैं। इसमें संबंधित क्षेत्र के अतिथ विशेषज्ञ की विशेष कक्षा या वक्रशॉप आयोजित की जा सकेगी । इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों और सम्मानित अधिकारियों को आंमत्रित किया जायेगा जिन्होंने प्रशिक्षण से संबंधित किसी बिंदु से जुड़े अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियॉं अर्जित की हों ।

17. इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण भ्रमण और मैदानी परिस्थितियों से एक्सपोजर को भी सम्मिलित किया गया है । इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी ऐसी विभिन्न इकाईयों और संस्थानों का भ्रमण करेंगे जिनका सहयोग पुलिस कार्य में आवश्यक होता है। ये ऐसी इकाईयॉ होगी जिनके कार्य का प्रारंभिक ज्ञान होना एक पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी की दक्षता के लिये अनिवार्य अंग है । इस दौरान पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों और कार्यपालिक दंडाधिकारियों के कार्यालयों का भी भ्रमण कराया जायेगा। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख अंगों के रूप में न्यायालय और कारागार का भी भ्रमण आयोजित किया जायेगा ।

18. प्रशिक्षण में सागर रेंज/जिले में "थाना कार्य से परिचय" का एक तीन दिवसीय कार्यक्रम जोड़ा गया है। प्रथम सेमेस्टर के दौरान थाने में वास्तविक रूप से उपस्थित रहकर प्रशिक्षणार्थी पुलिसिंग के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। इससे वे अपने आगामी प्रशिक्षण के लिये संदर्भ बिंदु (रिफरेंस प्वाइंट) निर्धारित कर सकेंगे। यद्यपि पुलिस कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण जिलों में 10 माह की अवधि का होगा तथापि थाने में 03 दिवस की संबद्धता और पुलिस अधीक्षक व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय का भ्रमण उन्हें पुलिस का प्रारंभिक परिचय प्रदान करेगा

19. जिला स्तर पर प्रशिक्षण 07 माह 15 दिवस का होगा जिसमें से 3 माह किसी ग्रामीण थाने में थाना प्रभारी के रूप में स्वतंत्र कार्य करने के लिये तथा एक माह किसी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय सं संबद्ध रहने के लिये होंगे । इस दौरान एक अनुभवी पुलिस उप अधीक्षक, जो अनुविभागीय अधिकारी भी हों इनके मेंटॉर के रूप में रहेंगे। जिला स्तर पर प्राप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण के मूल्यांकन का भी प्रावधान इस पाठ्यक्रम में किया गया है। इसके लिये जिला स्तर पर प्रशिक्षण के दौरान तैयार वक्रबुक और उमें संबंधित पुलिस अधीक्षक की टीप का अवलोकन व परीक्षण जेएनपीए निर्देशक द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के अंतिम चरण में प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रोजेक्ट वक्र, पॉवर प्वांइट प्रेजेंटेशन और केस स्टडीज प्रस्तुत की जायेंगी और इनके मूल्यांकन पर भी पृथक से अंक प्रदान किये जायेंगे।

20. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिक समय में पुलिस की अधिकारी के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझकर व्यवहारिक कार्यक्षमता के विकास हेतु उचित गुणों के विकास, उचित ज्ञान के संबंर्धन, उचित दृष्टिकोण के निर्माण तथा उचित कौशल के विकास हेतु प्रशिक्षण को केन्द्रित किया गया है।

21. प्रशिक्षुओं मे नेतिक क्षमता विकसिक करने हेतु प्रत्येक 7 दिवस में प्रत्येक सोमवार को टोली लीडर बदले जायेगे तथा प्रशिक्षण अवधि में समस्त टोली लीडर्स को नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को टोली लीडर बनना अनिवार्य होगा।

22. प्रशिक्षु अधिकारियों के मध्य से विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों का चयन होगा जिन्हें विभिन्न समितियों का प्रभार देखने का अवसर दो माह तक लगातार प्राप्त होगा तथा दो माह बाद रोटेशन के आधार पर प्रभार में परिवर्तन होगा। प्रशिक्षु अधिकारियों की निम्नलिखित समितियां निर्मित की जायेंगी - मैस समिति, सास्कृतिक गतिबिधियों की समिति, खेलकूंद गतिबिधियों की समिति, अकादमिक समिति तथा जनरल मैन्टेन्स समिति। इन पॉच समितियों में पृथक-पृथक अधिकारी होगे जो अपनी अपनी समिति का प्रभारी प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के सहयोग स संपादित करेंगे।

23. प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण स्तर तथा अनुशासन के संबंध में मासिक रिव्यू निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा इस संबंध में उन्हे अवगत कराया जायेगा।

24. प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में निदेशक प्रतिमाह एक मीटिंग आयोजित कर समस्त प्रशिक्षुओ सं उनके प्रशिक्षण, निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था तथा प्रशिक्षण क स्तर के संबंध में अनौपचारिक चर्चा करेंगे तथा उनके साथ अनौपचारिक भोज में भी सम्मिलित होंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को विभिन्न अधिकारियों से भी भेंट करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी जेएनपीए सागर भ्रमण पर या लेक्चर देने आता है तो उसके सम्मान में उप पुलिस अधीक्षक (परि.) द्वारा भोज (लंच/डिनर) का आयोजन जएनपीए में किया जाये।

आंतरिक प्रशिक्षण

आंतरिक प्रशिक्षण

पेपर - 1

आधुनिक भारत में पुलिस- संगठन एवं प्रशासन

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 1

आधुनिक भारत में पुलिस आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका

सत्र - 22 **अंक - 20**

स.क्र.	विषय
1	सामाजिक ढॉचा एवं अपराध
2	लोक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका
3	सामाजिक ढॉचे में परिर्वतन एवं जनमत तथा पुलिस के कार्य में इसका प्रभाव
4	जन आंकाक्षाओं में परिवर्तन एवं पुलिस के निहितार्थ
5	लोक व्यवस्था बनाने में पुलिस की भूमिका, अपराधों की रोकथाम एवं पतासाजी
6	आंतरिक सुरक्षा
7	आतंकवाद/उग्रवाद/असुरक्षा के कारक
8	जातीय एवं साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण एवं पुलिस की भूमिका
9	विभिन्न वर्गो के बीच आपराधिक गठजोड़

पेपर - 1

आधुनिक भारत में पुलिस- संगठन एवं प्रशासन

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 2

मध्यप्रदेश पुलिस व्यवस्था

सत्र - 70 **अंक - 70**

क्र०	विषय
1	मध्यप्रदेश पुलिस का इतिहास
2	प्रशासन की संभागीय, जिला एवं अनुविभागीय संरचना तथा पुलिस से संबंध
3	विभिन्न प्रशासनिक स्तर पर पुलिस एवं अन्य शासकीय विभागो के बीच संबंध
4	राज्य पुलिस संगठन की संरचना
5	विभिन्न स्तरो पर पुलिस की ढॉचागत संरचना एवं भूमिका
6	राज्य पुलिस मुख्यालय
7	झोन एवं रेन्ज पुलिस की संरचना
8	जिला
9	अनुविभाग
10	पुलिस थाना
11	रक्षित आरक्षी केंन्द्र (रिजर्व पुलिस लाइन्स) संगठन एवं कार्य पद्धति , रक्षित केन्द्र का विस्तृत वर्णन, विभिन्न शाखाओं का वर्णन, रक्षित निरीक्षक के कार्य, ड्यूटी टेलर, एमटी, स्टोर, बेल्फेयर तथा अन्य शाखाओं के कार्य।
12	ग्रामीण पुलिस
13	विशेष इकाई संगठन खुफिया विभाग/विशेष शाखा जिला विशेष शाखा (डी.एस.बी.)
14	महिला पुलिस बल एवं महिला थाना
15	आदिम जाति कल्याण
16	एस.टी.एफ., हॉक फोर्स एवं नारकोटिक्स शाखा
17	जिला अपराध शाखा (डी.सी.बी.)-बड़े शहरों में क्राईम ब्रांच तथा विशेष दस्ते।
18	नक्सल विरोधी एवं डकैती विरोधी (ए.डी.) कार्य योजना
19	सी.आई.डी., जी.आर.बी., एस.सी.आर.बी. की भूमिका एवं पुलिस शिकायत
20	विशेष सशस्त्र बल (एस.ए.एफ.) एवं बटालियन
21	पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
22	पुलिस कल्याण
23	ईओडब्ल्यू तथा लोकायुक्त
24	जिलाधीश का कार्यालय तथा एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यपालिक दण्डाधिकारी)
25	विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.)
26	पुलिस योजना, प्रोविजीनिंग एवं परिवहन
27	राज्य पुलिस कम्प्यूटर संरचना, साईबर पुलिस
28	राज्य प्रशिक्षण संरचना
29	होम गार्ड
30	सामुदायिक पुलिस संरचना
31	ग्रामीण स्वंय सेवा बल/विशेष पुलिस अधिकारी
32	राज्य पुलिस मेनुअल एवं उसके विशेष प्रावधान
33	अभियोजन निर्देशालय एवं उसके पुलिस से संबंध
34	जिले के अन्य प्रशासनिक विभाग
35	गैर शासकीय संस्थायें तथा उनसे समन्वय

पेपर - 1
आधुनिक भारत में पुलिस- संगठन एवं प्रशासन
सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 3 केन्द्रीय पुलिस संगठन

सत्र - 8 **अंक - 10**

स.क्र.	विषय
१	पुलिस कार्य में केन्द्रीय सरकार की भूमिका अनुच्छेद २४६ एवं ३५५ तथा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची १ प्रविष्टि ८ एवं ६५)
२	केन्द्रीय पुलिस संगठन- लक्ष्य एवं उद्देश्य
३	इन्टेलीजेन्स ब्यूरो (आई.बी.)
४	केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) (एन.सी.बी.- इन्टरपोल)
५	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.)
६	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)
७	सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ. या सीसुब)
८	भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)
९	रेल्वे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.)
१०	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)
११	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (एस.बी.पी.एम.पी.ए., सी.डी.टी.एस.आदि)
१२	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाऐं एवं संस्थान (सी.एफ.पी.बी., एन.आई.सी.एफ.एस.आदि सहित), विवादास्पद दस्तावेजों के शासकीय परीक्षक
१३	समन्वय निर्देशालय-पुलिस वितन्तु एवं कम्प्यूटर
१४	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.)
१५	विशेष सुरक्षा दस्ता (एस.पी.डी.)
१६	आंतरिक सुरक्षा अकादमी
१७	राष्ट्रीय जॉच एजेन्सी (एन.आई.ए.)
१८	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.)
१९	भारतीय सशस्त्र बल (प्रादेशिक सेना एवं एन.सी.सी.सहित)
२०	सशस्त्र बल एवं नागरिक प्रशासन
२१	नागरिक सुरक्षा की संरचना

नोट :- लोक व्यवस्था बनाये रखने में सेना एवं केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलो की तैनाती के मुख्य सिद्धांत के विषय में भी प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

पेपर - 1
प्रोजेक्ट वर्क

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होंगें। जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। पहला प्रोजेक्ट भाग 1 या 2 से होगा तथा दूसरा प्रोजेक्ट पेपर के भाग 3 से होगा ।

पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से समाज, अपराध नियंत्रण और सामाजिक कारक से या भाग 2 केंद्रीय पुलिस संगठनों में से हो सकता है । दूसरे प्रोजेक्ट में म.प्र. पुलिस के संगठन से जुड़े शीर्षक हो सकते हैं । यह कोई पुलिस मुख्यालय या रेंज या जिला पुलिस इकाई या पुलिस की किसी भी शाखा का कोई संगठनात्मक चार्ट हो सकता है या एक से अधिक इकाईयों के बीच अंतर्संबधों को दर्शाता फ्लो चार्ट हो भी सकता है ।

विषय की सूची - सभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।)

- मध्यप्रदेश में जिला पुलिस का संगठन - फ्लो चार्ट
- मध्यप्रदेश में पुलिस लाईन का संगठन तथा कार्य
- साम्प्रदायिक हिन्सा तथा पुलिस कार्य
- जातिगत हिन्ता तथा पुलिस कार्य
- केन्द्रीय सुरक्षा बल
- प्रदेश में विशेष शाखा का संगठन
- प्रदेश में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का संगठन
- प्रदेश में रेंज स्तर का पुलिस प्रशासन
- प्रदेश में पुलिस मुख्यालय का संगठन
- आदिम जाति कल्याण विभाग का संगठन तथा थाने
- महिला थाने का संगठन तथा कार्य
- पुलिस अनुविभाग का संगठन तथा कार्य
- विगत दो दसकों में आतंकवाद की प्रमुख घटनायें तथा पुलिस कार्यवाहियां
- समाज में पुलिस की स्थिति
- भारत में आन्तरिक सुरक्षा तथा पुलिस को चुनौतियां
- मध्यप्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा की परिस्थिति तथा चुनौतियां
- प्रदेश में एसएएफ का संगठन
- प्रदेश की विशिष्ट पुलिस व्यवस्थायें - एटीएस, एसटीएफ, हॉक फोर्स, नारकोटिक्स पुलिस इत्यादि
- सायवर पुलिस व्यवस्था
- अभियोजन शाखाओं का संगठन तथा पुलिस से समन्वय

पेपर - 2
भारतीय दण्ड विधान, न्याय शास्त्र, तथा आपराधिक लघु अधिनियम
सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 1 न्याय शास्त्र एवं विधिक अवधारणा

सत्र - 10 **अंक - 10**

क्र.	विषय
1	न्याय शास्त्र की परिभाषा एवं विधिक सिद्धांत के मायने, न्याय की अवधारणा तथा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कोई कृत्य अपराध क्यों होता है ?
2	न्याय का सिद्धांत, न्याय का प्रशासन, दीवानी एवं आपराधिक न्याय प्रणाली, विधिक अवधारणा, मेन्सरिया, साक्ष्य का दायित्व, संदेह का लाभ, साक्ष्य एवं सिद्ध
3	जिज्ञासु एवं आपराधिक न्याय प्रशासन की दांडिक प्रणाली, न्याय प्रक्रिया का महत्व
4	न्यायविधानों की व्याख्या प्दजमतचतमजंजपवद वि जंजनमे

पेपर - 2
भारतीय दण्ड विधान, न्याय शास्त्र तथा आपराधिक लघु अधिनियम
सत्र - 100, अंक - 100
भाग - 2 - भारतीय दण्ड विधान 1860

सत्र - 65 **अंक - 65**

क्र0	विषय
1	भारतीय दण्ड विधान 1860 का परिचय
2	प्रस्तावना एवं धारा 1 से 5 (अध्याय–1)
3	सामान्य परिभाषा (अध्याय–2)
4	दण्ड (अध्याय–3) धारा– 53 से 71, 74 व 75
5	सामान्य अपवाद (अध्याय–4)
6	दुष्प्रेरण (अध्याय–5)
7	अपराधिक षड्यंत्र (अध्याय–5 अ)
8	राज्य के विरूद्ध अपराध (अध्याय–6)
9	लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–8) धारा– 141 से 160
10	लोक सेवक से संबंधित अपराध (अध्याय–9) धारा– 161 से 165'ए', 166, 167, 168, 169, 170
11	निर्वाचन संबंधी अपराध (अध्याय–9'अ') धारा–171'ए' से 'आई'
12	लोक सेवको के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना से संबंधित अपराध (अध्याय–10) धारा– 172 से 190
13	मिथ्या दस्तावेज एवं लोक सेवकों के विरूद्ध अपराध (अध्याय–11) धारा–191 से 193, 196, 201, 202, 211, 212, ५16 से 218, 221 से 225'बी'
14	लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षेम, शिष्टाचार और सदाचार पर प्रभाव 6लने वाले अपराध (अध्याय–14) धारा–268, 269, 278, 279, 292 से 294'ए'
15	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (अध्याय–16)–I धारा–299 से 304, 304–ए, बी, 306, 307 से 309, 312 से 318
16	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (अध्याय–16)– II धारा–319प्से 336, 332, 333, 336, 337, 338
17	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (अध्याय–16)– III धारा–339 से 341
18	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (अध्याय–16)– VI धारा–339 से 351, 353, 354

19	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (अध्याय–16)– V धारा–359 से 363'ए', 366, 366'ए', 'बी', 367 से 369
20	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (अध्याय–16)– VI धारा–372 से 374
21	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (अध्याय–16)– VII धारा–375 से 377
	बिन्दु क्रमांक–9 से 21 तक के विषयों पर टेस्ट
22	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–17)–I धारा–378 से 382
23	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–17)–II धारा–383 से 389
24	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–17)–III धारा–390 से 402
25	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–17)–IV धारा–403 से 406, 409
26	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–17)–V धारा–410 से 114
27	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–17)–VI धारा–415 से 420
28	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध (अध्याय–17)–VII धारा–425, 426, 429, 435, 436, 441 से 448, 454 से 460
	बिन्दु क्रमांक–21 से 28 तक विषयों पर टेस्ट
29	सम्पत्ति चिन्ह एवं दस्तावेजो से संबंधित अपराध (अध्याय–18)– I धारा–463 से 465, 468 से 474, 477 'अ'
30	सम्पत्ति चिन्ह एवं दस्तावेजो से संबंधित अपराध (अध्याय–18)–II धारा–489 ए से 489 डी
31	विवाह संबंधी अपराध (अध्याय–20) धारा–494, 497, 498
32	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा किये गये अत्याचार से संबंधी अपराध (अध्याय–20–अ) धारा–498–ए
33	मानहानि (अध्याय–21)
34	आपराधिक सूचना से संबंधित अपराध (अध्याय–22) धारा–503, 505, 506, 510
35	लोक सेवकों द्वारा किये गये अपराध (अध्याय–9) धारा– 161 से 171
	अन्य विविध धाराएँ – I
36	जल, थल एवं वायु सेना से संबंधित अपराध (अध्याय–7) धारा–131 से 140
37	सिक्के, मुद्रा तथा शासकीय स्टाम्प्स के विरूद्ध अपराध (अध्याय–12) धारा–230 से 233
38	नाप तौल से संबंधित अपराध (अध्याय–13) धारा– 264 से 267
39	धर्म से संबंधित अपराध (अध्याय–15) धारा– 295 से 298
40	अपराधों को करने के प्रयास (अध्याय–23) धारा–511
	अन्य विविध धाराएँ – II
41	मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरूद्ध अपराध (अध्याय–11) धारा–201, 211, 222, 225'ए' 'बी'
	बिन्दु क्रमांक–29 से 41 विषयों पर टेस्ट
42	अभ्यास एवं परिचर्चा
43	भारतीय दण्ड विधान के विधिक प्रावधानों के आधार और महत्व पर किसी व्यवसायिक दक्ष अतिथि का व्याख्यान

पेपर - 2
भारतीय दण्ड विधान, न्याय शास्त्र तथा आपराधिक लघु अधिनियम
सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 3 - आपराधिक लघु अधिनियम

सत्र - 25 **अंक - 25**

क्र०	विषय
1	विविध आपराधिक लघु अधिनियमों का परिचय (विषय वस्तु, प्रस्तावना एवं क्षेत्र)
2	पुलिस एक्ट 1861
3	विधि विरूद्ध गतिविधि (प्रतिषेध अधिनियम 1967)
4	लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984
5	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1967
6	अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988
7	महिलाओं के प्रति अश्लीलता (निवारण) अधिनियम 1986
8	अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
9	शस्त्र अधिनियम 1959
10	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
11	विस्फोटक अधिनियम 1884
12	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
13	मादक पदार्थ एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस)
14	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987
15	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
16	बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
17	बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986
18	अभ्यस्त अपराधी अधिनियम
19	रेल्वे सामग्री (विधिविरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
20	बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1920
21	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972
22	न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971
23	किशोर न्याय अधिनियम 2000 एवं किशोर/बाल न्याय (संरक्षण व देखरेख) अधिनियम 2006 व म.प्र. शासन के नियम
24	बंदी परिवीक्षा अधिनियम 1958
25	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
26	भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय 1988
27	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
28	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
29	कॉपी राईट अधिनियम 1957, ट्रेडमाक्र अधिनियम
30	विदेशी व्यक्ति अधिनियम 1946
31	पारपत्र अधिनियम 1967
32	मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम

33	मध्यप्रदेश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
34	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
35	पीसीपीएनडीटी अधिनियम (The Pre-Natal Diagnostic Technique- Regulation & Prevention of Misuse- Act 1994)
36	The Medical Termination of Pregnancy Act – 1971
37	Money Laundering Act
38	Private security Agency (Regulation) Act, 2005
39	निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम
40	कोलाहल अधिनियम
41	गो हत्या से जुड़े हुये अधिनियम
42	चिटफंड से जुड़े अधिनियम

प्रोजेक्ट वर्क
पेपर 2
भारतीय दंड संहिता, न्याय शास्त्र एवं आपराधिक लघु अधिनियम

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। पहला प्रोजेक्ट भाग 2 से होगा तथा दूसरा प्रोजेक्ट पेपर के भाग 1 या 3 से हो सकता है ।

पहला प्रोजेक्ट भाग 2 से होगा जिसमें किसी एक अपराध के अनुक्रम में घटित अन्य अपराधों को जोड़ने वाला फ्लोचार्ट या अपराध के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता प्रोजेक्ट हो सकता है। उदाहरण के लिये "उपहति एवं चोटें" के विभिन्न प्रकारों, चोरी के या हत्या के या राहजनी के विभिन्न प्रकारों के बारे में हो सकते हैं । विषय प्रशिक्षक इस आधार पर अन्य शीर्षक बना सकते हैं ।

दूसरा प्रोजेक्ट भाग 1 या 3 से होगा । यह किसी लघु अधिनियम सेसंबंधित अपराध के घटित होने और पुलिस के लिये इसके प्रभाव पर हो सकता है । इसमें न्याय शास्त्र के विभिन्न पक्षों पर भी जैसे "दुराश या मेन्सरिया", सबूत का भार, शंका का लाभ, साक्ष्य व सिद्धी या न्याय से जुड़े सिद्धांतों पर भी प्रोजेक्ट बनाये जा सकते हैं ।

विषय की सूची - संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।)

- न्याय के सिद्धान्त
- कोई कृत्य अपराध क्यो बनता है
- नैसर्गिक न्याय
- मेन्सरिया, उदाहरण सहित
- प्रमाणित करने का भार उदाहरण सहित
- आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभ
- शरीर संबंधी अपराध तथा चोटों के प्रकार
- शरीर संबंधी अपराध तथा आपराधिक मानव वध
- सम्पत्ति संबंधी अपराध - विभिन्न प्रकार की चोरियां
- सम्पत्ति संबंधी अपराध - विभिन्न प्रकार की लूट
- सम्पत्ति संबंधी अपराध - डकैती
- धोखाधड़ी तथा इससे संबंधित अपराध
- राज्य के विरूद्ध अपराध
- दुष्प्रेरण
- कृत्य के आधार पर आपराधिक धाराओं को चयन करने की कला
- दण्ड के प्रकार
- पुलिस एक्ट की विशेषतायें
- एक्रोसिटीज एक्ट तथा उसकी विशेषतायें
- आईटी एक्ट तथा उसकी विशेषतायें
- सार्वजनिक धूत अधिनियम तथा उसकी विशेषतायें
- आर्म्स एक्ट तथा उसकी विशेषतायें
- राईट टू इन्फारमेशन एक्ट तथा उसकी विशेषताये

पेपर - 3
दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम

सत्र - 100, अंक - 100

भाग – 1 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

सत्र – 75 अंक – 75

क्र0	विषय
1	दंड प्रक्रिया संहिता का सामान्य परिचय, विस्तार एवं मुख्य तत्व, धारा–1
2	परिभाषा (अध्याय–1) धारा–2 अ से 2 य , धारा–4
3	लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाना – अवैध जमाव (अध्याय–10 अ) धारा– 129 से 132
4	लोक न्यूसेन्स (अध्याय–10 बी) धारा–133 से 143
5	न्यूसेन्स अथवा आशंकित खतरे के मामले (अध्याय–10'ग') धारा–144 स्थावर सम्पत्ति के विवाद (अध्याय–10 'घ') धारा– 145 से 148
6	पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियॉ (अध्याय–11) धारा–149 से 153
7	सदाचार एवं शांति बनाने हेतु सुरक्षा (अध्याय–8) धारा–106 से 110, 116 से 118, 120 से 122
8	व्यक्तियों की गिरफ्तारी (अध्याय–5) धारा– 41 से 60
9	पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्ति तथा मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (अध्याय–4) धारा–36 से 40
	बिन्दु क्रमांक– 2 से 9 तक के विषयों का टेस्ट
10	पुलिस को सूचना एवं पुलिस की अन्वेषण शक्ति (अध्याय–12)–I धारा–154, 155
11	पुलिस की अन्वेषण शक्ति (अध्याय–12)– II धारा–156 से 159
12	साक्षियों का परीक्षण करने की पुलिस शक्तियॉ (अध्याय–12)– III धारा–160 से 164
13	अनुसंधान के दौरान प्रक्रिया के संबंधित तलाशी हेतु पुलिस की शक्ति (अध्याय–12)– IV धारा– 165 से 167
14	अनुसंधान की पूर्णता एवं उससे संबंधित प्रक्रिया (अध्याय–12)– V धारा–168 से 173
15	संदिग्ध मृत्यु की जॉच (मर्ग) (अध्याय–46)– VI धारा–174 से 176
	बिन्दु क्रमांक–10 से 15 तक विषयों का टेस्ट
16	दण्ड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (अध्याय–2) धारा– 6 से 20, 21, 24, 25
17	न्यायालय की शक्तियॉ (अध्याय–3) धारा–26 से 30
18	उपस्थिति हेतु बाध्य करने की आदेशिकाएँ (अध्याय–6)–I समंस धारा– 61 से 69
19	गिरफ्तारी वारंट (अध्याय–6)–II धारा–70 से 80
20	उद्घोषणा और कुर्की (अध्याय–6)–III धारा–82, 83, 87, 89, 90
	बिन्दु क्रमांक– 16 से 20 तक के विषयों का टेस्ट
21	चीजें पेश करने के लिए आदेशिका तथा तलाशी वारंट (अध्याय–7)–I धारा–91 से 95, 97 ,98
22	तलाशी संबंधी साधारण उपबंध (अध्याय–7)–II धारा–99 से 104, 105–ए से 105 एल
23	जॉच और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता (अध्याय–13) धारा–177 से 189
24	कार्यवाहियॉ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें (अध्याय–14) धारा–190 से 199
25	मजिस्ट्रेटों से परिवाद (अध्याय–15) धारा–200 से 203
26	मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया जाना (अध्याय–16) धारा–204 से 210
27	आरोप (अध्याय–17) धारा–211, 215 से 224
28	सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण (अध्याय–18) धारा–225 से 236

29	वारंट मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण (अध्याय–19) धारा–238 से 250
30	समंस मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण (अध्याय–20) धारा–251 से 259
31	जॉच एवं विचारण में साक्ष्य (अध्याय–23) धारा–273, 275, 280, 284, 291 से 294, 298 और 299
32	जॉच एवं विचारण में साधारण उपबंध (अध्याय–24) धारा–300, 301, 306 से 311, 313, 315, 316, 319 से 323
33	न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध (अध्याय–26) धारा–304, R/W 195, 344, 350
34	अपील (अध्याय–29) धारा–377, 378, 384
35	निर्देश एवं पुनरीक्षण (अध्याय–30) धारा–397, 399, 401
36	दण्डादेशों का निष्पादन निलंबन, छूट तथा लघुकरण (अध्याय–32) धारा–432
37	जमानत एवं बंधपत्र के उपबंध (अध्याय–33) धारा–436 से 444, 446 से 446 अ
38	कुछ अपराधों के संज्ञान के लिए परिसीमा (अध्याय–63) धारा–468 से 497
39	विविध (अध्याय–37) धारा–482
40	अपराधों का वर्गीकरण अनुसूची– I

पेपर – 3
दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम
सत्र – 100, अंक – 100
भाग – 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

सत्र – 25 **अंक – 25**

क्र0	विषय
1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का परिचय (अध्याय–1) धारा–1
2	महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा (अध्याय–1) धारा–3 व 4
3	तथ्यों की सुसंगति (अध्याय–2)–1 धारा–5 से 11, 14 व 15
4	संस्वीकृति (अध्याय–2)–2 धारा–17, 21, 22, 23, 24 से 30
5	मृत्यु पूर्व कथन (अध्याय–2)–3 धारा–32
6	विशेष परिस्थितियों में दिये गये कथन (अध्याय–2)–4 धारा–34, 35, 36
7	न्यायालय के निर्णय की सुसंगति (अध्याय–2)–6 धारा–40 से 43
8	अन्य व्यक्ति की राय (अध्याय–2)–7 धारा–45 से 51
9	चरित्र कब सुसंगत होगा (अध्याय–2)–8 धारा–52 से 54
10	तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है (अध्याय–3) धारा–56 से 58
11	नौकरी साक्ष्य (अध्याय–4) धारा–59 व 60
12	दस्तावेजी साक्ष्य (अध्याय–5)–1 धारा–61 से 64, 65, 67, 73, 74
13	दस्तावेजी साक्ष्य (अध्याय–5)–2 धारा–74, 76, 77
14	दस्तावेजी साक्ष्य (अध्याय–5)–3 धारा–80, 89
15	साबित करने का भार (अध्याय–7) धारा–101 से 108, 110, 114
16	साक्षियों के विषय में (अध्याय–9) धारा–118 से 134
17	साक्षियों का परीक्षण (अध्याय–10) धारा–135 से 148, 153, 154, 156 से 162
18	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के संबंध में (अध्याय–11) धारा– 167

प्रोजेक्ट वर्क

पेपर 3

दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से तथा दूसरा भाग 2 से होगा।

पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से होगा जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता के किसी महत्वपूर्ण पक्ष से संबंधित फ्लोचार्ट या विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी । उदाहरण के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का फ्लोचार्ट, न्यायलयों के कार्य व अधिकार क्षेत्र, पुलिस को सूचना, पुलिस की अन्वेषण की शक्तियॉं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉं, लोकशांति के लिये सुरक्षा और अच्छा व्यवहार हो सकते हैं । या विषय प्रशिक्षक इस आधार पर अन्य शीर्षक बना सकते हैं ।

दूसरा प्रोजेक्ट साक्ष्य अधिनियम के किसी पक्ष से संबधित होगा । इसमें काल्पनिक जप्ती मेमोरंडम (धारा 25 सा.आ.), काल्पनिक कथन, विशेष परिस्थितियों में लिये गये काल्पनिक कथन, अन्य व्यक्त/विशेषज्ञ की राय व इसका महत्व, दस्तावेजी साक्ष्य व उसका महत्व, मौशिक साक्ष्य, साक्षी की भूमिका, साक्षी का परीक्षण आदि शीर्ष हो सकते हैं । इनमें उदाहरण भी शामिल किये जाने चाहिये ।

विषय की सूची – संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।)

- आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया का महत्व
- लोकशांति व्यवस्था बनाये रखने के प्रावधान
- प्रतिबंधात्मक धाराये व कार्यवाही
- शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रावधान तथा प्रतिभूति
- अभिरक्षा तथा गिरफ्तारी
- पुलिस अधिकारियों की विवचेना की शक्तियां
- साक्षियों का परीक्षण
- तालाशी
- जप्ती
- अप्राकृतिक कृत्य तथा कानूनी प्रावधान
- विभिन्न प्रकार की न्यायालयों की शक्त्यिों तथा पद सोपान
- समन्स तथा वारंट
- जमानत तथा मुचलके
- कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उनकी शक्तियां
- अनुसंधान के बाद न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- सुसंगत तथ्य
- मृत्युकालिक कथन
- भौतिक साक्ष्य
- मौखिक साक्ष्य
- दस्तावेजी साक्ष्य
- परिस्थितिजन्य साक्ष्य
- विशेषज्ञ की राय इत्यादि

पेपर - 4
अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण
सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 1 - अपराध अनुसंधान

सत्र - 75 **अंक - 75**

क्र०	विषय
1	थाना स्तर पर अनुसंधान अधिकारी की भूमिका
2	प्रकरणों के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में एसडीओपी की भूमिका,
3	प्रथम सूचना पत्र (एफ.आई.आर.) का पंजीयन एवं उसका महत्व
4	अपराध का परिदृश्य संरक्षण एवं मानचित्र बनाना (नजरी नक्शा)
5	साक्ष्य संग्रहण तथा विशेषज्ञों की सहायता
6	सम्पत्ति की तलाशी, बरामदगी एवं जप्ती (सर्च, रिकवरी एंड सीजर)
7	अनुसंधान के सामान्य सिद्धांत तथा बहुआयामी दृष्टिकोण
8	अनुसंधान में आसूचना की भूमिका
9	साक्षियों का परिक्षण एवं कथनों का अभिलिखित किया जाना
10	केस डायरी (सीडी) लेखन, काल्पनिक केस डायरी का निर्माण
11	विवेचना संबंधी ७ फॉर्म की जानकारी व संधारण
12	अपराध अनुसंधन के बाद चालान/खात्मा/खारजी प्रावधान, प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी - काल्पनिक चालान का निर्माण
13	आरोपी एवं संदेही से पूछताछ
14	आरोपी की गिरफ्तारी तथा गिरफ्तारी प्रक्रिया व प्रावधान, गिरफ्तारी पत्रक का अवलोकन तथा भरा जाना। महिलाओं के गिरफ्तारी। बच्चों के संबंध में प्रावधान। अभिरक्षा व गिरफ्तारी में अंतर। सर्वोच्च न्यायायल के प्रावधान।
15	पुलिस रिमाण्ड तथा ज्यूडिसियल रिमाण्ड, दोनो प्रकार के रिमाण्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा प्रावधान एव आधार। रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत प्रत्रक में आधार व औचित्य क्या, कैसे एवं क्यों, लिखा जाता है।
16	जमानत के प्रावधान, पुलिस के द्वारा जमानत, न्यायालय द्वारा जमानत के संबंध में पृथक-पृथक प्रावधान प्रक्रिया। जमानत मुचलका क्या होता है। जमानत के प्रकार
17	शिनाख्त परेड एवं उसका महत्व
18	अन्य पुलिस थाने से जॉच में समन्वय
19	शरीर संबंधी अपराधों का अनुसंधान
20	सम्पत्ति संबंधी अपराधों का अनुसंधान
21	सड़क दुर्घटनाओं का अनुसंधान
22	सफेद पोश अपराध का अनुसंधान
23	दस्तावेज एवं सिक्कों से संबंधी अपराध का अनुसंधान
24	अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा
25	सम्पूर्ण अनुसंधान योजना का निर्माण (इन्वेस्टीगेशन प्लान)

न्यायालय प्रबंधन

क्र०	विषय
1	पुलिस अनुसंधान के दौरान न्यायालय को भेजी जाने वाली प्रमुख सूचनायें तथा पुलिस अनुसंधान के दौरान अधिवक्ता के अधिकार तथा पुलिस की जिम्मेदारी
2	प्रकरण के विचारण का महत्व
3	न्यायालय के प्रकार एवं प्रक्रिया
4	अभियोग पत्र
5	न्यायालय कैलेंडर एवं फॉलो अप
6	कार्यादेश एवं स्थगन
7	साक्षियों की खोज
8	आरोपी की रिमाण्ड रिपोर्ट व मांग
9	शिनाख्त परेड
10	अभियोजन विभाग से समन्वय
11	समंस तामिली एवं वारंटों का निष्पादन
12	अभियोजन संबंधी अभिलेख
13	लम्बित विचारण प्रकरणों की समीक्षा एवं पुर्ननिरीक्षण
14	निर्णय एवं निर्णय की प्रतिलिपि
15	अपील एवं अपील की प्रक्रिया

पेपर - 4

अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 2 अनुसंधान का पर्यवेक्षण एवं समस्या समाधान

सत्र - 25 **अंक - 25**

क्र.	विषय
1	अनुसंधान में पर्यवेक्षण अधिकारी की भूमिका
2	अपराध अनुसंधान हेतु इन्वेस्टीगेशन प्लान बनाने में सुपरबाईजरी अधिकारी की भूमिका
3	पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकर के अपराधों की विवेचना हेतु पर्यवेक्षण ''चेक लिस्ट'' बनाना तथा पर्यवेक्षण के दौरान उसका संज्ञान लेना।
4	पर्यवेक्षण नोट (सुपरविजन नोट), काल्पनिक सुपरबिजन नोट का निर्माण हत्या, डकैती, सार्वजनिक स्थान पर लूट, नकबजनी, धोखाधड़ी तथा हत्या के प्रयास के प्रकरणों में काल्पनिक सुपरविजन नोट का निर्माण ।
5	विशेष सूचना प्रकरण (स्पेशल रिपोर्ट) स्पेशल रिपोर्ट प्रकरणों मे सुपरविजन नोट लिखने का प्रोफामा तथा ध्यान देने योग्य बातें। सुपरविजन अधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वाहन
6	पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा लिखी जाने वाली क्राईम डायजेस्ट, क्राईम डाइजैस्ट का प्रारूप, किसी अतिथि व्याख्याता एसडीओपी/सीएसपी का व्याख्यान तथा वास्तविक क्राईम डाईजेस्ट का अवलोकन तथा क्राईम डायजेस्ट का पर्यवेक्षण नोट से संबंध।
7	पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अनुसंधनकर्ता को लिखे जाने वाले पत्र रिमाइण्डर्स तथा दिशा निर्देश न पालन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान।

निम्नलिखित स्थितियों में समस्या समाधान तथा अनुसंधानात्मक पर्यवेक्षण -

	निम्नलिखित खण्डों में समस्या का समाधान ऐंसे पैंचीदा परिस्थितियों में किया जाना जहां पर पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह घटना स्थल का निरीक्षण करने, साक्ष्यों के विश्लेषण करने अथवा केस डायरी के अवलोकन व अन्य किसी आधार पर विवेचना अधिकारी को विवेचना की दिशा निर्धारित करने में या बदलने में महत्वपूर्ण निर्देश देता हो। ऐंसी परिस्थिति में पर्यवेक्षण अधिकारी को क्या करना चाहिये इस हेतु ग्रुप डिस्कशन तथा अनुभवी व्याख्याताओं के व्याख्यान निम्न आधारों पर आयोजित किया जाना होंगे।
1	प्रथम सूचना पत्र से संबंधित समस्यायें और उनका निराकरण
2	गिरफ्तारी, जमानत एवं रिमाण्ड से संबंधित समस्यायें और उनका निराकरण
3	तलाशी, बरामदगी व जप्ती संबंधी समस्यायें और उनका निराकरण
4	अभियोग पत्र संबंधी समस्यायें और उनका निराकरण
5	विचारण से संबंधित (त्वरित विचारण) संबंधित समस्यायें और उनका निराकरण
6	अनुकूल और उपलब्ध संसाधनों से संबंधित समस्या का समाधान
7	सामाजिक चेतना के विरूद्ध दबावों की समस्या का समाधान
8	दबावों व प्रभावों के बीच काम करने की समस्या और उसका निराकरण
9	बलात्कार संबंधी अपराध- समस्या और निवारण
10	हत्या संबंधी अपराधों की समस्या का निराकरण
11	दंगे एवं आगजनी से संबंधित अनुसंधान की समस्या का निराकरण
12	छल संबंधी अपराधों की समस्या का निराकरण
13	धोखा धड़ी के अपराधों के अनुसंधान की समस्या का निराकरण

न्यायालय से संबंधित मुद्दो का प्रबंधन :-

1	उप पुलिस अधीक्षक के समक्ष जिला एवं उच्च न्यायालय से संबंधित मुद्दे
2	अपराध एवं अपराधी संबंधी अभिलेखों का महत्व
3	अपराध एवं अपराधी संबंधी अभिलेखों के प्रकार
4	अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी में आपराधिक अभिलेख का विश्लेषण व उपयोग
5	अपराध अभिलेख का कम्प्युटरीकरण एवं महत्व (विवेचना के ७ फॉर्म, डीसीबारबी, एससीआरबी, सीपा सॉफ्टवेयर)
6	लोक व्यवस्था एवं यातायात से संबंधित अभिलेख और उनका संधारण
7	अभिलेखों का निरीक्षण, सुरक्षा एवं नष्टीकरण

प्रोजेक्ट वर्क

पेपर 4
अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से तथा दूसरा भाग २ से होगा ।

पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से होगा जिसमें अपराध अनुसंधान के किसी महत्वपूर्ण पक्ष से होगा जिसमें अनुसंधान की गहरी समझ को परख जा सके । प्रशिक्षणार्थी को एक काल्पनिक अपराध की केस डायरी लिखकर प्रस्तुत करनी होगी । इस डायरी में एफ.आई.आर., विवेचना के 7 फॉर्म (प्रकरण अनुसार) और अंतिम प्रतिवेदन प्रपत्र शामिल रहेंगे ।

दूसरा प्रोजेक्ट अपराध के पर्यवेक्षण का होगा । इसमे किसी काल्पनिक गंभीर अपराध का सुपरविजन नोट होगा। विशेष प्रतिवेदन प्रकरण के सुपरविजन नोट हेतु प्रदेश में प्रचलित प्रारूप में ही यह नोट बनाया जायें।

विषय की सूची - संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।

- अनुसंधान करने के क्रमवार प्रक्रिया
- अनुसंधानकर्ता अधिकारी के कर्तव्य
- प्रथम सूचना लेख करना
- चालान पेश करना
- खात्मा व खारजी प्रकरण
- वित्तीय मामलों के अनुसंधान
- विभिन्न प्रकार की जमानत के प्रावधान
- अनुसंधान प्रक्रिया में अभियोजन का महत्व
- अनुसंधान प्रक्रिया में अधिवक्ता के अधिकार तथा महत्व
- शिनाख्तगी परेड
- सफेदपोश अपराधों के अनुसंधान
- प्रश्नास्पद दस्तावेज
- आपराधिक असूचना तथा अपराध अनुसंधान
- इन्टेरोगेशन टेक्नीक्स
- पर्यवेक्षण अधिकारी के कार्य
- पर्यवेक्षण अधिकारी की क्राईम डाईजेस्ट
- पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा अनुसंधान प्रक्रिया में दिशा निर्देश
- आपराधिक रिकार्ड का कम्प्यूटराईजेशन
- स्पेशल रिपोर्ट प्रकरण

पेपर - 5
विधि विज्ञान (फोरंसिक साइंस)
सत्र - 100, अंक – 100

भाग - 1 विधि विज्ञान एवं अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता

सत्र - 60 **अंक - 60**

क्र०	विषय
1	प्रकरण के अनुसंधान में विधि विज्ञान का महत्व
2	विधि विज्ञान का विस्तार एवं संभावनाएँ (स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज)
3	अपराध के परिदृश्य का संरक्षण एवं परीक्षण, सिद्धांत एवं संभावना
4	भौतिक साक्ष्य का संग्रहण
5	अंगुल चिन्ह (फिंगर प्रिंट्स)
6	हथेली के चिन्ह एवं पद चिन्ह (पाम प्रिंट्स एंड फुट प्रिंट्स)
7	मानव शरीर से संबद्ध साक्ष्यों की पहचान, उपयोग व परीक्षण- हड्डियॉं, रेशे, बाल, सीमन, रक्त एवं रक्त चिन्हों, लार, उतक, डीएनए एवं कोशिका, कंकाल, चमड़ी तथा कोशिकाओं के फोटोग्राफ आदि
8	वनस्पति एवं वनस्पति उत्पाद से संबद्ध साक्ष्यों की पहचान, उपयोग व परीक्षण- पराग, पत्ती, फूल, छाल, रस एवं बीज आदि
9	अन्य साक्ष्यों की पहचान, उपयोग व परीक्षण- मिट्टी, कीचड एवं धूल, कांच, पॉलिश, टुकड़े व उपेक्षित वस्तुएँ, प्रसाधन, सीमेन्ट, विस्फोटक सामग्री, आग
10	शराब, ताड़ी व मादक पदार्थ, मनोत्तेजक वस्तुएँ,
11	विस्फोट के अवशेष की पहचान, उपयोग व परीक्षण
12	आग्नेय शस्त्र, कारतूस, गोलियॉं, छर्रे एवं भराव, फायरिंग से प्रभावित वस्तु
13	ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल
14	जहर एवं जहरीले पदार्थ, एल्कोहल
15	हस्तलिपी मिटाना, पोंछना, बदलना
16	ओवर-राइटिंग, गुप्त लेखन, टंकण, मुद्रा प्रभाव (सील प्रभाव) कार्बन प्रति, छायाप्रति आदि
17	शव की शिनाख्त
18	इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स- कम्प्युटरीकृत पॉलीग्राफ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम), वायस एनालाईलर, ब्रेथ एनालाईजर, लाई डिटेक्टर,
19	नारकोटेस्ट प्रक्रिया, डीएनए, फिंगर प्रिटिंग
20	कम्प्युटराईज्ड ध्वनियॉं
21	स्ट्रेस एनालाइजर (सीवीएसए) डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम (डीआईपीएस)
22	टायरों के चिन्ह एवं सड़क चिन्ह, टायर चिन्हों के संबंध में अपराध साक्ष्य का महत्व तथा विभिन्न प्रकार के टायर चिन्हों को समझना दिशा दूरी इत्यादि का संज्ञान कैसे लिया जाता है इस संबंध में चर्चा तथा केस स्टडी
23	एक्सीडेण्ट प्रकरणों में जूटाये जाने वाले भौतिक साक्ष्याक्या हो सकते हैं उस पर परिचर्चा
24	विभिन्न प्रकार के अपराधों में भौतिक साक्ष्या संकलन करने की वास्तविक कार्यवाही, केस स्टडी का प्रदर्शन करना। विशेषकर ऐंसे प्रकरण जिनमें वास्तविक उदाहरण से यह स्पष्ट किया जा सके कि भौतिक साक्ष्यों के संग्रहण के आधार पर अपराध प्रमाणित हो सका।

पेपर - 5
विधि विज्ञान (फोरंसिक साइंस)
सत्र - 100, अंक – 100

भाग - 2 न्यायिक चिकित्सा विज्ञान (फोरेन्सिक मेडीकल)

सत्र - 40 **अंक - 40**

क्र०	विषय
1	न्यायिक चिकित्सा विज्ञान का महत्व एवं संभावनाएँ
2	अपराध-दृश्य तथा विधिक चिकित्सकीय साक्ष्य (मेडिको लीगल एविडेंस) का संग्रहण
3	चोट तथा चोट के प्रकार, चोट की अवधि का निर्धारण, चोट के प्रकार के आधार पर दाण्डिक धाराओं का निर्धारण। चोट के प्रकार को समझने का महत्व। चोट का आकार, प्रकार, लंबाई, गहराई, चौड़ाई, रंगत इत्यादि पर विशेष जानकारी। ट्रेनिंग फिल्मों के माध्यम से, स्लाईड के माध्यम से तथा फोटोग्राफ के माध्यम से व्यख्यान। आलाजरव - अपराध में उपयोग में लाया जाने वाला हथियार/उपकरण तथा उसका चोट से मिलना। कपड़े पर फटने के व चोट के निशान तथा कपड़े के आधार पर चोट का मिलान तथा प्रमाणीकरण
4	चोटों का स्वयं द्वारा निर्मित करना- सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इन्ज्यूरी तथा इसका कानूनी महत्व।
5	एमएलसी फार्म का भरा जाना, एमएलसी रिपोर्ट का अध्ययन, एमएलसी रिपोर्ट में प्राप्त ओपेनियन का कानूनी महत्व, एक्सरे रिपोर्ट का पढ़ा जाना तथा उसके आपेनियन का कानूनी महत्व, पुरानी एमएलसी रिपोर्ट की छायाप्रतियों को प्राप्त कर उन्हें प्रशिक्षुओं को अध्ययन हेतु दिया जाना। एमएलसी फार्म को काल्पनिक रूप से भरकर प्रशिक्षुओ ंको अभ्यास कराना। एमएलसी रिपोर्ट पर क्यूरी। डॉक्टर से पुनर प्रश्न करना तथा उसका कानूनी महत्व तथा विवचेक के जानने के अधिकार। चिकित्सा विशेषज्ञ का न्यायालय में परीक्षण ।
6	एन्टीमोर्टम तथा पोस्टमार्टम चोंटें - मृत्यु के पूर्व तथा मृत्यु के उपरांत की चोटें।
7	एसपिक्सिया डेथ- दम घुटने से होने वाली मृत्यु - हत्या (होमीसाइड), आत्म हत्या (सुसाइड), दुर्घटना वश (एक्सीडेंट)- फांसी द्वारा, गला दबाना, दम घुटना, डूबने आदि के मृत्यु प्रकरण, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के प्रकरण में जॉच।
6	मृत्यु के विभिन्न कारण
7	पोस्टमार्डम एक्जामिनेशन रिपोर्ट, विभिन्न फार्म तथा भरे जाने की प्रक्रिया
8	हत्या के समय का अनुमान,
9	घावों का वर्गीकरण
10	यौन अपराधों का विधिक चिकित्सा शास्त्रीय पहलू
11	रासायनिक एवं विष प्रकरणों का विधिक चिकित्सा शस्त्रीय पहलू
12	आग्नेय शस्त्र के घावों के फलस्वरूप हुई मृत्यु/चोटों का विधिक चिकित्सा शास्त्रीय पहलू
13	वाहन दुर्घटना के घावों के फलस्वरूप हुई मृत्यु/चोटों का विधिक चिकित्सा शास्त्रीय पहलू
14	डायटम टेस्ट, विसरा का परीक्षण तथा महत्व, आयु जानने के लिये परीक्षण तथा महत्व डॉक्टर के द्वारा अन्य परीक्षण तथा महत्व।
15	चिकित्सा विशेषज्ञ का साक्ष्य तथा इसका कानूनी महत्व।
16	विभिन्न प्रकार के न्यायिक चिक्सिा विज्ञान संबंधी साक्ष्यों के संकलन के आधार पर अपराधों के प्रमाणीकरण तथा अनुसंधान की परिस्थितियों के संबंध में वास्तविक प्रकरणों की केस स्टडी के माध्यम से अध्यापन तथा परिचर्चा ।

प्रोजेक्ट वर्क

पेपर क्रमांक – 05
विधि विज्ञान
(1) विधि विज्ञान एवं अन्वेषण में वैज्ञानिक सहायता
(2) विधि चिकित्सा ;वितमदेपब उमकपबपदमद्ध

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से तथा दूसरा भाग 2 से होगा ।

पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से होगा जिसमें विधि विज्ञान के किसी व्यवहारिक पक्ष से होगा। इसमें एक कृत्रिम घटनास्थल का निर्माण किया जाकर प्रशिक्षणार्थियों से भौतिक साक्ष्यों को पहचानने और घटना के संबंध में प्रश्नोत्तर (वायवा) के माध्यम से मूल्यांकित किया जा सकता है । यह कार्य विधि विज्ञान विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा ।

दूसरा प्रोजेक्ट फोरेंसिक मेडिसिन से संबंधित होगा । इसमें किसी कृत्रिम घटना में फोरेंसिक मेडिसिन से संबंधित साक्ष्य, शरीर संबंधी अपराध या आत्महत्या या हत्या के प्रकरण में मर्ग जॉच आदि शामिल हो सकते हैं । इसी प्रकार प्रशिक्षणार्थियों से कोई एम.एल.सी. फॉर्म भरवाकर चोटों के आधार पर डॉक्टर द्वारा दी गयी राय को ध्यान में रखते हुये कौन सी धाराओं का अपराध कारित होता है यह भी पूछा जा सकता है ।

विषय की सूची –

संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।

- हत्या का घटना स्थल
- हत्या के प्रयास का घटना स्थल
- डकैती का घटना स्थल
- फांसी से लटकी हुई लाश का घटनास्थल
- खेत किनारे पड़ी हुई अज्ञात लाश का घटना स्थल
- नकबजनी का घटनास्थ्ल
- जीप व कार के एक्सीडेण्ट का घटनास्थल
- दहेज हत्या (जल कर मरने की) घटना का घटना स्थल
- चोटे के प्रकार जानने हेतु स्लाईडों का दिखाया जाना
- एमएलसी रिपोर्ट का प्रदर्शन तथा इंटरप्रीटेशन
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्रदर्शन तथा इंटरप्रीटेशन
- काल्पनिक केस स्टडी का वाचन तथा उस पर आधारित प्रोब्लम क्वेश्चन्स

पेपर - 6

पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा थाना प्रबंधन एवं निरीक्षण

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 1 थाना प्रबंधन

सत्र - 60 **अंक - 75**

क्र०	विषय
1	"पुलिस थाना"- पुलिस व्यवस्था की धुरी
2	पुलिस थाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता एवं पुलिस अधिनियम के प्रावधान
3	थाना स्तर पर थाना प्रभारी एवं अन्य कर्मचारियों की भूमिका
4	पुलिस थाने के दैनंदिन कार्य/दिनचर्या
5	पुलिस थाने में दैनिक गणना तथा महत्व
6	पुलिस थाने के विभिन्न अधिकारी तथा उनके कार्यों का विश्लेषण
7	पुलिस थाने के अभिलेख एवं प्रविष्टियॉ
8	बीट योजना, गठन एवं महत्व
9	दिन में बीट- पेट्रोलिंग
10	रात्रि में बीट पेट्रोलिंग ड्युटी, नाकाबंदी, कॉम्बिंग आदि
11	समंस तामीली, वारंट तामीली तथा संबंधित अभिलेखों का संधारण
12	ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण- गॉवों का वर्गीकरण
13	असामाजिक तत्वों व अपराधियों की चेकिंग तथा संबंधित अभिलेखों का संधारण
14	यातायात ड्युटी, यातायात नियमों का पालन करवाना
15	स्थानीय जॉच तथा सत्यापन
16	अपराधिक दृश्य का भ्रमण, भौतिक साक्ष्य का एकत्रीकरण
17	अनुसंधानकर्ता अधिकारी को अनुसंधान में सहयोग
18	प्रकरणों का पंजीयन एवं अन्वेषण
19	वाहन की चेकिंग, तलाशी, बरामदगी एवं जप्ती प्रक्रिया तथा अभिलेख
20	कॉर्डन, घेराबंदी तथा रेड कार्यवाही
21	थाने में रेड की कार्यवाही का आयोजन तथा क्रियान्वयन
22	संस्थागत सेवाऍं, पोस्ट सुरक्षा गार्ड, एस्कार्ट, पीएसओ आदि
23	न्यायालयीन ड्यूटी
24	स्वागत एवं वार्ता, टेलीफोन, रेडिया/वायरलेस संदेश
25	गश्त ड्युटी वाहन में रहते हुये आसूचना संकलन
26	अभिलेखों का संधारण, मैन्यूअली एवं कम्प्युटर से
27	बंदोबस्त ड्युटी तथा बदोबस्त योजना
28	सामुदायिक पुलिसिंग एवं सामुदायिक गतिविधियॉ
29	एनजीओं / अशासकीय सामाजिक संस्थाओं का भ्रमण
30	पुलिस थाना और उसका एसडीओपी कार्यालय का संबंध
31	थाने को मिलने वाले विभिन्न अनुदान-कैदी खुराक, साक्षियों व फरियादियों का भत्ता, स्टेशनरी खर्च परमानेन्ट एडवांस अन्य आवंटन। इस संबंध में विगत वर्षों में पारिस सक्रुलरर्स का अध्ययन कर उनका समावेश किया जाये ताकि अद्यतन स्थिति में नियम क्या है, उसकी जानकारी प्रदान की जा सके।
32	चरित्र सत्यापन की कार्यवाही, पासपोर्ट बैरीफिकेशन इत्यादि ।
33	थाने पर तैयार कियो जाने वाले पाक्षिक व मासिक नक्शे
34	जनता पुलिस संबंध, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, मध्यप्रदेश के विशेष प्रयोग - नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति, ट्रेफिक वार्डन सिस्टम, पुलिस बाल मित्र योजना, परिवार परामर्श केन्द्र।
35	सामुदायिक पुलिस एवं अपराधों की रोकथाम
36	विशेष थाने-अजाक, महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क, जीआरपी थाना, सायबर अपराध का थाना, नारकोटिक्स थाना इत्यादि।

पेपर - 6

पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा थाना प्रबंधन एवं निरीक्षण

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 2 पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण

सत्र - 40 **अंक - 25**

क्र०	विषय
1	थाने का निरीक्षण
2	निरीक्षण की मॉक रिपोर्ट तैयार करना
3	अपराध संबंधी निरीक्षण
4	मानव संसाधन संबंधी निरीक्षण
5	अभिलेख संबंधी निरीक्षण
6	संसाधन संबंधी निरीक्षण
7	समस्त अपेक्षाओं का तुलनात्मक निरीक्षण
8	एसडीओपी कार्यालय की डायजेस्ट
9	एसडीओपी कार्यालय के द्वारा थानों को जारी किये गये निर्देश तथा निर्देशों के पालन की समय सीमा का निर्धारण निर्देशों के पालन की मानीटरिंग तथा पालन न करने की स्थिति में कार्यवाही।
10	थाने के कार्यसंचालन में एसडीओपी की भूमिका तथा थाने की कार्यकारी स्वतंत्रता में के संबंध में नीति तथा समन्वय।
11	थाने का आकस्मिक निरीक्षण तथा रोजनामचा में एसडीओपी द्वारा दर्ज की जाने वाली प्रविष्टियां, आकस्मिक निरीक्षण नोट तथा उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी

पर्यवेक्षण अधिकारी के निम्नांकित विषयों पर अनुभव आधारित व्याख्यान व चर्चा

क्र०	विषय
1	अपराधों की रोकथाम संबंधी अनुभव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के कर्तव्य।
2	अपराधों की पतासाजी का अनुभव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के कर्तव्य।
3	लोक व्यवस्था बनाने का अनुभव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के कर्तव्य।
4	यातायात नियम एवं उन्हे लागू कराने का अनुभव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के कर्तव्य।
5	न्यायालयीन कार्य का अनुभव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के कर्तव्य।
6	थाने के कार्य के पर्यवेक्षण एवं संसाधनों के उपयोग का अनुभव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के कर्तव्य।
7	अभिलेखों के उपयोग का अनुभव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के कर्तव्य।
8	एसडीओपी कार्यालय की संगठनात्मक संरचना तथा एसडीओपी कार्यालय के माध्यम से थाने पर नियंत्रण। एसडीओपी कार्यालय से भेजे जाने वाले विभिन्न पत्र व रिमाईन्डर। एसडीओपी कार्यालय में आयोजित सबडिविजिनल बैठकें तथा उससे संबंधित नक्शे। एसडीओपी एक अच्छे मैनेजर के रूप में। एसडीओपी एक अच्छे स्क्रुटनीकर्ता अनुसंधानकर्ता अधिकारी के रूप में। एसडीओपी का अन्य सब डिविजनल से समन्वय तथा जिला स्तर पर समन्वय।
9	एसपी कार्यालय में क्राईम बैठक,
10	एसपी कार्यालय, कंट्रोल रूम तथा रेंज स्तर के कार्यालय का थाने पर नियंत्रण तथा एसडीओपी का इस संबंध में सबडिविजन के थानों के नियंत्रण के प्रति वरिष्ठ कार्यालयों के समक्ष उत्तरदायित्व।

प्रोजेक्ट वर्क
पेपर 6
पुलिस थाना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से तथा दूसरा भाग 2 से होगा ।

पहले प्रोजेक्ट हेतु उदाहरण- थाने में रखे जाने वाले रजिस्टर्स, थाने में विभिन्न पदाधिकारी एवं उनके कार्य, उनकी भूमिका, संगठनात्मक चार्ट, थाने का काल्पनिक बीट चार्ट, सम्मन वारंट का प्रोफॉर्मा बनवाना-भरवाना, तामीली के संबंध में रिपोर्ट, दुश्चरित्रों की निगरानी व संबंधित अभिलेख, संदिग्ध रजिस्टर व उसका महत्व, थाना प्रभारी की भूमिका, कोर्ट मोहर्रिर की भूमिका, अपराध नियंत्रण में थाने की भूमिका, थाने में दैनिक कार्य, एक आम शहरी थाने का वक्र प्लान या कोई अन्य संबंधित शीर्षक आदि ।

दूसरा प्रोजेक्ट थाने के निरीक्षण में पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी की भूमिका से संबंधित होगा । इसमें अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के रूप में किसी काल्पनिक थाने का निरीक्षण नोट/प्रतिवेदन बनवाया जा सकता है । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने निरीक्षण नोट में थाने के अलग अलग पक्ष का कवर करेगा ।

विषय की सूची - संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।

- थाने में रखे जाने वाले रजिस्टर्स,
- थाने में विभिन्न पदाधिकारी एवं उनके कार्य, उनकी भूमिका,
- संगठनात्मक चार्ट,
- थाने का काल्पनिक बीट चार्ट,
- सम्मन वारंट का प्रोफॉर्मा बनवाना-भरवाना,
- तामीली के संबंध में रिपोर्ट,
- दुश्चरित्रों की निगरानी व संबंधित अभिलेख,
- संदिग्ध रजिस्टर व उसका महत्व,
- थाना प्रभारी की भूमिका,
- कोर्ट मोहर्रिर की भूमिका,
- अपराध नियंत्रण में थाने की भूमिका
- थाने में दैनिक कार्य, एक आम शहरी थाने का वक्र प्लान या कोई अन्य संबंधित शीर्षक आदि
- पर्यवेक्षण अधिकारी की भूमिका
- क्राईम डाईजेस्ट
- स्पेशल रिपोर्ट केस
- वरिष्ठ अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण
- वरिष्ठ अधिकारी द्वारा थाने का निरीक्षण
- थाने की गणना
- वरिष्ठ अधिकारी द्वारा थाने को भेजे जाने वाले प्रपत्र
- पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा पाक्षित तथा मासिक नक्शे
- जिले में अपराध बैठक

पेपर - 7

अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, आसूचना, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 1 - अपराधों की रोकथाम

सत्र - 20 **अंक - 20**

क्र०	विषय
1	अपराध के रोकथाम की अवधारणा-तरीके एवं रणनीति
2	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बीट व्यवस्था, अपराधिक बीट योजना
3	तैनाती
4	गश्त एवं फिक्स पाइंट
5	बीट चेकिंग एवं पर्यवेक्षण
6	अपराधियों की चेकिंग
7	समग्र तुलनात्मक अपराध नियंत्रण एवं उपलब्ध संसाधनों का पर्यवेक्षण
8	डकैती एवं लूट की घटनाओं पर नियंत्रण
9	संगठनात्मक अपराधों पर नियंत्रण
10	विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम हेतु प्रयास-वाहन चोरी के संबंध मे, महिलाओं की छेड़छाड़ के संबंध में, चेन स्नेचिंग के संबंध में, रास्ता रोककर लूट किये जाने के संबंध मे, बैंक डकैती के विशेष संदर्भ में, पेट्रोल पम्प की लूट के विशेष संदर्भ में,
11	आपराधिक गैंग पर कार्यवाही के विशेष संदर्भ में रोकथाम के उपाय। विभिन्न प्रकार के आपराधिक गैंग के संबंध में।
12	हिस्ट्रीशीट, सजायाब रजिस्टर, संदिग्ध रजिस्टर, गुण्डा रजिस्टर, अल्फाबेटिकल रजिस्टर में अंतर तथा प्रत्येक रजिस्टर में दर्ज होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधियों की आपराधिक पृवृत्ति पर रोक के प्रयास तथा पुलिस कार्यवाहियां। विभिन्न रजिस्टरों के प्रोफार्मों के रजिस्टर का अवलोकन।
13	इंडेक्स टू हिस्ट्रीशीट तथा एमएएमएस। एसडीओपी के द्वारा लिखी जाने वाली टीप।
14	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, कानूनी प्रावधान तथा उपयोग में ली जाने वाली प्रक्रिया। विभिन्न धाराऐं के विशेष संदर्भ में, थाने की कार्यवाही के विशेष संदर्भ में। जिला बदर (एनएसए) की कार्यवाही
15	असपास के जिलों व प्रदेशों में घटने वाली घटनाओं का अपराध की रोकथाम के प्रयासों मे महत्व
16	क्रिमिनल इंटेलीजेन्स तथा आपराधिक असूचना संकलन का अपराध की रोकथाम में महत्व, केस स्टडी के माध्यम से प्रशिक्षण।
17	जिलें/शहर मे एक सनसनीखेज आपराधिक घटना घटने के बाद अन्य घटनाओं को रोकने हेतू तात्कालिक प्रयास। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का महत्व, वरिष्ठ अधिकारियों के इस संबंध में लगातार दिशा निर्देशों के जारी करने पर फालोअप करने का महत्व, कंट्रोल रूम का महत्व, वायरलेस सेट की भूमिका।

पेपर - 7

अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, आसूचना, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 2 सुरक्षा

सत्र - 20 **अंक - 20**

क्र०	विषय
1	सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत
2	धमकियों की अवधारणाओं का आंकलन
3	सुरक्षा एवं गार्ड ड्युटी
4	व्हीआईपी सुरक्षा-व्हीआईपी सुरक्षा के विशेष सिद्धान्त एक्सेज कंट्रोल- प्रवेश नियंत्रण, सुरक्षा घेरे, आईसोलेशन कार्डन, इन कार्डर तथा आउटर कार्डर के विशेष संदर्भ में । ब्लू बुक तथा उसका महत्व एएसएल - एडवांश सेक्यूरिटी लाईजनिंग तथा विभिन्न एजेन्सियां। हैलीपेड व्यवस्था मार्ग व्यवस्था, कैम्प व्यवस्था, सभास्थल व्यवस्था, सेफ हाउज व्यवस्था तथा व्हीआईपी कारकेट व्हीआईपी सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियां व्हीआईपी सुरक्षा की केस स्टडीज के माध्यम से प्रशिक्षण।
5	सुरक्षा व्यवस्था में लगी विभिन्न एजेन्सियां।
	असूचना संकलन तथा पुलिस व्यवस्था
6	बंदोबस्त योजना तथा विभिन्न प्रकार के सुरक्षा इंतजाम मेले, त्यौहार तथा जूलूस के समय सुरक्षा इंतजाम धार्मिक स्थल पर सुरक्षा इंतजाम भगदड़ की संभावना तथा सुरक्षा इंतजाम जन आक्रोश की संभावना तथा सुरक्षा इंतजाम केस स्टडी के माध्यम से प्रशिक्षण - महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, इंदौर में गणपति विर्सजन जूलूस की सुरक्षा व्यवस्था, ताजिये के जूलूस की सुरक्षा व्यव्यवस्था, नवदुर्गा महोत्सव के जूलूस की सुरक्षा व्यवस्था, अन्य गैर धार्मिक जूलूसों, गैर धार्मिके आयोजन जैसे मनोरंजनात्मक अयोजन, बड़े क्रिकेट मेंच, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियों के डांस शोज इत्यादि के समय सुरक्षा व्यवस्था आदि केस स्टडी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
7	संवेदनशील सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सूची का निर्माण, उसके सुरक्षा व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी व सतत मानीटरिंग की आवश्यकता, प्रतिष्ठानों की निजी सुरक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण, संवेदनशील सुरक्षा संस्थानों को सुरक्षा सटिफिकेट जारी किये जाने के पुलिस अधिकारियों हेतु प्रावधान तथा एक्सपर्ट की रिपोर्ट का महत्व।
8	धमकी प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा,
9	सुरक्षा ड्युटी हेतु योजना एवं तैनाती
10	निजी सुरक्षा एजेन्सियां तथा उन पर नियंत्रण, निजी सुरक्षा एजेन्सियों के गार्डों का सत्यापन ।
11	विदेशी नागरिक- रजिस्ट्रेशन एंड वॉच
12	दस्तावेज एवं सूचनाओं का संरक्षण
13	सिक्योरिटी आडिट तैयार करने की जिम्मेदारी
14	भारत मे आतंकवाद तथा सुरक्षा कारक विश्व में आतंकवाद तथा सुरक्षा कारक 11/19 न्यूयार्क तथा 26/11 मुंबई में आतंकी हमला केस स्टडी
15	भारत में नक्सलवाद तथा सुरक्षा कारक
16	समूह परिचर्चा तथा केस स्टडी के माध्यम से प्रशिक्षण

पेपर - 7

अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, आसूचना, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 3 निगरानी एवं आसूचना संकलन

सत्र - 20 **अंक - 20**

क्र०	विषय
1	निगरानी, उद्देश्य एवं विषय वस्तु
2	निगरानी की तकनीक
3	सम्पत्ति संबंधी अपराधियों की निगरानी व चेकिंग
4	असमाजिक तत्वों की निगरानी व चेकिंग
5	संदेही एवं विदेशियों की निगरानी
6	पूछताछ के दौरान निगरानी एक औजार के रूप में
7	आसूचना संकलन कला एवं कौशल, असूचना का कौशल क्या होता है, सोर्स बनाना क्या होता है। टारगेट क्या हेाता है। टारगेट के संबंध में असूचना तथा असूचना तंत्र की व्यवस्था, मुखबिरों का निर्माण तथा असूचना की मर्यादायें, असूचना संकलन के समय अधिकारियों को दिशा निर्देश व नियंत्रण। असूचना तंत्र में अपचारी कर्मचारियों का होने से हानियां तथा नियंत्रण के प्रावधान।
8	असूचना संकलन करने वाली विभिन्न एजेन्सियां तथा उनकी भूमिका। थाने की असूचना संकलन करने की जिम्मेदारियों तथा विभिन्न एजेन्सियों से समन्वय।
9	सम्पत्ति संबंधी अपराधियों का आसूचना संकलन
10	असमाजिक तत्वों का आसूचना संकलन
11	असूचना संकलन के प्रकार, राजनैतिक, सामान्य, कर्मचारी, छात्र, सामाजिक समूह, धार्मिक समूह, साम्प्रदायिक समूह, अन्य विशिष्ट वर्गों के समूह का असूचना संकलन।
12	असूचना संकलन संबंधी दस्ताबेज तथा रिकार्ड
13	जिला विशेष शाखा तथा विशेष शाखा में अंतर तथा महत्व।
14	केस स्टडीज के माध्यम से असूचना संकलन संबंधी प्रशिक्षण

पेपर - 7

अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, आसूचना, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन

सत्र - 100, अंक - 100

भाग - 4 कानून एवं लोक व्यवस्था बनाना

सत्र - 20 अंक - 20

क्र०	विषय
1	लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था संरक्षण की अवधारणा एवं महत्व
2	भीड़ नियंत्रण का सिद्धांत एवं प्रतिक्रियात्मक रणनीति
3	रोकथाम की प्रतिबंधात्मक तुलनात्मकता, आसूचना संकलन, दैनंदिनी तुलनात्मकता, भीड़ के व्यवहार का विश्लेषण, परामर्श एवं संप्रेषणीयता
4	बल का उपयोग, दंगों के समय फायरिंग एवं दंगा नियंत्रण योजना
5	बड़े पैमाने पर बंदोबस्त एवं बंदोबस्त योजना
6	बल की तैनाती एवं गतिशीलता
7	साम्प्रदायिक नियंत्रण, चैकिंग एवं पर्यवेक्षण
8	अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती
9	साम्प्रदायिक उपद्रव के समय खोज (काम्बिंग)
10	आतंकवादी एवं विद्रोहियों की खोज (काम्बिंग)
11	संस्थागत अपराधियों की खोज (काम्बिंग)
12	कानून एवं व्यवस्था का अभिलेख, कानून व्यवस्था की स्थिति के निर्णाण के बाद रोजनामचा लेखन, एफआईआर लेखन, वरिष्ठ अधिकारियो को भेजे जाने वाली रिपोर्ट का लेखन तथा अपेक्षित सावधानियां।
13	कानून व्यवस्था के दौरान प्रेस की भूमिका (नकारात्मक एवं सकारात्मक दोने संदर्भ में)
14	कानून व्यवस्था की ड्यूटी के समय अपवाहों की भूमिका
15	कानून व्यवस्था की ड्यूटी के समय पुलिस अधिकारी की निष्पक्षता का महत्व ।
16	कानून व्यवस्था के दौरान पुलिस फोर्स के समस्त कर्मचारियों की गंभीरता का महत्व तथा प्रत्येक कर्मचारी व नियंत्रण व मर्यादा से कार्यवाही करने का महत्व।
17	गुण्डों एवं असमाजिक तत्वों का अभिलेख, गश्त एवं पिकेट
18	असमाजिक तत्वों की निगरानी एवं चेकिंग
19	अभिलेखों एवं आधारभूत संरचना का विश्लेषण, अभिलेखों का कम्प्युटरीकरण
20	केस स्टडी के माध्यम से प्रशिक्षण जिसमें पूर्व में दंगों के सफल नियंत्रण अथवा पुलिस फायरिंग के प्रकरणों में या ऐंसे अन्य वास्तविक प्रकरणों के संबंध में समूह चर्चा कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

पेपर – 7

अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, आसूचना, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन

सत्र – 100, अंक – 100

भाग – 5 यातायात प्रवंध

सत्र – 10 **अंक – 10**

क्र०	विषय
1	यातायात प्रबंधन के सिद्धांत एवं नियम
2	यातायात नियम, विनियमन एवं प्रवर्तन
3	यातायात यान्त्रिकी (ट्रैफिक इंजीनियरिंग)
4	अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय
5	मोटर व्हीकल एक्ट १९८८, एवं रेगुलेशन
6	यातायात शिक्षा और जागरूकता
7	यातायात बीट और गश्त
8	यातायात सर्वेक्षण
10	यातायात संबंधी अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का महत्व
11	आघात सुरक्षा (ट्रॉमा केयर)- दुर्घटना की स्थिति में त्वरित राहत

प्रश्न पत्र – 7

अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, आसूचना, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन

सत्र – 100, अंक – 100

भाग –6 आपदा प्रबंधन

सत्र – 10 **अंक – 10**

क्र०	विषय
1	आपदा क्या है ? आपदा के प्रकार- प्राकृतिक व मानव निर्मित, दुर्घटनायें आदि
2	प्राकृतिक आपदायें- चक्रवात्, बाढ़, भूकम्प, सूखा, महामारी आदि
3	मानव निर्मित आपदायें- विस्फोट, आगजनी, रासायनिक रिसाव आदि
4	दुर्घटनायें- सड़क, रेल, वायु दुर्घटनाएँ, बस/रेल का नदी में डूबना आदि
5	आपदा की स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया, उत्तरदायित्व एवं रणनीति
6	पुलिस कार्य- इवेक्युएशन (स्थान खाली कराना) तथा अग्निशमन
7	अन्य विभागों के साथ समन्वय
8	राहत और आवश्यक सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना
9	राहत एवं बचाव कार्य की योजना तथा कार्य करना
10	प्राथमिक चिकित्सा- तरीका और महत्व । विभिन्न स्थितियों में जैसे- अस्थि भंग, घावों, मूंदी चोट या नील चोट और छिला हुआ घाव की ड्रेसिंग व पट्टी बांधने का तरीका, घायल को ले जाना, कृत्रिम श्वांस, द गोल्डन ऑवर प्रिंसीपल(ट्रॉमा केयर) आदि
11	दम घुटने एवं डूबने के प्रकरणों में कृत्रिम श्वसन
12	सप्र दंश एवं विष के प्रकरण में प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग
13	जलने के केस में आग्नेय बचाव में प्राथमिक चिकित्सा का महत्व तथा अग्नि से घिरे लोगों को निकालने में प्राथमिक चिकित्सा
14	बाढ, चक्रवात्, भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिती में प्राथमिक चिकित्सा
15	पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा का महत्व तथा विद्युत संघात की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा
16	सभी का व्यवहारिक प्रदर्शन एवं करके देखना

प्रोजेक्ट वर्क
पेपर 7
अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा । पहला प्रोजेक्ट भाग 1, 2 या 3 से तथा दूसरा भाग 4, 5 या 6 से होगा ।

पहले प्रोजेक्ट में आरंभिक 3 भागों से संबंधित शीर्षक विषय के प्रशिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन के लिये तय किये जा सकेंगे ।

दूसरे प्रोजेक्ट के लिये भाग 4, 5 या 6 से संबंधित शीर्षक विषय के प्रशिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट के लिये तय किये जा सकते हैं। इसमें संगठनात्मक चार्ट या फ्लो डज्ञयग्राम और फिर उनपर प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है ।

विषय की सूची - संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।

- निगरानी तथा निगरानी पंजी
- असूचना संकलन हेतु मुखबिर का निर्माण
- आपराधिक असूचना संकलन
- राजनैतिक असूचना संकलन,
- साम्प्रदायिक असूचना संकलन
- कर्मचारियों के संबंध में असूचना संकलन
- जिला विशेष शाखा की भूमिका
- विशेश शाखा की भूमिका
- व्हीआईपी का कारकेट
- एक्सेज कंट्रोल
- सुरक्षा के घेरे
- बीट व्यवस्था तथा असूचना
- सिक्योरिटी आडिट
- ट्रेफिक चिन्हों की पहचान
- ट्रेफिक इंजीनियरिंग तथा ट्रेफिक उल्लंघन
- एमव्ही एक्ट के अंतर्गत आपराधिक धारायें
- मानव निर्मित आपदा
- पुलिस कार्य हेतु फर्स्ट एड का महत्व
- आपदा प्रवंधन तथा संसाधनों को जूटाने हेतु योजना निर्माण
- आतंकवादी संगठन
- कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पलिस के कर्तव्य
- कानून व्यवस्था हेतु असूचना संकलन

पेपर – 8

कार्यालय प्रक्रिया, पुलिस प्रशासन और सेवा मामले, पुलिस शिकायत, लापरवाही तथा विभागीय जॉच व अपील

सत्र– 75, अंक– 100

भाग – 1 कार्यालय प्रक्रिया

सत्र – 25 **अंक – 40**

क्र०	विषय
1	कार्यालय प्रक्रिया
2	सिविल सेवा नियम
3	मध्यप्रदेश सेवा नियम
4	नोटशीट लेखन एवं फाइलों का संधारण, नोटशीटों को वास्तविक रूप से लिखने का अभ्यास, फाईलों तथा रजिस्टरों को मेन्टेन किये जाने का अभ्यास, मासिक नक्शे तथा गोसवारे।
5	टीए नियम, मेडीकल चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम, पेन्सन नियम, वेतन निर्धारण नियम, क्रय नियम, इत्यादि के विशेष संदर्भ में प्रक्रिया तथा विशेष अभ्यास
6	कार्यालयीन अभिलेखों का रख रखाव
7	म.प्र. भंडार क्रय नियम एवं वित्तीय शक्तियॉ
8	बजट के प्रावधान
9	डीडीओ (आहरण एवं संवितरण) के कर्तव्य
10	पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस के साथ संबंध
11	गैर पुलिस विभागों का जिला पुलिस से संबंध, जिलाधीश कार्यालय, ट्रेजरी कार्यालय, डीपीओ, कोर्ट तथा अन्य गैर पुलिस कार्यालयों से संबंध समन्वय की आवश्यकता।
12	कार्यालय के कर्मचारियों का पद सोपान क्रम तथा उन पर नियंत्रण
13	कार्यालयीन कार्य करने वाले मुख्य लिपिक तथा स्टेनो से वास्तविक कार्यालयीन कार्य की जानकारी प्रदान करना।

भाग – 2 पुलिस प्रशासन और सेवा मामले

सत्र – 30 **अंक – 40**

क्र०	विषय
1	पुलिस अधिनियम– १८६१, १८८८, १९४९ और स्थानीय/नगरीय पुलिस अधिनियम
2	पुलिस बल (अधिकार के प्रतिबंध) १९६६ अधिनियम
3	पुलिस (असंतोष को शह) अधिनियम १९२२
4	स्थानीय पुलिस अधिनियम
5	जिला एवं अनुविभागीय कार्यालयों के लेखा प्रशासन, बजट नियंत्रण, कपड़े, उपकरण, गोला बारूद रख रखाव एवं प्रबंधन
6	पुलिस का आंतरिक प्रशासन– भर्ती एवं प्रशिक्षण,
7	पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी की शक्तियॉ– दंड एवं पुरूस्कार
8	आत्म विश्वास एवं अनुशासन
9	ऑर्डरली रूम (आदेश कक्ष)
10	अनुशासन एवं अपील के नियम
11	विभागीय जॉच स्थापित करने के प्रावधान
12	रैंक तथा बैच, कपड़े एवं किट, गोला बारूद, उपकरण
13	वेतन एवं भत्ते
14	स्थानांतरण एवं भर्ती– पदोन्नति नियम
15	इनाम एवं मेडल आदि की सज्जा

16	अवकाश नियम
17	चिकित्सा परिचर्या नियम एवं चिकित्सा भत्ता
18	सेवा निवृत्ति प्राप्तियॉ
19	सेवा अभिलेख का रख रखाव
20	पुलिस कर्मी के कल्याण हेतु नियम –आवास, पारिवारिक देख रेख आदि
21	अधीनस्थ कर्मचारियों की व्यथाओं का समाधान
22	पुलिस थानों के पर्यवेक्षण के दौरान व्यथाओं की सुनवाई
23	पुलिस लाईन एवं आवास कालोनियों का निरीक्षण

भाग – 3 पुलिस शिकायत लापरवाही और विभागीय जाँच व अपील

सत्र – 20 **अंक – 20**

क्र०	विषय
1	पुलिस शिकायतें
2	पुलिस शिकायतों का अनुसंधान/जॉच
3	पुलिस अधिकारियों की अनुशासनात्मक शक्तियाँ
4	शिकायत प्रकरणों में साक्ष्य संकलन एवं कथन लेखन
5	विभागीय जॉच
6	प्रतिवेदन तैयार करना
7	विभागीय जॉच में अपीले
8	पुलिस लापरवाही के कार्य
9	स्वतंत्र पुलिस जॉच
10	कार्यपालिक व न्यायिक दण्डाधिकारी तथा गठित आयोगों द्वारा जॉच
11	जॉच आयोग अधिनियम १९५२
12	मैजिस्ट्रेरियल जांच तथा इसके संबंध में प्रावधान यदि मैजिस्ट्रेरियल जांच के साथ यदि पुलिस जांच अथवा आपराधिक प्रकरण दर्ज हो तो क्या करना चाहिये – परिचर्चा
13	न्यायिक जांच प्रावधान तथा प्रक्रिया यदि न्यायिक जांच के साथ यदि पुलिस जांच अथवा आपराधिक प्रकरण दर्ज हो तो क्या करना चाहिये – परिचर्चा
14	अन्य जांच- कमीशन्स द्वारा जांच, सतक्रता जांच, सीआईडी द्वारा जांच, पद के दुर्उपयोग की जांच, भ्रष्टाचार संबंधी जांच, कार्य के प्रति लापरवाही की जांच, कर्तव्य न करने पर जांच, सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर जांच इत्यादि
15	सीआईडी, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग इत्यादि द्वारा जांच के प्रावधान।

प्रोजेक्ट वर्क

पेपर 8

कार्यालयीन प्रक्रिया, पुलिस प्रशासन एवं सेवा संबंधी बिंदु, विभागीय जॉच और अपील

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा । पहला प्रोजेक्ट भाग 1 या 2 से तथा दूसरा प्रोजेक्ट भाग ३ से होगा ।

पहले प्रोजेक्ट में भाग 1 या 2 से संबंधित किसी भी पक्ष को लिया जा सकता है । इसमे कार्यालय से संबंधित बिंदु जैसे पुलिस जिले में वित्तीय शीर्ष, अवकाश के नियम और स्वीकृति के अधिकार, यात्रा भत्ता और उसके नियम, कार्यालय अभिलेखों का संधारण, वेतन निर्धारण और उसके नियम, पुलिस अधिनियम और पुलिस संगठन पर उसका प्रभाव, सेवा नियम एवं विनियम, नोटशीट लेखन, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्व, विभिन्न रैंक्स के स्थानांतरण एवें पदोन्नति, पुलिस भर्ती, कल्याण, पुलिस लाइन्स का निरीक्षण, चिकित्सा परिचर्या (रिएम्बर्समेंट), पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखायें आदि ।

दूसरे प्रोजेक्ट में किन्हीं आरोपों के आधार पर काल्पनिक प्राथमिक जॉच रिपोर्ट तैयार करना, किसी प्राथमिक जॉच रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र जारी करने हेतु आरोप पत्र का प्रारूप बनाना, विभागीय जॉच का प्रतिवेदन बनाना, पुलिस शिकायतों की प्रकृति और सामान्य प्रकार, दंडाधिकारी द्वारा जॉच (मजिस्ट्रीयल), न्यायिक जॉच (ज्यूडिशीयल) आदि शीर्षक हो सकते हैं ।

विषय की सूची – संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।

- इसमे कार्यालय से संबंधित बिंदु जैसे पुलिस जिले में वित्तीय शीर्ष,
- अवकाश के नियम और स्वीकृति के अधिकार,
- यात्रा भत्ता और उसके नियम,
- कार्यालय अभिलेखों का संधारण,
- वेतन निर्धारण और उसके नियम,
- पुलिस अधिनियम और पुलिस संगठन पर उसका प्रभाव,
- सेवा नियम एवं विनियम,
- नोटशीट लेखन, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्व,
- विभिन्न रैंक्स के स्थानांतरण एवें पदोन्नति,
- पुलिस भर्ती,
- कल्याण,
- पुलिस लाइन्स का निरीक्षण,
- चिकित्सा परिचर्या (रिएम्बर्समेंट),
- पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखायें आदि ।
- काल्पनिक प्राथमिक जॉच रिपोर्ट तैयार करना,
- किसी प्राथमिक जॉच रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र जारी करने हेतु आरोप पत्र का प्रारूप बनाना,
- विभागीय जॉच का प्रतिवेदन बनाना,
- पुलिस शिकायतों की प्रकृति और सामान्य प्रकार,
- दंडाधिकारी द्वारा जॉच (मजिस्ट्रीयल), न्यायिक जॉच (ज्यूडिशीयल) आदि शीर्षक हो सकते है

पेपर – 9

भारतीय संविधान, अपराध शास्त्र और मानव अधिकार तथा नीति शास्त्र

सत्र– 100, अंक– 100

भाग – 1 भारतीय संविधान

सत्र – 30 **अंक – 30**

क्र०	विषय
1	भारतीय संविधान का परिचय
2	लोक सेवा एवं भारतीय संविधान
3	भारतीय लोक तंत्र और पुलिस कार्य
4	औपनिवेशिक विरासत, प्रगतिशील संविधान और पुलिसिंग
5	मौलिक अधिकार और पुलिस कार्य
6	व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिसिंग
7	समानता, कमजोर वर्ग तथा पुलिस के कार्य में संविधान के निर्देशों का पालन
8	निम्न संदर्भ में भारतीय संविधान का विशेष उल्लेख– अनुच्छेद – 12 से 14 अनुच्छेद – 19 से 22, 23,25 अनुच्छेद – 32 से 33 अनुच्छेद – 105, 194 अनुच्छेद – 308, 309 व 311
9	विभिन्न प्रकार की रिट्स – उनके संबंध में प्रावधान तथा सरकारी कार्य की सीमायें। पुलिस के विशेष संदर्भ में।
10	लोकसभा, विधानसभा की भूमिका, सांसद तथा विधायकों की शक्तियों, सांसद तथा विधायको को गिरफ्तार करने की पुलिस शक्तियां तथा प्रावधान चुने गये जनप्रतिनिधियों हेतु प्रावधान, पंचायती राज व्यवस्था, नगरनिगर इत्यादि
11	लोकसभा/विधानसभा की विभिन्न समितियां, जैसे पब्लिक एकाउण्ट समिति–लोकलेखा समिति, आश्वासन समति इत्यादि
12	लोकसभा/विधानसभा के समक्ष पुलिस का उत्तर दायित्व
13	विधानसभा में कानून बनाने की प्रक्रिया
14	विधानसभा की कार्यवाही – प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन, अशासकीय, संकल्प। विधानसभा प्रश्न का उत्तर बनाने की कार्यवाही, ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया, स्थगन, की प्रक्रिया, अशासकीय संकल्प की प्रक्रिया, पुलिस बजट पास करने की प्रक्रिया
15	विधानसभा द्वारा शासकीय सेवक को दण्डित करने के अधिकार
16	सत्र के दौरान, विधायक व सांसद पर समन तामील करने की प्रक्रिया
17	विधायक/सांसद के विशेषाधिकार

पेपर - 9

भारतीय संविधान, अपराध शास्त्र और मानव अधिकार तथा नीति शास्त्र

सत्र- 100, अंक- 100

भाग – 2 अपराध शास्त्र

सत्र - 35 **अंक - 35**

क्र०	विषय
(1)	अपराध शास्त्र की अवधारणा-
(2)	अपराधिक मानसिकता के कारक - मनोवैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक
(3)	भटकाव एवं अपराधवृत्ति- व्यक्तिगत भटकाव सामूहिक पथभृष्टता - शक्तियों का संगठित भटकाव, संगठित अपराध, गैंग सत्ता और नियमों का सामूहिक (विभिन्न वर्गों द्वारा) विरोध बाल अपराधवृत्ती पेशेवर अपराधी सामाजिक बुराईयॉ (जुआ, शराब खोरी, मादक पदार्थो की लत एवं वेश्यावृत्ति)
(4)	अपराध के क्षेत्र में नयी प्रवृत्तियॉ
(5)	पृथकतावाद, आतंकवाद, नकसलवाद के कारक तथा अपराधिक न्याय प्रणाली का इसके प्रति रवैया। पुलिस के विशेष संदर्भ में।
(6)	दण्ड विज्ञान - दण्ड विज्ञान की अवधारणा दण्ड के प्रावधान- निरोध/ जेल सहित कैदियों के सुधार के प्रयास और तरीके पैरोल, परिवीक्षा तथा संस्थागत सुधार के प्रावधान, अपराध व्यसन (अपराध की आदत) को हतोत्साहित करने के लिए उपाय
(7)	पीड़ित विज्ञान - अवधारणा एवं उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली और अपराधी समाज सुधार में संलग्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थान तथा सामाजिक मंचों के साथ सहयोग एवं समन्वय

पेपर – 9

भारतीय संविधान, अपराध शास्त्र और मानव अधिकार तथा नीति शास्त्र

सत्र– 100, अंक– 100

भाग – 3 मानव अधिकार, नीतिशास्त्र व पुलिस की भूमिका

सत्र – 35 **अंक – 35**

क्र०	विषय
1	अवधारणा और मानव अधिकार का दर्शन
2	व्यक्ति की गरिमा तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का मानवाधिकार से संबंध।
3	मानवाधिकार के सिद्धान्त-मानवाधिकार १९४८ के विश्व स्तरीय डिक्लेयरेशन संविधान, मौलिक अधिकारी, मानवाधिकार में समानताये।
4	राज्य की व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी तथा उत्तरदायत्वि। प्रत्येक मुनष्य के मानव अधिकार की जिम्मेदारी राज्य पर तथा राज्य एजेन्सिों पर कैसे हैं -पुलिस के विशेष संदर्भ में।
5	मानव अधिकार, कानून और स्वीकृति
6	राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग
7	मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देश
8	पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के मानव अधिकार उल्लंघन तथा उनके निर्मूलन के प्रयास
9	विभिन्न प्रकार के मानव अधिकार शिक्षा का, भोजन का तथा जीवन जीने का अधिकार
10	गरीब, अशिक्षित शोषित तथा पिछड़े वर्गों के जीवन तथा उनके मानव अधिकार उल्लंघन हेतु विशेष प्रयास क्यों आवश्यक हैं।
11	मानव अधिकार उल्लंघन - केस-स्टडी
12	अपराधी का हिरासत में उपचार
13	हिरासत में हिंसा (कस्टोडियल वॉयलेंस)
14	समूह परिचर्चा/प्रस्तुति
15	नीतिशास्त्र का सामान्य परिचय
16	व्यक्तिगत नीति/ नैतिकता
17	नैतिकता और सामाजिक पृष्ठभूमि
18	पुलिस कार्य में नैतिकता तथा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का प्रभाव
19	पुलिस का नीति शास्त्र
20	पुलिस आचार पर सामान्य चर्चा
21	पुलिस के विरूद्ध सामान्य शिकायतें- शिकायतों का प्रकार और वर्गीकरण - उदाहरण सहित
22	पुलिस के विरूद्ध सामान्य शिकायतों का उपचार
23	मानव अधिकार अधिनियम १९९४
24	राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, बाल आयोग
25	मानव अधिकार संगठन
26	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं इसके मानव अधिकार संबंधी पहलू
27	न्यायालयीन निर्णय और विभागीय हिदायतें अपराध के दोषियों के संबंध में
28	करने व न करने योग्य बातें- डूज. एण्ड डोण्ट्स की सूची का निर्माण समूह चर्चा द्वारा
29	पुलिस कार्य में नैतिकता का व्यवहारिक पहलू- पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत नैतिकता तथा उसके कार्य के दौरान नैतिकता में अंतर की व्याख्या तथा अंतर के कारण
30	पुलिस नैतिकता डू एण्ड डोण्ट्स (करने व न करने योग्य बातें)
31	सेमिनार - लोकतंत्र, पुलिसिंग, नैतिकता और मानव अधिकार

प्रोजेक्ट वर्क

पेपर 9

भारतीय संविधान, अपराध शास्त्र, मानवाधिकार एवं नैतिक मूल्य

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा । पहला प्रोजेक्ट भाग 1 या 2 से तथा दूसरा प्रोजेक्ट भाग 3 या 4 से होगा ।

पहला प्रोजेक्ट- भारतीय संविधान, समानता एंव पुलिस कार्य, भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एंव पुलिस कार्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धरना-आंदोलन और पुलिस कार्य, पुलिस की अतिवादिता से नागरिकों के बचाव के संवैधानिक प्रावधान। अथवा भाग 2 से बाल शोषण की घटनायें और पुलिस की जिम्मेदारियॉ, बच्चों से संबंधित कानून और पुलिस की जिम्मेदारियॉ, घरेलू हिंसा या लिंग आधारित हिंसा व पुलिस कार्य, प्रोबेशन व पैरोल की अवधारणा और प्रावधान, आपराधिक न्याय प्रणाली के 4 आधारस्तंभ, शासकीय व अशासकीय संस्थान तथा अपराध नियंत्रण में उनकी भूमिका, सामाजिक बुराइयॉ और अपराध, अपराध में आधुनिक तरीके (ट्रेंड्स) आदि ।

दूसरा प्रोजेक्ट- मानवाधिकार पर कन्वेशन, पुलिस कार्यों का मानवाधिकार से विरोध, पुलिस कार्यों के दौरान मानवाधिकार हनन से संबंधित आम शिकायतें, पुलिस की कार्य संस्कुति और मानवाधिकारों का हनन, शासन व मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी निर्देशों के पालन तंत्र के रूप मे पुलिस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका, मानवाधिकार अधिनियम ।

विषय की सूची - संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।

- भारतीय संविधान, समानता एंव पुलिस कार्य,
- भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एंव पुलिस कार्य,
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धरना-आंदोलन और पुलिस कार्य,
- पुलिस की अतिवादिता से नागरिकों के बचाव के संवैधानिक प्रावधान
- बाल शोषण की घटनायें और पुलिस की जिम्मेदारियॉ,
- बच्चों से संबंधित कानून और पुलिस की जिम्मेदारियॉ,
- घरेलू हिंसा या लिंग आधारित हिंसा व पुलिस कार्य,
- प्रोबेशन व पैरोल की अवधारणा और प्रावधान,
- आपराधिक न्याय प्रणाली के चार आधारस्तंभ,
- शासकीय व अशासकीय संस्थान तथा अपराध नियंत्रण में उनकी भूमिका,
- सामाजिक बुराइयॉ और अपराध,
- अपराध में आधुनिक तरीके (ट्रेंड्स) आदि ।
- मानवाधिकार पर कन्वेशन,
- पुलिस कार्यों का मानवाधिकार से विरोध,
- पुलिस कार्यों के दौरान मानवाधिकार हनन से संबंधित आम शिकायतें,
- पुलिस की कार्य संस्कुति और मानवाधिकारों का हनन,
- शासन व मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी निर्देशों के पालन तंत्र के रूप मे पुलिस,
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका,
- राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका,
- मानवाधिकार अधिनियम ।

पेपर - 10
प्रबंधन और पुलिस कार्य
सत्र- 75, अंक- 100

भाग – 1 प्रबंधन के सिध्दांत

सत्र - 40 **अंक - 50**

क्र०	विषय
1	प्रवंधन कौशल क्या है प्रवंधन सिद्धान्त क्यों महत्वपूर्ण है प्रवंधन सिद्धानत पुलिस कार्य में किस प्रकार उपयोगी हैं। विभिन्न सिद्धान्तों का पुलिस कार्य, व्यवहार तथा आचरण से संबंध
2	मानव संसाधन प्रबंधन तथा पुलिस कार्य
3	नेतृत्व, प्रबंधन तथा पुलिस कार्य
4	टीम बिल्डिंग प्रबंधन तथा पुलिस कार्य
5	अभिप्रेरण प्रबंधन तथा पुलिस कार्य
6	तनाव प्रबंधन
7	समय प्रबंधन तथा पुलिस काय
8	संगठनात्मक व्यवहार और पुलिस उपसंस्कृति- Police Subculture
9	संघर्ष प्रबंधन और समाधान कौशल (कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन स्किल)
10	मीडिया प्रबंधन
11	व्यक्तिगत प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन एवं समग्र जीवन प्रबंधन तथा पुलिस काय
12	कार्य के समय क्रोध पर नियंत्रण एवं क्रोध का प्रबंधन
13	निष्पादन उन्मुखीकरण Performance Orientation
14	संवेगात्मक बुद्धि Emotional Intelligence
15	प्रवंधन के विभन्न चरण तथा उसके पुलिस कार्य से संबंध। मैनेजमेंट नियम से प्रशिक्षण, ग्रुप एक्सरसाईज के माध्यम से प्रशिक्षण, केस स्टडी के माध्यम से प्रशिक्षण तथा वरिष्ठ अधिकारियों एवं मैनेजमेंट विशेषज्ञों के विशेष उद्बोधनों के माध्यम से प्रशिक्षण

पेपर – 10
प्रबंधन और पुलिस कार्य
सत्र– 75, अंक– 100

भाग – 2 संबंध प्रबंधन और पुलिस कार्य

सत्र – 35 **अंक – 50**

क्र०	विषय
1	प्रबंधन के सिद्धांत और पुलिस जनता व्यवहार
2	समाज के कमजोर वर्ग और पुलिस से संबंध
3	संबंधों की गतिशीलता क्लदंउपबे वि त्मसंजपवदीपचे
4	बैठकों का आयोजन एवं संचालन
5	संबंध प्रबंधन में व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व का प्रभाव
6	संबंध निर्माण में शिष्टाचारों (मैनर्स एंड एटीकेट्स) का महत्व
7	सम्बंध-प्रबंधन में संवाद एक प्रभावी उपकरण ,
8	अन्तरविभागीय संम्बंधों का प्रबंधन
9	पुलिस बल में आंतरिक और व्यक्तिगत संबंधें के प्रबंधन में पर्यवेक्षणकर्ता पुलिस अधिकारियों की भूमिका
10	छवि निर्माण और पुलिस कार्य में इसका महत्व
11	मीडिया के साथ संबंधों का प्रबंधन
12	जन प्रतिनिधियों के साथ संबंधों का प्रबंधन
13	जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संबंधों का महत्व
14	मीडिया के समक्ष प्रस्तुतिकरण तथा संवाद कौशल, प्रेस नोट कैस बनाया जाये प्रेस ब्रीफिंग कैसे की जाये प्रेस के उत्तर कैसे दिये जायें
15	वरिष्ठ अधिकारियों की डेली ब्रीफिंग, उन्हें प्रतिदिन की रिपोर्टिग तथा उनसे निर्देश प्राप्त करनां, तथा उन्हे कार्य पूर्णता से अवगत कराना।
16	अपने समकक्ष अधिकारियों व सहयोगियों से कार्यकारी तथा व्यक्तिगत संबंध, समन्वय व संवाद
17	अपने से कनिष्ठ अधिकारियों संपक्र समन्वय तथा सूचनाओं का आदान प्रदान तथा कार्य की मानीटरिंग करना।
18	कार्यकारी तथा वयक्तिगत कार्य में उचित भाषा तथा संतुलित भावनाओं का प्रकटीकरण
19	समूह चर्चा तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण
20	रोल-प्ले (वीडियो एंव पुर्नदर्शन/री-प्ले विधि), वरिष्ठ अधिकारियो, मैजेनमेंट एक्सपर्ट के द्वारा समूह चर्चा तथा उद्बोधन, केस स्टडीज का बाचन।
नोट :-	इस विषय पर प्रारंभ में कम से कम ८ सत्र आरएपीटीसी में आयोजित किया जाना अनिवार्य है। जहां पर विशिष्ट प्रशिक्षक विश्व विद्यालय से तथा अन्य पुलिस व गैर पुलिस संस्थाओं से आमंत्रित होंगे। इसी प्रकार जेएनपीए में ही आयोजित सत्रों मे अधिकतम सत्र बाहर से आमंत्रित विशिष्ट, मैनेजमेंट साइंस में अनुभवी पुलिस अधिकारी तथा गैर पुलिस अधिकारी, विशेषज्ञ, मैनेजमेंट साइंस के विश्वविद्यालय के व्याख्याता इत्यादि आमंत्रित होंगे।

प्रोजेक्ट वर्क
पेपर 10
प्रबंधन एवं पुलिस कार्य

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे जिनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से तथा दूसरा प्रोजेक्ट भाग 2 से होगा ।

पहला प्रोजेक्ट- पुलिस कार्य और प्रबंधन की आधारभूत तकनीक से जुड़ा कोई बिंदु, मानव संसाधन प्रबंध और पुलिस कार्य, पुलिस में नेतृव, पुलिसिंग में टीम बिल्डिंग, पुलिस कार्य में अभिप्रेरण, पुलिस की उप संस्कृति और खराब छवि, पुलिस में तनाव प्रबंधन, पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारियों में स्वास्थ्य प्रबंधन, पुलिस में संघर्ष प्रबंधन तथा कानून-व्यवस्था कार्य, महिलायें और पुलिस की संस्कृति, पुलिस अधिकारी के लिये समग्र जीवन का प्रबंधन क्या है आदि ।

दूसरा प्रोजेक्ट- मीडिया मैनेजमेंट और पुलिस कार्य, सर्वहारा/कमजोर वर्ग और पुलिस का दृष्टिकोण, एक पुलिस अधिकारी के लिये अंतर्वैयक्तिक संबंध (इंटरपर्सनल रिलेशनशिप), समाज के प्रभुतासंपन्न वर्ग के साथ संबंधों का प्रबंधन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ संबंध, जिला स्तर के अन्य विभागों के अधिकारियों से संबंध, बैठक आयोजित करना और स्वयं को उसमें प्रस्तुत करना, मैनर्स एंड एटिकेट्स, संबंध बनाने के लिये शिष्टाचार आदि ।

विषय की सूची - संभावित विषय (अन्य विषय स्थानीय स्तर पर जनपुअ द्वारा जोड़े जा सकते हैं।

- पुलिस कार्य और प्रबंधन की आधारभूत तकनीक
- मानव संसाधन प्रबंध और पुलिस कार्य,
- पुलिस में नेतृव,
- पुलिसिंग में टीम बिल्डिंग,
- पुलिस कार्य में अभिप्रेरण,
- पुलिस की उप संस्कृति और खराब छवि,
- पुलिस में तनाव प्रबंधन,
- पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारियों में स्वास्थ्य प्रबंधन,
- पुलिस में संघर्ष प्रबंधन तथा कानून-व्यवस्था कार्य,
- महिलायें और पुलिस की संस्कृति,
- पुलिस अधिकारी के लिये समग्र जीवन का प्रबंधन क्या है
- मीडिया मैनेजमेंट और पुलिस कार्य,
- सर्वहारा/कमजोर वर्ग और पुलिस का दृष्टिकोण,
- एक पुलिस अधिकारी के लिये अंतर्वैयक्तिक संबंध (इंटरपर्सनल रिलेशनशिप),
- समाज के प्रभुतासंपन्न वर्ग के साथ संबंधों का प्रबंधन,
- निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ संबंध,
- जिला स्तर के अन्य विभागों के अधिकारियों से संबंध,
- बैठक आयोजित करना और स्वयं को उसमें प्रस्तुत करना,
- मैनर्स एंड एटिकेट्स,
- संबंध बनाने के लिये शिष्टाचार

पेपर - 11
व्यक्तित्व विकास और मानव व्यवहार
सत्र- 75, अंक- 100

भाग - 1 मानव व्यवहार

सत्र - 25 अंक - 35

क्र०	विषय
1	व्यवहारिक मनोविज्ञान
2	व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारक
3	संगठनात्मक व्यवहार
4	संगठन में व्यक्तिगतता
5	व्यक्तित्व का सिद्धांत
6	विश्वास, मूल्य, संस्कार और दृष्टिकोण
7	दृष्टिकोण व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है
8	पुलिस में उचित दृष्टिकोण
9	पुलिस में उचित व्यवहार
10	सलाह/परामर्श (काउसिलिंग)
11	स्वयं का बोध, व्यक्तिव निर्माण
12	अभिप्रेरण (मोटिवेशन)
13	पारस्परिक प्रभाव
14	सामूहिक गतिशीलता
15	अन्तर समूह संबंध
16	संघर्षों की समाधान कुशलता का प्रबंधन डंदंहपदह ब्वदसिपबज छंहवजपजपवद ेापसस
17	ट्रांसेक्शनल एनालिसिस/ व्यवहारात्मक विश्लेषण
18	परिवर्तन प्रबंध/ मैनेजिंग चेंज
19	रचनात्मकता और नवीनीकरण ब्तमंजपअपजल ।दक प्ददवअंजपवद
20	सामूहिक संवाद कौशल ब्वदमितमदबपदह ेापससे
21	नेतृत्व, संवाद कौशल, ट्रांसेक्शनल एनालिसिस एवं टीम बिल्डिंग पर वीडियो फिल्म
22	व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर समूह परिचर्चा, रोल प्ले, प्रस्तुतिकरण एवं पैनल डिस्कशन
23	पूछताछ (इंटेरोगेशन) एवं मनोविज्ञान
24	शारीरिक भाषा/हावभाव (बॉडी लैंग्वेज)
25	पुलिस कार्य और मनोविज्ञान

पेपर – 11
व्यक्तित्व विकास और मानव व्यवहार
सत्र– 75, अंक– 100

भाग – 2 संवाद कौशल

सत्र – 30 **अंक – 35**

(10 अंक अग्रेजी संवाद कौशल हेतु समायोजित हैं)

क्र०	विषय
1	संवाद कौशल के आधारभूत तत्व (बेसिक्स)
2	संप्रेषणीयता/संवाद एवं पुलिस कार्य, संवाद का पुलिस कार्य तथा इंटेरेगेशन में महत्व, अच्छे मैनेजर हेतु संवाद का महत्व, अच्छे अनुसंधानकर्ता अधिकारी हेतु संवाद का महत्व, कानून व्यवस्था की परिस्थिति में संवाद का महत्व।
3	प्रभावी मौखिक संवाद का महत्व, वाडी लैग्बेज तथा बाडी लैग्बेज का संवाद में महत्व, वाडी लैग्बेज का पुलिस कार्य तथा इंटेरेगेशन में महत्व, अच्छे मैनेजर हेतु बाडी लैग्वेज का महत्व, अच्छे अनुसंधानकर्ता अधिकारी हेतु बाडी लैग्बेज का महत्व, कानून व्यवस्था की परिस्थिति में बाडी लैग्बेज का महत्व।
4	प्रभावी संवाद की तकनीकें
5	अवलोकन एवं कथन (ऑब्जर्वेशन एंड नैरेशन)
6	तात्कालिक भाषण
7	पूर्व निर्धारित भाषण
8	वाद विवाद
9	प्रसिध्द सम्भाषणों पर वार्ता
10	अपराधिक संप्रेषणीयता के तत्वों के वृतान्त का परिचय
11	आपराधिक दृश्य के अवलोकन के प्रतिवेदन लेखन का व्यवहारिक अभ्यास
12	किसी गंभीर वाहन दुर्घटना के प्रकरण के प्रतिवेदन लेखन का अभ्यास
13	बीट पुस्तिका के विस्तृत लेखन का अभ्यास
14	गिरफ्तारी और जप्ती के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना
15	सम्पत्ति जप्ती का पंचनामा तैयार करना
16	डकैती और हत्या के मामले में मौखिक शिकायत पर एफआईआर लिखना
17	अजनबियों से हथियारों और विस्फोटकों की जप्ती पर विशेष रिपोर्ट लिखना
18	किसी अपराधी के इकबालिया बयान/संस्वीकृति लेख करना
19	मरणासन्न कथन लिखना
20	किसी खतरनाक और क्रेजी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट लिखना
21	क्षेत्रीय अपराधियों के बारे में संकलित सूचना के आधार पर रिपोर्ट लिखना
22	किसी क्षेत्र में अतिवादियों के मूव्हमेंट के बारे में संकलित सूचना के आधार पर रिपोर्ट लिखना
23	विभिन्न वर्गों द्वारा प्रदर्शन/ आंदोलन करने की योजना के बारे में प्राप्त सूचना का लेखन, खतरनाक उपद्रव की रिपोर्ट रोजनामचे में अंकित करने का अभ्यास करना
24	लिखित संवाद का महत्व -एक परिचय
25	प्रभावी लिखित संवाद की तकनीक
26	अपराध, कानून और व्यवस्था पर रेडियों संदेश भेजने का प्रारूप लिखना
27	विशेष शाखा की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करना
28	अभियोग पत्र/ अंतिम प्रतिवेदन (चालान/खात्मा/खारिजी) तैयार करना
29	अभ्यास सत्र - समूह परिचर्चा, तैयारी तथा बिना तैयारी का भाषण, सतत अभ्यास, अनुभवी मैनेजमेंट प्रशिक्षक के निर्देशन में आयोजित की जाना अनिवार्य है।
30	इंग्लिश **भाषा– सम्भाषण एवं आत्मसात करना – (१० अंक)** इंग्लिश भाषा बोलना इंग्लिश आतमसात करना

	इंग्लिश भाषा की समझ एवं संवाद इंग्लिश में स्वयं का परिचय देना व सामान्य सामाजिक संवाद करना इंग्लिश में तात्कालिक भाषण इंग्लिश में मौखिक एवं लिखित संवाद

प्रश्न पत्र - 11
व्यक्तित्व विकास और मानव व्यवहार
सत्र- 75, अंक- 100

भाग - 3 व्यक्तित्व विकास

सत्र - 20 **अंक - 30**

क्र०	विषय
1	व्यक्तित्व का मूल्यांकन एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निखारना
2	शिष्टाचार, व्यवहार, समानता एवं संवेदनशीलता
3	अच्छे स्वास्थ्य के सिध्दांत
4	व्यक्तिगत सजावट (ग्रूमिंग) एवं परिस्थिति अनुरूप परिधान पहिनने का महत्व। यूनिफार्म पहिनने की मर्यादायें, सामान्य परिधान पहिनने की मर्यादायें
5	स्वयं का सम्मान (सेल्फ वर्थ
6	टेबल मैनर्स/भोजन पर शिष्टाचार एवं स्वयं का प्रस्तुतिकरण
7	वार्तालाप कौशल, औपचारिक और अनऔपचारिक संवाद
8	स्वयं के प्रभावी प्रस्तुतिकरण हेतु- क्या करें और क्या न करें
9	वर्दीधारी सेवाएँ और विशेष मर्यादित व्यवहार
10	स्त्रियों, बड़ो और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना

प्रोजेक्ट वर्क

पेपर 11
व्यक्तित्व विकास एवं मानव व्यवहार

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने/ करके दिखाने होंगे या अभिनय करना होगा। इनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा । पहला प्रोजेक्ट भाग 1 से तथा दूसरा प्रोजेक्ट भाग 2 या 3 से होगा।

पहले प्रोजेक्ट में 5 से 6 प्रशिक्षणार्ीियों के समूह बनाकर उनके ग्रप डिस्कशन्स कराने होंगे जिसमें नैतिक मूल्य, प्रबंधन या राजनीति से जुड़े विषय लिये जा सकते हैं । इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों के प्रस्तुतिकरण कौशल, सामाजिक कौशल, शिषटार, पहल लेने की योग्यता, भाषा पर पकड़, उत्तेजना की स्थिति में स्वनियंत्रण, अन्य लोगों को सम्मान देने का गुण, नेतृत्व कौशल, वार्तालाप/नेगोशिएशन कौशल परखा जायेगा । इसे परखने का कार्य बाहरी विशषज्ञों के पैनल द्वारा किया जायेगा जो प्रतिष्ठित बिजिनेस स्कूल से या मनोविज्ञान विभाग से या संबंधित विषय के प्रोफेसर्स या प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी या व्यवसायिक क्षेत्र से कंपनी के मैनेजर्स आदि होंगे ।

दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में प्रशिक्षणार्थी को बाहरी विशषज्ञों की पैनल के समक्ष 15 मिनट की स्पीच (भाषण) देना होगा । उनके इस सम्भाषण के आधार पर अगले 10 मिनट में उनसे प्रश्न भी किये जा सकेंगे । इस दौरान उनके कम से कम 25 साथी प्रशिक्षणार्थी भी उपस्थित रहेंगे । इसके विकल्प के रूप में एक मॉक प्रैस कांफ्रेंस की जा सकती है जिसमें प्रशिक्षणार्थी को किसी पुलिस कार्य की सफलता के संबंध में प्रैस (साथी प्रशिक्षणार्थी) के समक्ष 15 मिनट तक वक्तव्य देना होगा और फिर अगले 15 मिनट में प्रैस के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें प्रशिक्षणार्थी का शांत भाव से बोलना, बोले जाने वाले शब्दों पर और भावनाओं पर नियंत्रण, संवाद कौशल आदि परखा जायेगा ।

पेपर – 12
कम्प्युटर ऑफिस ऑटोमेशन और सायबर विधि विज्ञान
सत्र– 100, अंक– 100
भाग – 1 कार्यालय संचालन में कम्प्युटर परिचय एवं आफिस ऑटोमेशन

सत्र – 35 **अंक – 25**

क्र०	विषय
1	कम्प्युटर का परिचय, पुलिस के कार्यालयीन कार्यो में कम्प्युटर आफिस ऑटोमेशन एवं संचार उपकरणों का महत्व
2	कम्प्युटर का उपयोग– व्यक्तिगत एव संस्थागत
3	सिस्टम, हार्डवेयर और साफ्टवेयर –एक परिचय
4	हार्डवेयर–सीपीयू, की–बोर्ड, रोम, रेम, फ्लॉपी–ड्राईव, जिप–ड्राईव, सी.डी.–ड्राईव, डी.व्ही.डी. ड्राईव, यू.एस.बी.पोर्ट आदि
5	हार्डवेयर– स्टोरेज डिवाईस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, जिप, सीडी, डी.व्ही.डी आदि
6	सॉफ्टवेयर–आपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेस प्रबंधन
7	सिस्टम– एक परिचय
8	साफ्टवेयर– आफिस ऑटोमेशन साफ्टवेयर पैकेज
9	संचार एवं नेटवर्किंग– टेलीफोन, सेल्यूलर फोन, वायरलेस, मोडेम, इंटरनेट, ई–मेल आदि
10	अन्य आफिस ऑटोमेशन उपकरणों का परिचय– (जैसे–फैक्स, फोटो कॉपी आदि) और उनके प्रयोग

भाग – 2 वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और डाटा बेस प्रबंधन

सत्र – 25 **अंक – 25**

क्र०	विषय
1	वर्ड प्रोसेसर का परिचय– जैसे एम.एस.वर्ड तथा एमएस आफिस । एमएसवर्ड में पारंगतता–स्वतंत्र रूप से पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, टेबल निर्माण तथा विभिन्न प्रकार की फाईलों तथा निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण में पारंगतता। (हिन्दी टाईपिंग अनिवार्य है, हिन्दी टाईपिंग न आने पर अंक काटे जायेंगे) एमएसएक्सेल में पारंगतता–सामान्य स्तर के अंक तालिकाओं के जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने में परिपक्वता। एमएस पावर प्वायंट में पारंगतता –स्वतंत्र रूप से पावर प्वाईट का जनरेशन प्रदर्शित करने की पारंगतता।
2	इंस्टालेशन, मीनू, टूलबार, रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार आदि
3	स्वयं दक्षता से फाईलों को बनाना, सेव करना, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इन्सर्ट करना
4	स्वयं दक्षता से से पेज फारमेटिंग, पैराग्राफ एवं विभिन्न सेक्शन्स तैयार करना
5	हस्तगत दक्षता से टैब और टेबल्स, टैब और डॉट लीडर्स का प्रयोग
6	हस्तगत दक्षता से लिस्ट बनाना, नंबरिंग करना और हैडिंग बनाना
7	हस्तगत दक्षता से विविध फोन्ट्स साईज का उपयोग,
8	हस्तगत दक्षता से टैक्स्ट का संपादन (एडिट) करना
9	हस्तगत दक्षता से टैक्स्ट की दृश्यता और स्थिती (पोजिशनिंग एंड व्यूइंग)
10	हस्तगत दक्षता से इन्डेंट और आउट डेंट का प्रयोग
11	हस्तगत दक्षता से टैक्स्ट को फाइंड करना और रिप्लेस करना
12	हस्तगत दक्षता से पेज ब्रेक, पेज नम्बर, बुकमार्क्स, सेम्बोल एवं डेट्स को इनसर्ट करना
13	हस्तगत दक्षता से हेडर, फुटर, फुट नोट बनाना
14	हस्तगत दक्षता से फ्रेम एवं कॉलम का निर्माण
15	हस्तगत दक्षता से फार्म के साथ कार्य करना
16	हस्तगत दक्षता से टूल्स के साथ कार्य करना
17	हस्तगत दक्षता से पेज सेटअप और प्रिन्ट निकालना
18	स्प्रेड शीट– पैकेज का समग्र परिचय जैसे– एम एस एक्सेल/लोटस १२३,
19	हस्तगत दक्षता से वक्रशीट, वक्रबुक, रो, कॉलम, सेल्स, शीट्स, टेक्स्ट एंटर करना, नम्बर एंटर करना व एडिटिंग करना

20	हस्तगत दक्षता से वक्रशीट और वक्र बुक का निर्माण
21	हस्तगत दक्षता से वक्रशीट और वक्र बुक को ओपन एंड सेव करना
22	हस्तगत दक्षता से एक्सेल में सामान्य फार्मूला गणितीय विधि आदि उपयोग
23	हस्तगत दक्षता से नम्बरों के निर्माण, टेक्स्ट, वक्रशीट एवं संरक्षित डाटा पर कार्य करना
24	हस्तगत दक्षता से चार्ट और ग्राफ पर कार्य करना तथा अन्य स्थानों से इम्पोर्ट करना
25	हस्तगत दक्षता से वक्रशीट और वक्रबुक की प्रिन्टिंग
26	एम एस वर्ड पर हिन्दी में कोई सम्पूर्ण प्रोजेक्ट लिखना एवं हार्ड कॉपी सहित प्रस्तुत करना
27	इंटरनेट, ई-मेल
28	सीपा, सीसीटीएनएस और एन.सी.आर.बी के द्वारा जारी विभिन्न सॉफ्टवेयर में पारंगतता तथा सीसीटीएनएस के अंतर्गत एफआईआर लेखन का कौशल- इसमें कम से कम ६ कक्षाओं का अभ्यास आवश्यक है।

पेपर - 12
कम्प्युटर ऑफिस ऑटोमेशन और सायबर विधि विज्ञान
सत्र- 100, अंक- 100

भाग - 3 सायबर विधि विज्ञान

सत्र - 40 **अंक - 50**

क्र०	विषय
1	**सायबर स्पेस और सायबर विधि विज्ञान क्या है ?**
2	कम्प्यूटर संबंधी अपराध- परिचय,
3	आईपी एड्रेस क्या होता है तथा उसका साईबर अपराध अनुसंधान में क्या महत्व है।
4	कम्प्यूटर संबंधी अपराधों के प्रकार और प्रकृति
5	सूचना प्रौद्यौगिकी ;जैम ण् ।बजद्ध अधिनियम २०००-प्रमुख धारायें
6	विभिन्न प्रकार के कम्प्युटर अपराध एवं आईटी एक्ट के प्रावधान
7	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सायबर विधि विज्ञान
8	मोबाईल टेलीफोनिंग क्या होती है तथा इसका अपराध अनुसंधन में क्या महत्व है।
9	मोबाईल विधि विज्ञान और सीडीआर परीक्षण तथा मोबाईल ट्रेकिंग
10	आर्थिक अपराध
11	सायबर स्पेस एवं सायबर स्पेस का विनियमन
12	आईपी एड्रेस तथा सायबर सर्च को संकुचित (नैरो डाउन) करने के तरीके
13	सायबर अपराध जैसे कम्प्यूटर/इंटरनेट अपराध एवं सेल्यूलर फोन आधारित अपराध की पतासाजी संबंधित केस स्टडी - इसके अंतर्गत प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रोब्लम क्वश्चन दिये जायेंगे जो कि केस स्टडी पर आधारित होंगें, जिसे उन्हे हल करना का आवश्यक होगा। वास्तविक केस स्टडी पर आधारित सायबर क्राईम परिस्थतियों तथा सीडीआर एनालिसिस परिस्थितियों का सतत अभ्यास कम से कम १० कक्षाओं में कराया जाना अनिवार्य है। इस हेतु एक्सपर्ट ट्रेनर को बुलाया जाना आवश्यक है।

नोट :-

इस विषय पर प्रारंभ में कम से कम 8 सत्र आरएपीटीसी में आयोजित किया जाना अनिवार्य है। जहां पर विशिष्ट प्रशिक्षक विश्व विद्यालय से तथा अन्य पुलिस व गैर पुलिस संस्थाओं से आमंत्रित होंगे।

इसी प्रकार जेएनपीए में ही आयोजित सत्रों मे अधिकतम सत्र बाहर से आमंत्रित विशिष्ट, सायबर क्राईम अनुभवी पुलिस अधिकारी तथा गैर पुलिस अधिकारी, विशेषज्ञ, कम्प्यूटर साइंस में विश्वविद्यालय के व्याख्याता इत्यादि आमंत्रित होंगे।

प्रोजेक्टवर्क

पेपर 12

कम्प्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन और साइबर फोरेंसिक्स

इस विषय में कुल 10 अंक के दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने/ करके दिखाने होंगे या प्रेजेंटेशन करना होगा । इनमें प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा । पहला प्रोजेक्ट भाग 1 या 2 से तथा दूसरा प्रोजेक्ट भाग 3 से होगा ।

पहले प्रोजेक्ट के रूप में कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता को आंका जायेगा। उदाहरण के लिये प्रशिक्षणार्थी को एम.एस. ऑफिस पर 5 पेज की रिपोर्ट बनाने दी जा सकती है या 10 स्लाइड का पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन बनवाया जा सकता है या एम.एस.एक्सेल में कम से कम 20 संख्याओं का साधारण जोड़ (सूत्र के माध्यम से) करवाया जा सकता है । एम.एस. ऑफिस और इंटरनेट से जुड़े और भी शीर्षक चुने जा सकते हैं ।

दूसरे प्रोजेक्ट का संबंध साइबर फोरेंसिक्स से संबंधित रहेगा । प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर या साइबर या सेलफोन आधारित अपराध की एक काल्पनिक सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिये टास्क दिया जा सकता है । इसमें उनके द्वारा विवेचना की विधि बताई जायेगी । प्रत्येक को अलग टास्क दिया जायेगा और उसकी परीक्षा भी परीक्षक द्वारा अलग अलग ली जायेगी । एक के परीक्षण के दौरान अन्य प्रशिक्षार्थियों को कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी ताकि गोपनीयता बली रहे और व्यक्तिगत रूप से सही आंकलन हो सके । इसके लिये परीक्षक ऐसे चुने जायेंगे जिन्हें वास्तव में साइबर क्राइम की विवेचना का अनुभव हो ।

पेपर – 13
केस-स्टडी एवं अनुकरण अभ्यास
सत्र– 75, अंक– 100

क्र०	विषय
1	**केस-स्टडी : अनुसंधान का पर्यवेक्षण –** शरीर संबंधी अपराध के प्रकरण की केस स्टडी पर चर्चा करना अनिवार्य होगा। जैसे – हत्या का प्रकरण, हत्या के प्रयास का प्रकरण घोर उपहति का प्रकरण साधारण चोट का प्रकरण बलात्कार का प्रकरण इत्यादि
2	सम्पत्ति संबंधी अपराध के प्रकरण की केस स्टडी पर चर्चा करना अनिवार्य होगा। जैसे – नकबजनी का प्ररकण साधारण चोरी का प्रकरण रास्ते पर होने वाली सामान्य लूट का प्रकरण पेट्रोल पंप लूट का प्रकरण बस लूट का प्रकरण बैक डकैती का प्रकरण चैन स्नेचिंग का प्ररकण ग्रामीण क्षेत्र में डकैती का प्रकरण डकेती की तैयारी का प्रकरण
3	षणयंत्र/ दस्तावेजों संबंधी अपराध के प्रकरण की केस स्टडी पर चर्चा करना अनिवार्य होगा। जैसे – जमीन संबंधी धोखाधड़ी के अनुसंधान का प्रकरण बैक के दस्ताबेज अथवा अन्य लेनदेन के दस्ताबेज से संबंधित प्रकरण
4	लोक व्यवस्था संबंधी अपराध के प्रकरण की केस स्टडी पर चर्चा करना अनिवार्य होगा। जैसे – किसी बलवे की कार्यवाही का प्रकरण किसी दंगे की कार्यवाही का प्रकरण किसी चक्काजाम की कार्यवाही का प्रकरण किसी आगजनी अथवा पथराव की घटना का प्रकरण
5	सड़क दुर्घटना संबंधी अपराध के प्रकरण की केस स्टडी पर चर्चा करना अनिवार्य होगा। जैसे – जीप व मोटर साईकिल का साधारण एक्सीडेण्ट बस व ट्रक का एक्सीडेण्ट जिसमें बड़ी मात्रा में जनहानि हुई हो, इसके अंतर्गत अपराध अनुसंधान जन अक्रोश का प्रवंधन तथा मीडिया प्रवंधन शामिल होगा।

क्र०	विषय
1	**निम्नलिखित से संबंधित केस स्टडीज–** **बंदोबस्त इंतजाम** – मेला इंतजाम, महाकाल मंदिर की व्यवस्था का शिवरात्रि पर इंतजाम, नवरात्रि पर मैहर देवी स्थान का इंतजाम, इंदौर में गणपति विर्सजन इंतजाम तथा ग्वालियर में आयोजित किसी अंतराष्ट्रीय किक्रेट मेंच की व्यवस्था का इंतजाम। पूर्व में जारी वास्तविक इंतजाम की कापी का अवलोकन। जिला स्तर के इंतजाम का प्रशिक्षु अधिकारी द्वारा लगाये जाने का अभ्यास–इंतजाम प्लान बनाना।
2	**व्ही.आई.पी सुरक्षा**– प्रधानमंत्री/जेडप्लस केडेगरी प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के नेता की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम तथा मॉक ड्रिल। पूर्व में जारी इंतजाम की कापी का अवलोकन। अन्य व्हीआईपीज – गवर्नर, कैबीनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महोदय के विजिट का इंतजाम। जिला स्तर पर आयोजित मुख्यमंत्री महोदय की काल्पनिक विजिट के इंतजाम का प्रशिक्षु अधिकारी द्वारा लगाये जाने का अभ्यास–इंतजाम प्लान बनाना।

3	**साम्प्रदायिक दंगे**-किसी वास्तविक दंगे के घटनाक्रम की केस स्टडी- साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग के किन्ही दो ंदगो की केस स्टडी का निर्माण तथा उस पर समूह चर्चा
4	**धार्मिक विवाद** – किसी वास्तविक धार्मिक विवाद के घटनाक्रम तथा उसमे अच्छी पुलिस कार्यवाही की केस स्टडी जिसमें यह संभावना थी कि दंगा भड़क सकता था परंतु समय पर दंगा नहीं भड़का।
5	**किसी परिसर पर छापा मारना**- किसी वास्तविक घटनाक्रम पर आधारित जिसमें पुलिस द्वारा जुआ घर अथव छिपे हुये अपराधियों की धरपकड़ हेतु छापा मारा हो। अन्य घटनाक्रम कंजर, कंजरों के डेरे पर, डकैतों के शरणगाह पर, अथवा छिपे हुये बदमाशों के शरणगाह पर ग्रामीण अथवा जंगली क्षेत्र में छापा मारा गया हो।
6	**किसी धरने का प्रबंधन** - किसी वास्तविक धरने की घटना पर आधारित केस स्टडी जिसमें पुलिस ने अच्छा कार्य किया गया हो तथा दूसरी केस स्टडी जिसमें पुलिस विफल रही हो।
7	**चक्का जाम का प्रबंधन**- किसी वास्तविक चक्काजाम की घटना पर आधारित केस स्टडी जिसमें पुलिस ने अच्छा कार्य किया गया हो तथा दूसरी केस स्टडी जिसमें पुलिस विफल रही हो।

अनुसरणीय अभ्यास (सिमुलेशन एक्सरसाइज)-

क्र०	विषय
1	भीषण रोड दुर्घटना
2	डकैती/राहजनी-लूट
3	हत्या
4	नववधू का जलना
5	व्ही.आई.पी. इंतजाम
6	जुलूस और त्यौहारों पर ड्यूटी वितरण

<u>रोल प्ले</u>

1	पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता
2	आरोपी/संदेही से पूछताछ
3	साक्षी से पूछताछ करना
4	लोक व्यवस्था का भंग होना
5	पक्ष विरोधी साक्षी
6	आन्दोलनकारियों से समाधानात्मक बातचीत
7	पुलिस स्टेशन का निरीक्षण
8	सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय -भारतीय संविधान की व्याख्या, भारतीय दण्ड संहिता,दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित निर्णय
9	स्वअध्ययन और चर्चा का तरीका अपनाया जा सकता है । इसकी परीक्षा में प्रशिक्षुओं से काल्पिनिक स्थितियों से संबंधित समस्याओं के प्रश्न पूछे जाए जिनका हल उसी उत्तर पत्र में दे सके ।
नोट- ऐसे प्रत्येक अभ्यास का उद्देश्य एवं पटकथा पूर्व से ही प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराना चाहिए । तभी इस अभ्यास का सम्पूर्ण लाभ प्रशिक्षुगण प्राप्त कर सकेगें।	

प्रोजेक्ट वर्क

पेपर 13
केस स्टडीज और सिमुलेशन एक्सरसाइज

इस प्रश्नपत्र मं 10 अंक का एक प्रोजेक्ट रहेगा। जिसमें प्रशिक्षणार्थी किसी व्यवसायिक पुलिस कार्य पर एक केस स्टडी प्रस्तुत करेंगे। कुछ उदाहरण निम्नतः हैं-

1. किसी थाने में एक अपराध की घटना होना और उसके रजिस्टर होने से लेकर अंतिम प्रतिवेदन (चालान) तक की प्रक्रिया पर केस स्टडी ।
2. किसी जिले में कानून व्यवस्था अनियंत्रित होने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कैसे उस पर नियंत्रण पाया गया, इसपर केस स्टडी । इसमें सभी रैंक्स की भूमिकायें शामिल हों- पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, रक्षित निरीक्षक, थाना प्रभारी अन्य अधिकार व कर्मचारीगण।
3. पुलिस के किसी बड़े इंतज़ाम या बंदोबस्त की केस स्टडी जैसे- व्ही.व्ही.आई.पी. ड्यूटी, धार्मिक त्यौहार या मेले की ड्यूटी आदि । इस केस स्टडी में पूरे बंदोबस्त की योजना और तैयार शामिल होगी । जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन, भातिक संसाधनों का प्रबंधन, आसूचना संकलन, जनता से व्यवहार, सामुदायिक पुलिसिंग, अन्य विभागों से समन्वय आदि शामिल रहेगा ।
4. पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार/ अनुशासनहीनता की घटना से संबंधित केस स्टडी जिससे पुलिस की छवि प्रभावित हुई हो । इसमें घटना कैसे घटित हुई, क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी,ता की भूमिका, मीडिया की भूमिका विभिन्न पुलिस अधिकारियों की भूमिका क्या रहीऔर उन्होंने स्थिति को कैसे नियंत्रित किया आदि बिंदु सम्मिलित होंने चाहिये ।

बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

बाह्य प्रशिक्षण						
विषय	**प्रथम सेम अंक**	**द्वितीय सेम अंक**	**योग अंक**	**प्रथम सेम पीरियड**	**द्वितीय सेम पीरियड**	**योग पीरियड**
शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण तथा आव्सटिकल्स						
प्रारंभिक पीटी तथा प्रतिदिन धीमी गति की रनिंग एक्सरसाईसेज, वार्मअप हेतु।						
शरीर शौष्ठव एक्सर्साईजेस						
सिट अप	05	05	10			
चिन अप	05	05	10			
पुश अप	05	05	10			
रस्सा, 20–25 फिट अनिवार्य	05	05	10			
बीम – निर्धारित मापदण्ड	05	05	10			
रोड वॉक	05	05	10			
रोड रनिंग	05	05	10			
ऑबस्टिकल कोर्स	10	10	20			
शटल रेस	05	05	05			
योग	*50*	*50*	*100*	*85*	*75*	*160*
ड्रिल						
खाली हाथ ड्रिल	20	10	30			
सशस्त्र ड्रिल	20	20	40			
सेरेमोनियल ड्रिल	10	20	30			
योग	*50*	*50*	*100*	*75*	*95*	*170*
भीड़ नियंत्रण						
लाठी ड्रिल	05	0	05			
अश्रु गैस तथा गैसगन का उपयोग व गोला फेंकने का अभ्यास वाटर केनन का उपयोग, बज्र वाहन का उपयोग तथा अन्य वलबा नियंत्रण संबंधी उपरकणों की उपयोग	10	10	20			
बलवा परेड तथा विभिन्न आयाम, वलवा परेड का प्रदर्शन वलबा/दंगा के समय थाने तथा कंट्रोल रूम के दस्तावेज रोजनामचा, एफआईआर, रेडियो मेसेज इत्यादि	10	15	25			
योग	*25*	*25*	*50*	*20*	*20*	*40*
वेपन ट्रेनिंग तथा फायरिंग						
वेपन ट्रेनिंग मस्केटरी, विभिन्न शस्त्रों का रखरखाव खोलना, जोड़ना तथा सुरक्षा – अभ्यास (प्रयोग में आने वाले 10 हथियारों के संबंध मे।)			75			
फायरिंग – प्रयोग में आने वाले 10 हथियारों के संबंध मे।			75			
.303 फायरिंग–फायरिंग (100 गज की दूरी से फिगर इलेविन टारगेट को हिट करना)			5			
7.62 एसएलआर फायरिंग (100 गज की दूरी से फिगर इलेविन टारगेट को हिट करना)			5			
इंसास फायरिंग (100 गज की दूरी से फिगर इलेविन टारगेट को हिट करना)			10			
7.62 एकेएम 47			5			
9 एमएम एसएएफ कार्वाईन			5			
एलएमजी			5			
एचई 36 हेंड ग्रेनेड			5			

विषय	प्रथम सेम अंक	द्वितीय सेम अंक	योग अंक	प्रथम सेम पीरियड	द्वितीय सेम पीरियड	योग पीरियड
.38 रिवाल्वर फायरिंग (25 गज व 10 गज की दूरी से फिगर इलेविन टारगेट को हिट करना)			10			
9 एमएम पिस्टल फायरिंग (25 गज व 10 गज की दूरी से फिगर इलेविन टारगेट को हिट करना)			15			
9 एमएम पिस्टल ग्लॉक (25 गज व 10 गज की दूरी से फिगर इलेविन टारगेट को हिट करना)			10			
(आरपीटीसी में एक्जाई परीक्षा, सेमेस्टरवार परीक्षा नही होगी।) योग			*150*			*200*
फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स						
फील्ड क्राफ्ट थ्यौरी			15			
फील्ड क्राफ्ट प्रेक्टिकल			35			
एक्प्लोजिव			10			
मेपरीडिंग प्रेक्टिकल			05			
जंगल कैम्प			10			
(आरपीटीसी में एक्जाई परीक्षा, सेमेस्टरवार परीक्षा नही होगी।) योग			*75*			*80*
यूएसी						
विभिन्न प्रकार के दांवपेंच	10	05	15			
व्यक्तिगत वचाव की तकनीकें	10	10	20			
किसी एक मार्शल आर्ट में प्रवीणता	05	10	15			
योग	*25*	*25*	*50*	**45**	**45**	**90**
योगा			25			40
योग की प्रारंभिक आसन, प्राणायाम तथा ध्यान । सूर्य नमस्कार में पारंगतता	0	25	25			
योग	**0**	**25**	**25**	**20**	**30**	**50**
ड्रायविंग व मोटर मेन्टेनेन्स						
ड्रायविंग प्रैक्टिकल तथा ड्रायविंग के समय सुरक्षा मानदण्डों के हिसाब से ड्राईव करना।	*0*	*40*				
वाहन मैकेनिजम् वायवा	0	05				
डायविंग प्रेक्टिकल करते समय यातायात नियमों तथा मापदण्डों का पालन	*0*	*05*				
योग	**0**	**50**	**25**	**25**	**25**	**50**
टीम गेम्स						
किन्ही दो टीम गेम्स में तथा दो युगल गेम्स/स्वीमिंग/जिमिंग का अभ्यास	**0**	**0**	**0**			
योग	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**	**50**
बहृय प्रशिक्षण महायोग	**375**	**225**	**600**	**705**	**425**	**1130**

नोट – बाह्य प्रशिक्षण हेतु आरएपीटीसी में प्रदान किये जाने वाले अंक (कुल 225 अंक) तथा खर्च होने वाले कालखण्डो (कुल 280 कालखण्ड) की गणना प्रथम सेमेस्टर में समायोजित की गई है

बाह्य प्रशिक्षण	
शरीर शौष्ठव एक्सर्साईजेस	चिनअप् बेन्ट नी सिटअप् पुशअप् उपरोक्त तीनों का नियमित अभ्यास
	चिनअप्, बेन्ट नी सिटअप्, पुशअप् का नियमित अभ्यास
	बीम तथा बीम का प्रारंभिक एक्सरसाईसेज
	रस्सा चढ़ने की कवायद – भाग 01
	चिनअप्, बेन्ट नी सिटअप्, पुशअप् में प्रवीणता
	बीम कार्य में प्रवीणता
	रस्सा चढ़ने की कवायद – भाग 01 से 03 तक
	रस्सा चढ़ने में 20 फीट तक प्रवीणता

रोड वॉक	प्रत्येक जवान को 06 कि.मी. की पैदल चाल		
		पुरूष आरक्षक	**महिला आरक्षक**
प्रथम सेमेस्टर	बेस्ट	40 मिनिट	1 घंटा 5 मिनिट
	गुड	42.5 मिनिट	1 घंटा 10 मिनिट
	सामान्य	45 मिनिट	1 घंटा 15 मिनिट
द्वितीय सेमेस्टर	प्रत्येक जवान को 12 कि.मी. की पैदल चाल		
	बेस्ट	1 घण्टे 20 मिनिट	2 घंटा 10 मिनिट
	गुड	1 घण्टे 25 मिनिट	2 घंटा 20 मिनिट
	सामान्य	1 घण्टे 30 मिनिट	2 घंटा 30 मिनिट
रोड रनिंग	प्रत्येक जवान को 2.4 कि.मी. दौड़ना है		
प्रथम सेमेस्टर	बेस्ट	10 मिनिट 00 सेकेण्ड	11 मिनिट 30 सेकेण्ड
	गुड	11 मिनिट 00 सेकेण्ड	12 मिनिट 00 सेकेण्ड
	सामान्य	12 मिनिट 00 सेकेण्ड	13 मिनिट 30 सेकेण्ड
द्वितीय सेमेस्टर	प्रत्येक जवान को 5 कि.मी. दौड़ना है		
	बेस्ट	30 मिनिट 00 सेकेण्ड	40 मिनिट 00 सेकेण्ड
	गुड	35 मिनिट 00 सेकेण्ड	45 मिनिट 00 सेकेण्ड
	सामान्य	40 मिनिट 00 सेकेण्ड	50 मिनिट 00 सेकेण्ड

ऑब्सटिकल कोर्स	**1 – स्टेट बैलेन्स से लेकर दमादम क्रास करने तक निर्धारित बाधायें पार करना**		
	बेस्ट	01 मिनिट 20 सेकेण्ड	01 मिनिट 30 सेकेण्ड
	गुड	01 मिनिट 25 सेकेण्ड	01 मिनिट 35 सेकेण्ड
	सामान्य	01 मिनिट 30 सेकेण्ड	01 मिनिट 40 सेकेण्ड
	2– बीम (चनअप)		
	बेस्ट	10 बार या अधिक	08–09 बार या अधिक
	गुड	8 से 9 बार	06 से 07 बार
	सामान्य	06 से 07 बार	04 से 05 बार
	3– सिटअप्स		
	बेस्ट	20 बार या अधिक	15 से 19 बार
	गुड	15 से 19 बार	10 से 14 बार
	सामान्य	10 से 14 बार	08 से 09 बार
	4– पुशअप्स		
	बेस्ट	20 बार या अधिक	15 से 19 बार य
	गुड	15 से 19 बार	10 से 14 बार
	सामान्य	10 से 14 बार	08 से 09 बार
	5– रस्सा चढ़ना/उतरना (20 से 25 फीट ऊंचाई)		
	बेस्ट	25 सेकेण्ड	30 सेकेण्ड
	गुड	30 सेकेण्ड	35 सेकेण्ड
	सामान्य	35 सकेण्ड	40 सेकेण्ड

शटलरेस	**प्रत्येक जवान को 200 मीटर दौड़ लगाना है जिसमें 100 मीटर जाना तथा 100 मीटर आना है।**		
	बेस्ट	40 सेकेण्ड	50 सेकेण्ड
	गुड	45 सेकेण्ड	55 सेकेण्ड
	सामान्य	50 सेकेण्ड	60 सेकेण्ड

ड्रिल (खाली हाथ ड्रिल)	
ड्रिल (खाली हाथ ड्रिल)	परिभाषाये (एलाइनमेण्ट,कॉलम,निकट कॉलम,कूच कॉलम, तीन और तीन कॉलम, कवरिंग, फासला, ड्रेसिंग, फाईल, गहराई, फ्लैंक फाईल, भीतरी फ्लैक, बाहरी फ्लैंक, फार्मिंग, सामने, पुलिस विन्यास का अग्रभाग, इनक्लाईन, बीच का फासला, पंक्ति, माक्रर, मॉस, खुली लाईन, निकट लाईन, पेस, रैंक, सिंगल फाईल, अधिसंख्य(सब ऑर्डिनेट), हीलिंग)
	सावधान – विश्राम – आराम से
	मुड़ना और आधा मुड़ना व थमना
	सज्जा (ड्रेसिंग)
	तीन लाईन में चलना
	गिनती एवं परख करना
	खुली लाईन और निकट लाईन ,थमकर,
	विसर्जन एवं स्क्वाड से बाहर निकलना – कदवार मापने(प्रपदह)
	परेड की जानकारी – कदम की लंबाई एवं उनके समय के बारे में जानकारी
	अंतर रखकर स्क्वाड बनाना
	तेज चाल एवं तेज चाल में थमना
	आगे कदम, पीछे कदम एवं दाहिने–बांयें कदम लेना
	धीरे चाल एवं धीरे चाल में थमना
	धीरे चाल में घूमना, मुड़ना एवं दिशा बदलना
	निर्धारित समय में बढ़ना एवं धीरे चाल से थमना
	निर्धारित समय में बढ़ना एवं थमना, तेज चाल एवं दौड चाल में
	धीमी एवं तेज चाल में कदम बदलना
	निर्धारित समय में चलना एवं दौड चाल में थमना
	धीरे चाल , तेज चाल एवं दौड चाल में लाईन तोडना
	धीरे लाईन में चलना एवं धीरे चाल में लाईन में घूमना
	धीरे चाल में थमकर दिशा बदलना एवं धीरे चाल में दिशा बदलना
	तेज चाल में थमकर दिशा बदलना एवं तेज चाल में दिशा बदलना
	थमकर स्क्वाड बनाना एवं धीरे चाल में स्क्वाड बनाना
	तेज चाल में स्क्वाड बनाना
	एक फाईल से तीन लाईन बनाना
	तीन लाईन से दो लाईन बनाना
	दो लाईन से तीन लाईन बनाना
	धीरे चाल में मुड़ना
	तेज चाल में मुडना
	तेज चाल में घूमना, मुडना एवं आधा दांये, आधा बांये घूमना
	थमकर सैल्यूट, सामने का सैल्यूट एवं संदेश के साथ सैल्यूट
	दाहिने एवं बॉये का सैल्यूट
	बिना वर्दी के एवं सादे कपडों में दाहिने, बांये देख
	परेड कमाण्ड करने का अभ्यास तथा व्यक्तिगत कमाण्ड का आंकलन (प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा)
सशस्त्र ड्रिल	सावधान से विश्राम व विश्राम से सावधान
	विश्राम एवं सावधान में खडे होने का तरीका
	भूमि शस्त्र एवं उठा शस्त्र
	सावधान से बगल शस्त्र, बगल शस्त्र से सावधान व विश्राम
	जॉच शस्त्र
	निरीक्षण के लिये जॉच शस्त्र
	सावधान से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से सावधान
	विश्राम से आराम से, आराम से– से विश्राम
	सावधान से आराम से, आराम से– से सावधान
	तौल शस्त्र से बगल शस्त्र, बगल शस्त्र से बदल शस्त्र
	आराम से में हाथ की बदली
	सिलिंग कसना व ढीली करना
	गार्ड को सावधान करना

	गार्ड को विश्राम करना
	गार्ड को सावधान विश्राम एवं बगल शस्त्र सिखाना
	सिलिंग आर्म एवं सोल्डर आर्म
	रायफल के साथ आराम से खडे होना
	रायफल के साथ मुडना व आधा मुडना
	सावधान में दाहिने बांयें सजना
	दाहिने बॉये एवं मध्य से सजना
	थमकर व तेज चाल के दौरान सैल्युट, बट सैल्युट, सामने का सैल्युट एवं संदेश के साथ सैल्युट
	रायफल के साथ चाल के दौरान दाहिने–बॉये का सैल्युट
	रायफल के साथ तेज चाल
सशस्त्र ड्रिल	रायफल के साथ धीरे चाल
	रायफल के साथ धीरे चाल व तेज चाल में मुडना एवं आधा दांये–आधा बांये घूमना
	रायफल के साथ समय के अंदाज से धीरे व तेज चाल में चलना व थमना
	रायफल के साथ धीरे एवं तेज चाल में मुडना व घूमना
	रायफल के साथ खुली लाईन एवं निकट लाईन में चलना
	स्वस्थान – लाईन तोड – लाईन बन (फाल इन)
	धीरे एवं तेज चाल में थमकर दिशा बदलना
	धीरे एवं तेज चाल में थमकर स्क्वाड बनाना
	धीरे चाल, तेज चाल एवं दौड चाल में लाईन तोडना
	रायफल के साथ सैल्युट, संदेश के साथ सैल्युट एवं दाहिने बॉये का सैल्युट
	रायफल के साथ सीधे चलना
	तेज चाल में छोटा – बडा कदम रायफल के साथ
	तीन लाईन से एक फाईल व एक फाईल से तीन लाईन बनाना
	तीन लाईन से एक फाईल व तीन लाईन से एक लाईन तथा पुनः तीन लाईन बनाना
	तीन और तीन के कॉलम से एक फाईल व तीन लाईन तथा पुनः तीन और तीन के कॉलम बनाना
	रायफल के साथ स्क्वाड ड्रिल
सेरेमोनियल ड्रिल	अभ्यास एवं सिखलाई। दीक्षान्त परेड की ड्रिल, शोक ड्रिल, 26 जनवरी की ड्रिल व अन्य प्रमुख आयोजनो की ड्रिल तथा उसका अभ्यास।
बलवा ड्रिल तथा टीयर स्मोक	
टियर स्मोक	परिचय, विशेषताये म्यूनिशन एवं रेस्पिरेटर के प्रकार
	सैल एवं ग्रेनेड की संरचना, एवं टियर स्मोक के प्रभाव
	गन ड्रिल
	ग्रेनेड फेंकने का तरीका
	ग्रेनेड एवं सैलों को फायरिंग/फेकने का तरीका
	गैस ड्रिल एवं रेस्पिरेटर का उपयोग
बलवा ड्रिल	बलवा का परिचय प्राणघातक युद्ध सामग्री का कम से कम प्रयोग जैसे वाटर कैनन, प्लास्टिक छर्रे एवं रबर की गोलियॉ आदि भीड नियंत्रण ड्रिल पर व्याख्यान एवं नमूना
	बलवा पार्टियों पर नियंत्रण की संरचना एवं तैयारी तथा विभिन्न संरचनाओं का उपयोग
	कार्यवाही – बांयें से, दांये से, पीछे से एवं वृत्ताकार
	भीड नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास
	बस में चढने व बस से उतरने का तरीका (एमबस और डीबस)
	नमूना अभ्यास
	बलवा ड्रिल के दौरान नव आरक्षकों को बलवाई तथा पार्टी कमांडर न बनाकर स्थानीय अधिकारियों (पीटीएस स्टाफ अथवा जिला बल) से कमांड कराई जाये।
लाठी ड्रिल	छोटी लाठी की जानकारी–सावधान, विश्राम, आराम से
	थमकर लाठी के साथ मुडना एवं ड्रेसिंग
	लाठी के साथ चलना
	थमकर सैल्यूट– चलते हुए सैल्यूट एवं संदेश के साथ सैल्यूट
	लाठी के साथ सैल्यूट – स्क्वाड का थमना एवं विसर्जन करना
	थमकर, धीरे चाल एवं तेज चाल में दिशा बदलना, व स्क्वाड बनाना
	तेज चाल– सामने का सैल्यूट एवं संदेश के साथ सैल्यूट, दांयें एवं बांयें का सैल्यूट
	लाठी अभ्यास के लिये क्लास को खोलना – 1 से 4 तक अभ्यास एवं क्लास को संयुक्त करना
	भीड नियंत्रण में लाठी का प्रयोग

शस्त्र प्रशिक्षण तथा फायरिंग	
.303 रायफल	परिचय, विशेषता , पहचान एवं प्रकार खोलना–जोडना एवं विभिन्न हिस्से पुर्जों के नाम निशाना साधना देखरेख एवं साफ सफाई भरना एवं खाली करना लाईंग पोजीशन एवं मजबूत पकड निशाना बांधना–तरतीब–1 रेन्ज एवं फिगर टारगेट पर
	ट्रिगर पर नियंत्रण फायरिंग पोजीशन एवं फायर करना निशाना साधना–2– साईट को एडजस्ट करना बोल्ट चलाना
7.62 एसएलआर	परिचय खोलना –जोडना एवं हिस्से पुर्जों के नाम देखरेख एवं साफ सफाई भरना,खाली करना, पकड़ना, निशाना लगाना, साईट सेट करना, ले जाने का तरीका फायर करना– रोके एवं रोको को दूर करने का तरीका निशाने के लिये साईट बदलना, निशाने की जगह एवं हरकत करने वाले टारगेटों पर निशाना साधना
इंसास	परिचय खोलना –जोडना एवं हिस्से पुर्जों के नाम देखरेख एवं साफ सफाई भरना,खाली करना, पकड़ना, निशाना लगाना, साईट सेट करना, ले जाने का तरीका फायर करना– रोके एवं रोको को दूर करने का तरीका निशाने के लिये साईट बदलना, निशाने की जगह एवं हरकत करने वाले टारगेटों पर निशाना साधना
9 एमएम कार्बाइन	परिचय, खोलना एवं जोडना कार्बाइन एवं स्टेन में अंतर देखरेख एवं साफ सफाई भरना एवं खाली करना, ले जाने का तरीका–निशाना साधना एवं फायरिंग पोजीशन रोक एवं त्वरित कार्यवाही
9 एमएम पिस्टल **9 एमएम ग्लॉक पिस्टल**	परिचय, पिस्टल का निरीक्षण, सुरक्षा–सावधानियॉं, खोलना, जोडना, पिस्टल को कॉक करना एवं वापस लाना देखरेख एवं साफ सफाई, भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन, सुरक्षा–सावधानी, फायर करना, रोक एवं त्वरित कार्यवाही ग्लॉक पिस्टल, पिस्टल का निरीक्षण, सुरक्षा–सावधानियॉं, खोलना, जोडना, पिस्टल को कॉक करना एवं वापस लाना ग्लॉक पिस्टल, देखरेख एवं साफ सफाई, भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन, सुरक्षा–सावधानी, फायर करना, रोक एवं त्वरित कार्यवाही
.38 रिवाल्वर	परिचय, रिवाल्वर का निरीक्षण, रिवाल्वर को कॉक करना एवं अनकाक करना देखरेख एवं साफ सफाई, भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन, फायर करना,
ए0के0 47	परिचय, खोलना, सफाई करना एवं जोडना भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन एवं ले जाने का तरीके, फायर करना, रोक एवं त्वरित कार्यवाही
एलएमजी	परिचय, खोलना, सफाई करना एवं जोडना भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन एवं ले जाने का तरीके, फायर करना, रोक एवं त्वरित कार्यवाही
एचई 36 ग्रेनेड	परिचय, खोलना, सफाई करना एवं जोडना, पिन का महत्व, विस्फोट की प्रक्रिया चलाने की कार्यवाही तथा अभ्यास।
फील्ड क्राफ्ट	चीजें नजर आने के सिद्धान्त फासले का अनुमान लगाना कैमोफ्लाईस कन्सेलमेंट, फील्ड सिग्नल फायर कंट्रोल आर्डर डेमो
फील्ड क्राफ्ट	प्रथम फेज की फील्ड क्राफ्ट की दोहराई गांव का घेरा डालना रेडिंग अ प्वाइंट एम्बुश काउण्टर एम्बुश डेमो

फील्ड क्राफ्ट	प्रथम फेज की दोहराई द्वितीय फेज की दोहराई चांस एनकाउन्टर सर्चिंग पेट्रोलिंग रोड ओपनिंग डेमो
फील्ड क्राफ्ट	प्रथम फेज की दोहराई द्वितीय फेज की दोहराई तृतीय फेज की दोहराई सेक्शन फार्मेशन स्काउटिंग टारगेट की पहचान एवं बयान रेड आन हाइड आऊट नाईट नेवीगेशन नाईट फायरिंग एन.व्ही.डी./एन.व्ही.जी. का प्रयोग स्वयं द्वारा डेमों का प्रदर्शन
विस्फोटक	
विस्फोटक	विस्फोटकों का परिचय और उनकी प्रकृति
	विस्फोटकों के प्रकार एवं पहचान (व्याख्यान एवं नमूना)
	डिटोनेटर, इसके प्रकार तथा पहचान (व्याख्यान एवं नमूना)
	विस्फोटकों की पहचान पर सावधानियां एवं सुरक्षात्मक उपाय
	देशी बमों तथा परिष्कृत विस्फोटक युक्तियों (आई.ई.डी.) का परिचय (व्याख्यान एवं नमूना)
	विस्फोट का कमांड मेकेनिज्म (वायर्ड, रिमोट कंट्रोल्ड, टाईमर, दबाव या प्रेशर, प्रकाश इत्यादि) (व्याख्यान एवं नमूना)
	लेण्डमाईन्स् का परिचय
	बम खोजना एवं फटने से पहले डिफ्यूज करना
	ब्लास्ट के बाद का परीक्षण – न्यायालयीन महत्व के भौतिक साक्ष्यों का संग्रहण

जंगल केम्प	
जंगल केम्प	7 दिन के जंगल केम्प के माध्यम से वहीं रहना व प्रेक्टिकल करना
	7 दिन के जंगल केम्प के दौरान सभी फील्ड क्राफ्ट की परीक्षा लेना
मेप रीडिंग	मेप के संबंध में जानकारी तथा कम्पास का उपयोग
यू.ए.सी.	यूएसी क्या है? इसका पुलिस के दैनिक जीवन में क्या महत्व है।
	मानव शरीर के नाजुक हिस्से तथा उन पर मार का असर
	निहत्थी लड़ाई में खड़े होने का दुरूस्त तरीका
	किक के विभिन्न प्रकार तथा उनके उपयोग की परिस्थितियां तथा अभ्यास
	निहत्थी लड़ाई सीखने वालों मे क्या खूबियां होनी चाहिये
	विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट्स (मानदेय के आधार पर आंमंत्रित मार्शल आर्ट के कोच के माध्यम से)
	किक मारने के तरीके
	किक किन हालातों में उपयोगी है
	किक से वचाव
	गिरने व लुड़कने के बारे में जानकारी
	मार, बचाव, फंकना
	किन्ही दो मार्शल आर्ट्स – बुशु, जूडो, करार्ट, कुम्फु, टायकान्डो में से किन्ही दो (स्थानीय कोच की उपलब्धता के आधार पर) प्रारंभिक स्टेप्स् (मानदेय के आधार पर आंमंत्रित मार्शल आर्ट के कोच के माध्यम से)
	फिस्ट फाईटिंग क्या है? तथा फिस्ट फाईटिंग का नियमित अभ्यास
	विभिन्न प्रकार के किक्स का नियमित अभ्यास

	किन्दी दो मार्शल आर्ट का नियमित अभ्याय (मानदेय के आधार पर आंमंत्रित मार्शल आर्ट के कोच के माध्यम से) मॉक ड्रिल– आकास्मिक परिस्थितियों मे स्वयं को बचाने के तरीके आकस्मिक परिस्थितियों में निहत्थी लड़ाई के विभिन्न आयाम, आकस्मिक लड़ाई की परिस्थितियां बनाकर दॉवपेंच की कार्यवाही करना। मार्शल आर्ट में प्रवीणता (मानदेय के आधार पर आंमंत्रित मार्शल आर्ट के कोच के सहयोग से)
योगा	योग की सैधान्ति जानकारी एवं सूर्य नमस्कार
	सूर्य नमस्कार, आसन, गौमुखासन,
	ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन
	धनुषासन, उत्तानुपादासन,
	सर्वांगासन, हस्तपादोत्तानासन
	पश्चिमोत्तासन, श्वसासन
	ताड़ासन, भुजंगासन्, वज्रासन
	मयूरासन, धनुषासन
	उत्तानुपादासन, हस्तपादोत्तानासन
	सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन
	प्राणायाम तथा ध्यान
वाहन चालन एवं वाहन का रखरखाव	
वाहन चालन एवं वाहन का रखरखाव	ड्रायविंग प्रैक्टिकल
	वाहन मैकेनिजम् वायवा
	डायविंग प्रेक्टिकल करते समय यातायात नियमों तथा मापदण्डों का पालन
	मोटर व्हीकल एक्ट और रेग्युलेशन
खेल तथा जिम	
खेल तथा जिम	टीम गेम्स् जिसमें हॉकी, बॉलीवाल, बास्केटवाल, फुटवाल, कबड्डी तथा खो–खो समस्त खेलों का समावेश हो। प्रत्येक प्रशिक्षु को कम से कम तीन टीम गेम्स खेलना आवश्यक है। जिमनेशियम में कार्डियों एक्सरसाईस तथा बेट्स एक्सरसाईस ।
	टीम गेम्स् जिसमें हॉकी, व्हालीबॉल, बास्केटवाल, फुटवाल, कबड्डी तथा खो–खो समस्त खेलों का समावेश हो। प्रत्येक प्रशिक्षु को कम से कम तीन टीम गेम्स खेलना आवश्यक है। जिमनेशियम में कार्डियों एक्सरसाईस तथा बेट्स एक्सरसाईस ।
	पीटीएस स्तर पर टीम गेम्स की प्रतियोगितायें । पीटीएस स्तर पर अंतरपीटीएस काम्पटीशन हेतु टीमों का चुनाव टीम गेम्स् जिसमें हॉकी, बॉलीवाल, बास्केटवाल, फुटवाल, कबड्डी तथा खो–खो समस्त खेलों का समावेश हो। प्रत्येक प्रशिक्षु को कम से कम तीन टीम गेम्स खेलना आवश्यक है। जिमनेशियम में कार्डियों एक्सरसाईस तथा बेट्स एक्सरसाईस ।
	समस्त खेलों का अभ्यास । प्रशिक्षण जोन स्तर पर अंतर पीटीएस काम्पीटीशन। नवआरक्षकों का खेलों में व्यक्तिगत मूल्यांकन।

व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला प्रशिक्षण	अवधि	विवरण
जिला एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय	3 दिवस	प्रोवेशनर अधिकारियों से मिलेंगे एवं जिले से परिचय प्राप्त करेंगे।पुमनि/उमनि/पुअ/जिलाधीश/जिला न्यायाधीश/अपुअ/सीईओ जिला पंचायत/नपुअ /एडीएम /एसडीएम इत्यादि से भेट
पुलिस कंट्रोल रूम में संबंद्धता	4 दिवस	कंट्रोल के प्रभारी तथा रोजनामचा लेखक के रूप में 02 दिवस, टेलीफोन आपरेटर के रूप में 02 दिवस कार्य करने का अनुभव
पुलिस लाईन संबंद्धता	7 दिवस	रक्षित निरीक्षक, एमटीओ, स्टोर प्रभारी, ड्यूटी अधिकारी–ड्यूटी वितरण कार्य स्वयं करना, कानून व्यवस्था इंतजाम बनाना तथा लगाना गार्ड प्रभारी के रूप में वास्तविक कार्य, पुलिस लाईन से जाने वाली मुल्जिम पेशी हेतु वास्तविक कार्य करना। रनि का वास्तविक प्रभारी 02 दिवस।
बीट आरक्षक के कार्य करना	7 दिवस	बीट आरक्षक के कार्य को करना।
शहर के पुलिस थाने में हेड मोहर्रिर अवधि	15 दिवस	पुलिस थाने के आधारभूत कार्य करना। रोजनामचे के स्वयं लेखन करना तथा लगातार 15 दिवस तक लगातार 08 घण्टे रोजनामचा स्वयं की हस्त लिपि में लिखने का प्रमाण भी फोटोकापी प्रमाण के रूप में जनपुअ में प्रशिक्षण की समाप्ति पर जमा करना।
शहर के थाने में गश्ती प्रधान आरक्षक के कार्य अवधि	15 दिवस	पुलिस थाने के आधारभूत कार्य करना।
एसएएफ अटैचमेंट	7 दिवस	जिले की समीपस्थ एसएएफ बटालियन में सात दिवस में जिसमें से दो दिवस बटालियन मुख्यालय पर कमाण्डेंट, एडज्यूटेंट, क्वार्टर मास्टर तथा सूबेदार मेजर के साथ संबद्धता। शेष 05 दिवस किसी कंपनी के साथ वास्तविक रूप से कंपनी हेडक्वार्टर पर रहकर एसएएफ कंपनी के साथ कार्य करना।
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय संबंद्धता	1 माह	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सभी शाखाओं के कार्य करना–जिविशा, स्थापना, एसआरसी, एसी, ओएम, अकाउण्ट्स, वेतन, जीपीएफ तथा भत्ते, टीए, रिकार्ड, शस्त्र लायसेंस, कंटीजेन्सी, कोर्ट कार्य, रीडर शाखा में वास्तविक कार्य करना तथा समस्त कार्यों के रिकार्ड इत्यादि का अवलोकन कर इंट्री करना। बड़े बाबू के साथ 02 दिवस तथा पुअ स्टेनो के साथ 02 दिवस तथा रीडर के साथ 02 संबंद्ध रहकर कार्य करना। डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ 03 दिवस, अपुअ के साथ 03 दिवस तथा पुअ के साथ 05 दिवस हेतु संबंद्ध रहना।
कलेक्टर कार्यालय तथा एडीएम, एसडीएम, नजूल अधिकारी, एसडीओ रिवेन्यू के कार्य को आब्जर्व करना तथा समझना। उपरोक्त कार्यालयों में संबंद्धता	7 दिवस	कलेक्टर कार्यालय तथा एडीएम, एसडीएम, नजूल अधिकारी, एसडीओ रिवेन्यू के कार्य को आब्जर्व करना तथा समझना। उपरोक्त कार्यालयों में संबंद्धता। कार्यपालिक दण्डाधिकारी के कार्य तथा रिवेन्यू रिकार्ड को समझना। रजिस्ट्रार कार्यालय को समझना। समस्त लैण्ड रिकार्ड को समझना।
डीपीओ के साथ कोर्ट संबंद्धता	7 दिवस	जिला कोर्ट और अभियोजन शाखा के आधारभूत कार्य करके सीखना–चालान पेश कराना, माल जमा कराना, गवाह की पेशी कराना, पेशी के समय तथा प्रतिपरीक्षण के समय उपस्थित रहना, अभियोजन अधिकारी के साथ स्कूटनी कार्य वाही देखना, समन्स वारंट जारी करने की प्रक्रिया को समझना, जिला अभियोजन अधिकारी के साथ संबंद्ध रहकर कार्य करना। विभिन्न न्यायालयों में परीक्षण के समय आब्जवेशन हेतु उपस्थित रहना। जिला एवं सत्र न्यायधीश महोदयों से भेंट करना, जीपी की भूमिका का अध्ययन करना। बार काउन्सिल में जाकर बार के सदस्यों से भेंट करनां
ग्रामीण पुलिस थाने का स्वतंत्र प्रभार	3 माह	पुलिस थाने के स्वतंत्र प्रभार के दौरान आधारभूत कार्य करना।
डीएसपी/एसडीओपी कार्यालय से संबंद्धता	1 माह	एसडीओपी कार्यालय के आधारभूत कार्य करना।
कुल अवधि	**7 माह 15 दिवस**	

नोट :– जिले का निर्धारण प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं फील्ड विजिट्स,
संवेदनशीलता एवं व्यवसायिक कार्यों के संबंध में केप्सूल कोर्सेस

(थाने का 03 दिवसीय भ्रमण प्रथम सेमेस्टर के चौथे माह में तथा शेष बचे समस्त भ्रमण द्वितीय सेमेस्टर में आयोजित किये जायें)

व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं फील्ड विजिट्स	कालखंड
कारागर/जेल का भ्रमण	06
न्यायालय का भ्रमण	06
जिला पुलिस कार्यालय का भ्रमण	06
जिला रक्षित आरक्षी केंद्र (पुलिस लाइन्स) का भ्रमण	06
<u>थाने का भ्रमण</u> – परिवीक्षाधीन पुलिस उप अधीक्षक को सागर जिले के किसी पुलिस थाने में 03 दिवस के लिये संबद्ध किया जायेगा जिसमें वे पुलिस की दैनिक कार्यवाहियों से परिचित होंगे। इस दौरान वे रोजनामचा लिखेंगे, एफ.आई.आर. लिखेंगे, अन्वेषक के साथ अपराध दृश्य और न्यायालय में जायेंगे, थाना प्रभारी के साथ रहेंगे, रोलकॉल में रहेंगे। ***इसका आयोजन पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन के सहयोग से जेएनपीए द्वारा किया जायेगा***	कालखंड 32 (कुल 3 दिन)
जिला दंडाधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय का भ्रमण	05
वृद्धाश्रम का भ्रमण	05
महिला गृह/ महिला आश्रम का भ्रमण	05
बाल आश्रम या शेल्टर होम्स का भ्रमण	05
जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कार्यालय का भ्रमण	05
अस्पताल या मॉरच्यूरी का भ्रमण	05
कुल	86

संवेदनशीलता एवं व्यवसायिक कार्यों के संबंध में
केप्सूल कोर्सेस

क्रमांक	विषय	कालखंड
1	पुलिस रिफोर्म्स् एंड रूल आफ लॉ	01 दिवस कार्यशाला
2	गुड गवर्नेन्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी	01 दिवस कार्यशाला
3	मानव अधिकार तथा पुलिस से होने वाली सामान्य गलतियां, आरोपी के अधिकारों के विशेष संदर्भ में	01 दिवस कार्यशाला
4	व्हीव्हीआईपी सिक्युरिटी का अभ्यास, काल्पनिक व्ही,व्ही.आई.पी.ड्यूटी का प्रदर्शन	01 दिवस कार्यशाला
5	जेंडर सेंसिटाइजेशन/लैंगिक संवेदनशीलता	06
6	बाल न्याय	06
7	अपराध के पीड़ितों के साथ व्यवहार	06
8	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, एड्स	06
9	प्राथमिक उपचार	06
10	आसूचना संकलन– निगरानी और शैडोइंग का प्रदर्शन व अभ्यास	06
11	जातिगत एवं सांप्रदायिक संघर्ष– पुलिस की भूमिका	06
12	इंटेरोगेशन कौशल	06
13	सुरक्षा बंदोबस्त – त्यौहार, मेला, महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा रैली–सिमुलेशन एक्सरसाईज	06
14	कोर्ट क्राफ्ट	06
15	राजस्व अधिनियमों एवं अभिलेखों से परिचय	06
16	सिमुलेशन– थाने के अभिलेखों में इंद्राज	06
17	मीडिया मैनेजमेंट	06
18	इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस	06
19	वार्तालाप कौशल (नेगोशियेशन स्किल)	06
20	साइबर क्राइम	06
	कुल	96 पीरियड 04 दिवस कार्यशाला

यह कैप्सूल कोर्स आंतरिक प्रशिक्षण के समय में ही संचालित किये जायेगे। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इस हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रशिक्षण तकनीक के रूप में व्याख्यान, प्रदर्शन, केस स्टडी, रोल प्ले आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

विशिष्टि कैप्सूल कोर्स

आरएपीटीसी इंदौर में आयोजित 15 दिवसीय विशिष्ट प्रशिक्षण
कैप्सूल कोर्स ऑन मैनेजमेंट प्रिसिपल्स एंड यूज आफ टेक्नालाजी इन पुलिस वक्र

उप पुलिस अधीक्षको ंको मैनेजमेंट विषय पर अत्याधुनिक विचार धाराओं से अवगत कराया जा सके तथा उन्हें मानव संसाधन प्रवंधन तथा पुलिस के अंदर प्रवंधन तकनीकों के उपयोग की प्रवृत्ति के विकास हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कैप्सूल कोर्स के रूप में आयोजित किये जायेगें, जो जंगल केम्प के उपरांत आरएपीटीसी में आयोजित होंगे। इसमें आईआईपीएस तथा आईएमएस देवी अहिल्या विश्व विद्यालय के योग्य प्रशिक्षकों के सहयेाग से मैनेजमेंट कैप्सूल कोर्स संचालित होगा। इस हेतु पुलिस की शीर्षस्थ अधिकारियों के भी विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवंधन कौशल से जुड़े हुये अन्य विभागों तथा कारपोरेट समूहों के रिर्सार्स पर्सन से भी प्रशिक्षु अधिकारियों की भेंट कराई जायेगी ताकि उन्हें आधुनिक गर्वनेन्स सिस्टम तथा मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी हो सके तथा भविष्य में अपने कार्य संपादन में बेहतर येागदान दे सकें। यह प्रशिक्षण पॉच दिवस हेतु आरएपीटीसी में आयेाजित होगा तथा दो दिवस का प्रशिक्षण भ्रमण आयेाजित होगा जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो तथा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित होगा।

शेष सात दिवस हेतु यूज ऑफ टेक्नालाजी इन पुलिस वर्क्स पर विशिष्ट व्याख्यान होंगे, जिसमें विकसित संचार साधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तथा सायवर क्राईम तथा सांन्टिफक एड टू इन्वेस्टीगेशन विषयों पर भी विशिष्ट प्रशिक्षण आयेाजित होंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सायबर पुलिस सेल, एटीएस, एसटीएफ, एससीआरबी, पुलिस रेडियो शाखा तथा इंदौर जिले के क्राईम ब्रांच के संहयोग से आयेाजित होगा। इसमें देवी अहिल्या विश्व विद्यायल के कम्प्यूटर साइंस विभाग के व्याख्याताओं का भी योगदान आमंत्रित होगा। इस प्रशिक्षण में पुलिस के शीर्षस्थ तथा अनुभवी अधिकारियों के विशिष्ट व्याख्यान इस विषय पर आयेाजित होंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आरएपीटीसी में होगा तथा दो दिवस का प्रशिक्षण भ्रमण आयेाजित होगा जो विभिन्न क्षेत्रो का भ्रमण करेंगे जहां पर उच्च तकनीक का उपयोग पुलिस की कार्यप्रणाली में किया जा रहा है।

परीक्षा पद्धति
Overview of Examination Procedure

परीक्षा/मूल्यांकन	समय	कुल अंक	रिमाक्र
प्रथम सेमेस्टर	06 माह	900 अंक (700 इन–डोर 150 आउट डोर 50 निदेशक के मूल्यांकन अंक)	आन्तरिक परीक्षा में पेपर क्रमाक 01 से 07 की परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर में आन्तरिक विषय के प्रथम 03 माह के उपरांत मिडसेमेस्टर एक्जाम तथा 06 माह पर एंड सेमेस्टर एक्जाम होगा। मिड सेमेस्टर एक्जाम में 30 अंकों की आन्तरिक परीक्षा होगी। एंड सेमेस्टर एक्जाम में 60 अंकों की परीक्षा होगी तथा 10 अंक प्रोजेक्ट वक्र एंड सेमेस्टर परीक्षा के साथ जमा किया जाना होगा।
वेपन एंड टेक्टिक्स कोर्स तथा जंगल केम्प (आएपीटीसी में मूल्यांकन)	01 माह 15 दिवस (प्रथम सेमेस्टर के उपरांत)	225 अंक	वेपन एवं टेक्टिक्स, फायरिग, एक्सप्लोसिव, जगल केम्प की परीक्षा तथा मूल्यांकन आरएपीटीसी में होंगा।
द्वितीय सेमेस्टर	06 माह (आएपीटीसी के प्रशिक्षण के उपरांत प्रारंभ होगा।)	825 अंक (600 अंक इंडोर 225 अंक आउटडोर)	पेपर क्रमांक 08 से 13 तक आन्तरिक परीक्षा होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में आन्तरिक विषय के प्रथम 03 माह के उपरांत मिडसेमेस्टर एक्जाम तथा 06 माह पर एंड सेमेस्टर एक्जाम होगा। मिड सेमेस्टर एक्जाम में 30 अंकों की आन्तरिक परीक्षा होगी। एंड सेमेस्टर एक्जाम में 60 अंकों की परीक्षा होगी तथा 10 अंक प्रोजेक्टवक्र एंड सेमेस्टर परीक्षा के साथ जमा किया जाना होगा।
अंतिम चरण तथा जिला प्रशिक्षण मूल्यांकन	07 दिवस (जिला प्रशिक्षण के उपरांत जेएनपीए में पुनः सम्मिलित होकर अंतिम चरण के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में कार्यवाही करेंगे)	150 अंक 100 अंक जिला प्रशिक्षण का मूल्यांकन तथा 50 अंक निदेशक का मूल्यांकन	50 अंक प्रोजेक्ट कार्य तथा 25 अंक का जिला प्रशिक्षण का पीपीटी प्रस्तुतिकरण, 25 अंक जिला प्रशिक्षण पर आधारित वायवा
		कुल अंक – 2100	

परीक्षा पद्धति

- प्रशिक्षु अधिकारियों की परीक्षा पद्धति सेमेस्टर सिस्टम में विभाजित की गई है। जिसके अंतर्गत दो सेमेस्टर 6–6 माह के आयोजित किये जायेंगे। प्रथम सेमेस्टर में कुल 900 अंको हेतु परीक्षा होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर में 825 अंक हेतु परीक्षा होगी।
- इसके अतिरिक्त आरपीटीसी में कुछ बाह्य विषयों की परीक्षा 225 अंको की आयेाजित की जायेगी जिसका विस्तृत विवरण निर्धारित स्थान पर दिया गया है।
- निदेशक के मूल्यांकन के 100 अंक तथा जिला मूल्यांकन के 100 अंक रखे गये हैं। इस प्रकार पूर्णांक 2100 रखे गये हैं।

- जिला मूल्यांकन अंक जिले के प्रशिक्षण की कार्यवाही के आधार पर जिला प्रशिक्षण के बाद प्रदान किये जायेंगें जिसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक सेमेस्टर में दो परीक्षाये आयोजित होंगी। जिनकी योजना निम्नानुसार है :–
    1. तीन माह के प्रशिक्षण उपरांत ''मिड सेमस्टर'' परीक्षा आयोजित होगी जो प्रत्येक विषय के 30 प्रतिशत अंको हेतु आयोजित होगी। यह आंतरिक परीक्षा होगी तथा इसका मूल्यांकन आन्तरिक प्रशिक्षक ही करेंगे परंतु प्रश्नपत्र पुलिस मुख्यालय से प्रदान किये जायेंगे।
    2. 06 माह के प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक सेमेस्टर में 'एंड सेमेस्टर'' परीक्षा आयोजित होगी। यह 60 प्रतिशत अंकों की परीक्षा होगी। इसके अंतर्गत 50 अंको की लिखित परीक्षा तथा 10 अंक का प्रोजेक्ट वक्र होगा। प्रोजेक्ट वके का मूल्यांकन बाह्य समिति द्वारा किया जायेगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र तैयार कर मूल्यांकन भी बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्रों का निर्माण निम्न योजन के अंतर्गत किया जायेगा –
    1. प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न पत्र में तीन प्रकार के प्रश्न होंगे, 40 प्रतिशत प्रश्न दो अकों के लघुउत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें 0–25 शब्दों के अंदर उत्तर लिखन अपेक्षित होगा।
    2. 30 प्रतिशत प्रश्न अल्प शब्दसीमा के होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा तथा उसको लिखे जाने की शब्दसीमा 100 शब्दों की होगी।
    3. शेष बचे 30 प्रतिशत प्रश्नों में शब्द सीमा 200–300 शब्दों की होगी तथा प्रत्येक प्रश्न पर 10 अंक निर्धारित होंगे।
- बाह्य परीक्षा हेतु भी प्रत्येक सेमेस्टर के अंतर्गत मिड सेमेस्टर तथा एंड सेमेस्टर पीरक्षा का आयेाजन होगा जिसके अंतर्गत 3 माह के उपरांत मिड सेमेस्टर की बाह्य परीक्षा ली जायेगी जो 30 प्रतिशत अंको की होगी। यह परीक्षा आन्तरिक परीक्षकों द्वारा ही ली जावेगी, परंतु इसके इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी आवश्यक होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में 06 माह के उपरांत एंड सेमेस्टर की बाह्य परीक्षा ली जायेगी जो बाह्य समिति द्वारा ली जायेगी। यह परीक्षा 60 अंको हेतु निर्धारित होगी।
- प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक प्रत्येक प्रशिक्षु अधिकारी का मूल्यांकन,उनके सर्वांगीण विकास, अनुशासन तथा प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर करेंगे जिस हेतु 50 अंक प्रथम सेमेस्टर के अंत में प्रदान किये जायेगे तथा 50 अंक सम्पूर्ण प्रशिक्षण की समाप्ति पर जिला प्रशिक्षण के उपरांत एंड फेज में प्रदान किये जायेंगे ताकि सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण संस्था का नियंत्रण प्रशिुओं पर रह सके।
- जिला प्रशिक्षण हेतु पृथक से 100 अंकों का निर्धारण किया गया है। जिला प्रशिक्षण मे प्रशिक्षु द्वारा प्रदर्शित अभिरूचि तथा प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर ही प्रशिक्षण अंक प्रदान किये जायेंगे जो बाह्य समिति द्वारा प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदर्शित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वायवा तथा प्रजेन्टेशन के आधार पर तथा प्रशिक्षण के रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर दिया जायेगा।
- प्रत्येक सेमेस्टर में प्राप्त अंको का योग करने के उपरांत, आरएपीटीसी से प्राप्त रिजल्ट को जोड़ने के उपरांत एंड फेज में जिला मूल्यांकन तथा निदेशक के मूल्यांकन के अंक जोड़ने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षकों के प्रोवेशन की समाप्ति पर 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण हेाने पर उन्हें परीक्षा के रिजल्ट के निर्माण के उपरांत परीक्षा के रिजल्ट से अवकत करया जायेगा तथा उसका उल्लेख उनके सर्विस रिकार्ड में किया जायेगा।
- प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में तथा प्रत्येक पेपर में पृथक–पृथक पास होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पेपर में पास होने के अंक 50 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे जिसमें किसी भी आधार पर अथवा आरक्षके के आधार पर छूट मान्य नहीं होगी। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा तथा उन्हें पास होने हेतु पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जायेगा। पास न होने की स्थिति में इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके सर्विस रोल पर पड़ेगा।
- परीक्षा का संचालन पूर्ण निष्पक्षता व प्रतिबद्धता से किया जायेगा तथा समस्त परीक्षा पद्धति की वीडियो फिल्मिंग भी कराई जायेगी।

अंतिम चरण
जिला प्रशिक्षण का मूल्यांकन एवं डायरेक्टर का मूल्यांकन
100 अंक

- जिला प्रशिक्षण का मूल्यांकन अंतिम फेज/चरण में किया जायेगा । चूंकि कुल प्रशिक्षण 24 माह का है अतः यह मूल्यांकन प्रशिक्षण के अंत में होगा।
- जिला प्रशिक्षण कुल 10 माह का होगा। इसके बाद परिवीक्षाधीन अधिकारीगण जनपुअ में 7 दिवस के लिये आयेंगे।
- अंतिम चरण में जनपुअ के 7 दिवस (जिला प्रशिक्षण का रिव्यू) और पुलिस मुख्यालय में एक्पोजर विजिट के 7 दिवस शामिल होंगे।
- जिले में प्राप्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिये प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा एक पैनल गठित की जायेगी जिसमें कम से कम 3 अधिकारी पुमनि/उमनि/पुअ रैंक के होंगे और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी सहायतार्थ रहेंगे ।
- जिला प्रशिक्षण का मूल्यांकन 3 भागों में होगा ।
    - O प्रशिक्षणार्थी को जिले में प्रशिक्षण के दौरान बनाये 5 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जमा करनी होंगी । प्रत्येक प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 अंक की होगी (कुल अंक 50).
    - O इसके अतिरिक्त जिले में प्रशिक्षण के अनुभव पर आधारित 20 स्लाइड का पॉवर प्वांइट प्रेजेंटेशन देना होगा जो 25 अंक का होगा ।
    - O तीसरा भाग 25 अंक के वायवा/साक्षात्कार का होगा जो बाहरी पैनल द्वारा जिले में पुलिस के कार्य और प्रशिक्षार्थी के अनुभव के विषय में लिया जायेगा ।

- बाहरी पैनल प्रशिक्षणर्थी के जिला प्रशिक्षण को देखते हुये अंक प्रदान करेगी ।

प्रोजक्ट रिपोर्ट के लिये प्रमुख विचार निम्न हो सकते हैं :-

- शरीर संबंधी अथवा संपत्ति संबंधी किसी गंभीर अपराध की विवेचना से संबंधित कोई भी पहलू
- थाने में कार्य करने के अनुभव का कोई भी पहलू
- जिला पुलिस बल में मानव संसाधन के प्रबंधन से संबंधित कोई पहलू ।
- पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी के कार्यों और दायित्वों से संबंधित पहलू
- पुलिस कार्य के दौरान विभिन्न विभागों और इकाइयों से समन्वय से संबंधित कोई पहलू, जैसे - न्यायालय, जिला दंडाधिकारी कार्यालय आदि ।

निदेशक के अंक
100 अंक

श्री जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर के निदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कुल 100 अंकों का मूल्यांकन किया जायेगा। निदेशक प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को उसके कार्य निष्पादन, उपस्थिति, स्व-प्रेरण, प्रशिक्षण में रूचि, अनुशासन और प्रशिक्षण वातावरण को बेहतर बनाने के प्रयासों के आधार पर अंक देंगे ।

प्रथम सेमेस्टर की समाप्ति पर निदेशक प्रशिक्षण से जुड़े सभी आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षकों से लिखित राय प्राप्त करेंगे और 50 अंकों में से मूल्यांकन किया जायेगा।

प्रशिक्षण के अंतिम चरण में निदेशक जेएनपीए पुनः 50 अंकों का मूल्यांकन करेंगें । यह अंतिम चरण कुल 24 माह के प्रशिक्षण के द्वितीय पक्ष में होगा। अंतिम चरण में जेएनपीए के 7 दिवस (जिला प्रशिक्षण का रिव्यू) और पुलिस मुख्यालय में एक्पोजर विजिट के 7 दिवस शामिल होंगे । इस समय मूल्यांकन के लिये निदेशक जेएनपीए विभिन्न जिलों के उन पुलिस अधीक्षकों से से प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे जिनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। इसमें प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति, प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिये उसके द्वारा किये गये प्रयासों की समीक्षा की जायेगी। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये निदेशक जेएनपीए द्वारा 50 अंकों का मूल्यांकन किया जायेगा।

इस प्रकार निर्देशक/पुलिस महानिरीक्षक, जेएनपीए द्वारा कुल 100 अंकों का मूल्यांकन किया जायेगा।

आंतरिक प्रशिक्षण में
प्रोजेक्ट वर्क

आंतरिक प्रशिक्षण में सम्मिलित प्रत्येक विषय में प्रशिक्षणार्थी को परीक्षा के समय प्राजेक्ट वक्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक विषय का कुल मूल्यांकन 100 अंकों का है, जिसमें से 90 अंक लिखित परीक्षा के और 10 अंक प्रोजेक्ट विषय के हैं। एक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा अर्थात एक विषय में दो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे। इन प्रोजक्ट्स का मूल्यांकन निर्देशक जेएनपीए द्वारा गठित आंतरिक परीक्षकों की एक समिति द्वारा किया जायेगा। यह मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर की लिखित परीक्षा के पूर्व होगा। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने प्राजेक्ट को पॉवर प्वाइंट के माध्यम से प्रशिक्षकों, बाहरी विशेषज्ञों के पैनल और निर्देशक, जेएनपीए के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विषय इस प्रकार चुने जायें कि उनमें दोहराव ना हो। प्रशिक्षक प्रत्येक प्रेजेंटेशन की विशिष्टताओं पर ध्यान देंगे और अंतिम रूप से अनुमोदित प्रोजेक्ट को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाये ताकि अन्य प्रशिक्षणार्थी अपने साथियों द्वारा किये गये कार्य को देख सकें और कोई दोहराव भी ना रहे।

पेपर 5 फोरेंसिक्स, पेपर 11 व्यक्तित्व विकास एवं मानव व्यवहार और पेपर-12 कम्प्यूटर ऑफिसऑटोमेशन एवं सायबर फोरेंसिक्स में प्रयोगात्मक (कार्य कर के दिखाना) प्रोजेक्ट होंगे, जिन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। इनका मूल्यांकन विशेषज्ञों की पैनल द्वारा किया जायेगा। अन्य विषयों में लिखित प्रोजेक्ट वक्र, चार्ट, वक्रशीट, केस डायरी या अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

आवश्यक निर्देश :-

सभी लिखित प्रोजेक्ट हाथ से लिखे जाना अनिवार्य होंगे। सभी लिखित प्रोजेक्ट प्रशिक्षु अधिकारी द्वारा स्वयं लिखे जायेंग तथा 10 से 15 पेजेज के मध्य होंगे। इसमें उदाहरणों को प्रचुर मात्रा में दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर पॉवर प्वाईट प्रजेन्टेशन भी निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा जो कम से कम 10 से 15 स्लाईड का होना चाहिये।